

जिला आपदा प्रबंधन योजना

वर्ष : 2018

जिला कोटा

जिला प्रशासन व आपदा प्रबन्धन

प्राधिकरण

दूरभाष नं. : 0744-2323557

टोल फ्री : 1077

फैक्स : 0744-2450365

ई-मेल : admceiling-kot-rj@nic.in

अध्याय—1

प्रस्तावना

1.1 विकास और आपदा :—

इतिहास की शुरूआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीक के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। परन्तु आज भी आपदाएँ उसके नियन्त्रण में नहीं हैं वरन् प्रोद्योगिक और औद्योगिक विकास ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिए हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।

भारत देश भी बाढ़, भूकम्प, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति के भारी नुकसान के अलावा पशु धन के साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। 1999 में उडीसा में आये तूफान तथा 2001 में गुजरात का भूकम्प विनाश के ताजे उदाहरण हैं।

1.2 बहु—आपदा अनुक्रिया योजना

आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्योगिक व रासायनिक दुर्घटनाएँ, आंगजनी, सड़क दुर्घटनाएँ, रेल व वायुयान दुर्घटनाएँ इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। पिछले 50 वर्षों (1950–2000) में मात्र ४ वर्ष ही सूखा रहित रहे हैं जबकि 44 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965–69, 1979–82, 1984–87, 1991–92 व 1999–2000 में रहा है। पिछले दो दशकों में मात्र 1983–84, 1992–93, 1995–96, 1997–98 व 2008–2013 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे हैं। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढ़ती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन

जिलो में सूखा कभी—कभी पड़ता था वह अब स्थाई आपदा बन गया है। संवत् 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखा से प्रभावित हुए। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियंत्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएँ हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन, एवं पर्यावरण को प्रभावित करते हैं जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है।

जिला आपदा प्रबंधन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु—अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकुल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढाँचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

1.3 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य :—

1. जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
2. जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ानें में उपयोग करना।
3. आपदा न्यूनीकरण (**Minimisation**) के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
4. जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
5. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही कर क्रियान्वयन करना।
6. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा (Policy Plan) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य

कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति-आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :-

1. प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण (Standarisation) करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।
5. स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
6. सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

1.4 नीतिगत कथन :-

गुजरात के भुज क्षेत्र में 26.1.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देश को जूझना पड़ा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 फरवरी 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले वर्षों की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपो में आग, बीकानेर के लुणकरणसर में बाढ़ तथा पिछले तीन साल के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाये ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबन्धन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

अध्याय – 2

जिले की रूपरेखा

2.1 कोटा का संक्षिप्त इतिहास :-

कोटा जिले का नाम इसके जिला मुख्यालय नगर कोटा के नाम पर रखा गया है जो कोटा रियासत की राजधानी भी थी। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार बून्दी के राजा राव देवा के प्रपोत्र जेत सिंह ने चम्बल नदी के पूर्व में स्थित अकेलगढ़ जिसका शासक कोटिया भील था पर आक्रमण कर कोटा नगर बसाया, जिसका नाम उसने कोटाह (कोटा) रखा। एक अन्य विवरण के अनुसार जैत सिंह ने विक्रम संवत् 1321 (1264 ईस्वी) में अकेलगढ़ पर विजय प्राप्त कर कोटा को अधिग्रहित किया। सन् 1625 तक कोटा परगना बून्दी राज्य के अधीन रहा। बाद में मुगल बादशाह जहांगीर ने राजा राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह की शूरवीरता से प्रसन्न होकर उसे कोटा एवं उसके साथ 360 गांव भेट किये एवं माधो सिंह कोटा का प्रमुख बनाया गया। बाद में कोटा को अलग राज्य घोषित कर दिया गया एवं यहां के शासक महाराव कहलाने लगे।

माधो सिंह के बाद मुकन्द सिंह, जगत सिंह, प्रेम सिंह, किशोर सिंह, राम सिंह, भीम सिंह, अर्जुन सिंह, अजीत सिंह, छत्रपाल प्रथम, गुमान सिंह, उम्मेद सिंह प्रथम, किशोर सिंह द्वितीय, छत्रपाल सिंह द्वितीय, उम्मेद सिंह द्वितीय एवं भीम सिंह द्वितीय कोटा के शासक बने। कोटा के अन्तिम शासक महाराव भीमसिंह द्वितीय रहे। जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल एवं ऐतिहासिक धरोहर निम्नानुसार :- चम्बल उद्यान, हाड़ौती यातायात प्रशिक्षण पार्क, क्षार बाग, मथुराधीश मंदिर, कन्सुआ का शिव मंदिर, चारचौमा का शिवालय, भीमचौरी का मंदिर, बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर, गैपरनाथ, दरा अभ्यारण्य—मुकन्दरा हिल्स नेशनल पार्क, विभीषण मंदिर, खड़े गणेश जी का मंदिर, गणेश उद्यान, कोटा बैराज, राजकीय संग्रहालय, सेवन वण्डर्स एवं राव माधोसिंह म्यूजियम आदि।

2.2 भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु :—

यह जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में 24.2° और 25.2° उत्तरी अंक्षाश तथा 75.37° एवं 77.26° दक्षिणी अंक्षाश के मध्य स्थित है, जिले के पश्चिम में चित्तोड़गढ़ जिला व बून्दी जिला दक्षिण में झालावाड़ पूर्व में बांरा उत्तर में सवाई माधोपुर एवं टोंक जिला है। धरातल का हल्का सा ढलान दक्षिण से उत्तर की तरफ है। दक्षिण एवं उत्तरी भागों में पहाड़िया दिखाई देती है। विंध्य पहाड़ियों की मुकन्दरा श्रेणी जिले में स्थित है। कई स्थानों पर दोहरी संरचना दो पृथक पर्वत श्रेणियों की है जो एक दूसरे से दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर समानान्तर जाती है। इन पर्वत श्रेणियों के मध्य वाला भाग कहीं—कहीं घने जंगलों से आच्छादित है।

जिले में बारहमासी बहने वाली चम्बल नदी है। जिसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत है, जो मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में होकर बहती है। उत्तरप्रदेश में 32 किलोमीटर बहने के पश्चात् इटावा शहर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। जिले की अन्य सहायक नदियां कालीसिंध, पार्वती, परवन एवं उजाड़ हैं। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5217.00 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें शहरी 310.00 वर्ग किलोमीटर एवं ग्रामीण 4906.95 वर्ग किलोमीटर है।

जलवायु की दृष्टि से यह जिला सघन एवं शुष्क है। यहां का न्यूनतम तापमान 7.6 और अधिकतम तापमान 47.7 डिग्री सेन्टीग्रेड है। यहां का औसत तापमान 27.1 डिग्री एवं औसत आद्रता 42 प्रतिशत है। जिले की सामान्य औसत वर्षा 80.87 सेन्टीमीटर एवं वास्तविक वर्षा 59.75 सेन्टी मीटर है।

2.3 प्रशासनिक संरचना

S.N0.	Head	No.	Details
1	अतिं० जिला कलक्टर	3	अतिं० जिला कलक्टर (प्रशासन), अतिं० जिला कलक्टर (सिलिंग), अतिं० जिला कलक्टर (शहर)
2	सब डिवीजन	5	कोटा, दीगोद, इटावा, सांगोद, कनवास एवं रामगंजमण्डी
3	तहसील	6	लाडपुरा, दीगोद, पीपल्दा, सांगोद रामगंजमण्डी एवं कनवास
4	विद्यानसभा क्षेत्र	6	कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, सांगोद, पीपल्दा,, रामगंजमण्डी
5	उप तहसील	3	मण्डाना, चेचट, सुल्तानपुर, खातौली
6	आई.एल. आर. सर्किल	52	
7	पटवार क्षेत्र	207	
8	रेवेन्यू विलेज	953	
9	पंचायत समिति	5	लाडपुरा, सुल्तानपुर, इटावा, खैराबाद व सांगोद
10	ग्राम पंचायत	155	
11	नगर निगम	1	नगर निगम कोटा
12	नगर पालिका	4	कैथून, सांगोद, रामगंजमण्डी, इटावा

पंचायत समिति में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की कुल संख्या

पंचायत समिति में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की कुल संख्या			
पंचायत समिति का नाम	आबाद	गैर आबाद	कुल
लाडपुरा	115	46	161
सुल्तानपुर	160	11	171
इटावा	164	10	174
खैराबाद	150	18	168
सांगोद	202	16	218
कुल	791	101	892

2.4 ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या :

क्र0 स0	तहसील	2001			2011		
		ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
1.	लाडपुरा	144691	753522	868213	117838	1025954	1149792
2.	पीपल्दा	155646	—	155646	179800	—	179800
3.	दीगोद	150587	—	150587	168734	—	168734
4.	रामगंजमण्डी	132073	96406	228479	231120	41328	272448
5.	सांगोद	146951	18649	165600	164394	21846	186240
	योग	729948	838577	1568525	861886	1089128	1951014

2.5 वर्ष 2011 में अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या का विवरण निम्न प्रकार है

क्र0 स0	तहसील	अनु0 जाति			अनु0 जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	लाडपुरा	108033	99000	207033	36626	31784	68410
2.	पीपल्दा	23174	21595	44469	20750	19302	40052
3.	दीगोद	21089	19631	40720	15727	14593	30320
4.	रामगंजमण्डी	20717	19520	40237	9636	9007	18643
5.	सांगोद	38148	34501	72649	13689	12702	26391
	योग	211161	194247	405408	96428	87388	183816

इकजाई जनसंख्या सूचना जिला कोटा 2011

क्र सं.	पंचायत समिति	कुल परिवार	कुल जनसंख्या	पुरुष जन0 सं.	महिला जन0 सं.
1	लाडपुरा	22181	117838	60881	56957
2	सुल्तानपुर	33029	168734	87493	81241
3	इटावा	35968	179800	93118	86682
4	सांगोद	31070	164394	85058	79336
5	खैराबाद	47329	231120	120828	110292
योग ग्रामीण		169577	861886	447378	414508
1	नगर पालिका कैथून	4573	24260	12468	11792
2	नगर पालिका सांगोद	4082	21846	11189	10657
3	नगर पालिका रा मंडी	8134	41328	21525	19803
4	नगर पालिका इटावा				
4	नगर निगम कोटा	210135	1001694	528601	473093
योग शहरी		226924	1089128	573783	515345
महायोग		396501	1951014	1021161	929853

नोट :— ग्रामीण जनसंख्या में खैराबाद ब्लॉक के 7 CT की जनसंख्या सम्मिलित है।

अध्याय – 3

जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्न स्तर व कम जागरूकता ने, न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रुकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती हैं।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

- **दुर्घटना सम्बन्धित** – आग, बम विस्फोट, वायु, सड़क एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- **जैविक आपदाएँ** – महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

कोटा जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले में होने वाली संभावित आपदाएं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया गया। जिले में संभावित 10 आपदाएं चिन्हित की गयी। इनमें से मुख्य पाँच विपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य विपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी। पाँच मुख्य विपदाएं निम्न हैं :–

1. सूखा
2. बाढ़
3. दुर्घटनाएं
4. आग
5. भूकम्प

इसके अलावा अन्य 5 विपदाएं साम्प्रदायिक दंगे, ओलावृष्टि, बांध टूटना, एवं औद्योगिक विपदाएं तथा ताप (लू) व शीतघात हैं।

अध्याय – 4

आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु सामान्य कार्य योजना

आपदा प्रबन्धन

कोटा सम्भाग में प्रायः विभिन्न प्रकार की घटनायें घटती रहती हैं। इनमें आग लगना एवं पानी में डूबना प्रमुख है। सम्भाग में चम्बल नदी के अतिरिक्त कई अन्य छोटी-बड़ी नदियां एवं नहरें हैं। वर्षा ऋतु के समय अतिवृष्टि होने पर इनमें बाढ़ आने की भी सम्भावना बनी रहती है। भारी वर्षा के कारण नदी के तटीय क्षेत्र के समीपवर्ती निचले क्षेत्रों में पानी भरने से भी अत्यधिक जन व धन हानि होने की सम्भवना सदैव बनी रहती है।

इस प्रकार की घटनायें होने पर सामान्यतः निम्नलिखित नियन्त्रण कक्षों पर सूचनायें प्राप्त होती हैं :—

पुलिस नियन्त्रण कक्ष	अग्निशमन नियन्त्रण कक्ष	कलेक्टर नियन्त्रण कक्ष
2350777, 100	2392201, 101, 2472355	1077, 2323557, 2325342

चूँकि उक्त वर्णित नियन्त्रण कक्ष सदैव 24 घण्टे कार्यशील रहते हैं। अतः इस प्रकार की किसी भी घटना की सूचना प्राप्त होन पर इनके द्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित अधिकारियों को सूचित किया जाने के साथ ही तत्काल त्वरित गति से कार्यवाही की जानी भी आवश्यक है :—

—: जिला प्रशासनिक अधिकारियों की सूची :—

नाम अधिकारी	पद नाम	दूरभाष नम्बर		मोबाईल नं.
		कार्यालय	निवास	
श्री रोहित गुप्ता I.A.S. कार्य.	संभागीय आयुक्त कोटा	2500853	2450040	9460387269
श्री रोहित गुप्ता I.A.S.	जिला कलक्टर कोटा	2451200	2451100	9460387269
श्रीमती प्रियंका गोस्वामी	अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा	2500585	—	9414648780
श्रीमती आराधना सर्करैना	अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, सीएडी कोटा	2500740	—	9414186297
श्रीमती सुनीता डागा	अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन कोटा	2325341	2324041	9460933396
श्री बी.एल.मीणा	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर कोटा	2323165	2500891	9414772607
रिक्त	अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग कोटा	2450365	—	—
श्री जुगल किशोर मीणा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा	2500508 2505508	2502508	9413901048 8003450111
श्री पंकज औझा	राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा	2326951	—	9672666600
श्रीमती श्वेता फगोड़िया	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा	2501196	—	9414345115
श्रीमती कीर्ति राठौड़	जिला रसद अधिकारी कोटा	2323874	—	9414033122
रिक्त	जिला रसद अधिकारी—ग्रामीण कोटा	—	—	—
श्री सियाराम मीणा	सचिव, नगर विकास न्यास कोटा	2500879	2502918	9414938141
श्री नरेश मालव	उप-सचिव, नगर विकास न्यास कोटा	2500818	—	9680598666
श्री अशोक कुमार त्यागी	उप-सचिव, नगर विकास न्यास कोटा	2500013	—	9636588693
श्रीमती दीप्ति रामचन्द्र मीणा	उप-सचिव, नगर विकास न्यास कोटा	2500183	—	9414089039 9461039039
डॉ विक्रम जिन्दल I.A.S.	आयुक्त नगर निगम कोटा	2502293	2340081	9660291100

श्री राजेन्द्र सिंह चारण	उपायुक्त नगर निगम मुख्यालय कोटा	2502142	—	9001644943
श्री राजेश डागा	उपायुक्त नगर निगम – विज्ञाननगर कोटा	2502583	2500891	9829997700
श्री सुभाष शर्मा	उपायुक्त नगर निगम – रामपुरा कोटा	2501039	—	8949271418 9414623641
श्री गिरिराज वर्मा	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी कोटा	2364577	—	9414121101
श्री अशोक कुमार मीणा	जिला आबकारी अधिकारी कोटा	2365623	—	9784364133 9530396181
श्री नरेन्द्र गुप्ता	उपायुक्त प्रशासन वाणिज्यकर विभाग कोटा	2365363	2504320	9414043200 9413385915
श्रीमती भागवंती ज्येठवानी	भू प्रबंध अधिकारी कोटा	2326154	—	9414182208
श्रीमती भावना राधव गुर्जर	उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग कोटा	2504207	—	9413901993
श्री शम्भू दयाल मीणा	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक कोटा	2327035	—	9782080313
श्री संदीप सिंह चौहान कार्य.	कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय कोटा	2472934	—	9414257423
श्रीमती आभा जैन	कुलसचिव, तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा	2473003	—	9829463000
श्री मुरलीधर प्रतिहार	कुलसचिव, वर्द्धान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा	2470971	—	9413841568
श्री के.एम. गोतम कार्य.	कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय कोटा	2321205	—	9413108515
रिक्त	सहायक निदेशक लोक सेवाएं विभाग कोटा	2322061	—	
श्रीमती कृष्णा शुक्ला	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास कोटा	2323138	—	9252418235
श्री मोहन लाल प्रतिहार	उपखण्ड अधिकारी कोटा	2325871	2500273	9414154993
सुश्री चिन्मयी गोपाल IAS	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	07459.220170	220046	9818883264 9530319071
श्रीमती तारामति वेष्णव	उपखण्ड अधिकारी दीगोद	07455.234928	—	9460014525
श्री संजीव कुमार शर्मा	उपखण्ड अधिकारी इटावा	07458.225856	—	9950210175
रिक्त	उपखण्ड अधिकारी सांगोद	07450.233952	233951	
रिक्त	उपखण्ड अधिकारी कनवास	07450.254838	—	
श्री प्रमोद कुमार सिंघव	सहायक कलेक्टर, कोटा	2322061	—	9414910420
श्री मनमोहन मीना	सहायक कलेक्टर, दीगोद	07455.234543	—	9413303813
रिक्त	सहायक कलेक्टर (फारस्ट ट्रेक) इटावा	—	—	—
डॉ नीरज मिश्रा	कोषाधिकारी कोटा	2323964	2320223	9829795150
श्री संजय महबूबानी	सहायक कोषाधिकारी पेंशन कोटा	2331280	—	9413941315
श्री जे.पी. महावर	मुख्य आयोजना अधिकारी कोटा	2320854	—	9414534568
श्री सुरेन्द्र शर्मा	उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग कोटा	2325997	—	9928084138
श्री प्रदीप झा	संयुक्त श्रम आयुक्त कोटा	2324176	—	9414334024
श्री रमेश शर्मा	परियोजना प्रबंधक SCDC कोटा	2320806	—	8386817329
श्री मुकेश कुमार झा	डीआईओ एन0आई0सी0 कोटा	2320663	2331242	9928718242
श्रीमती कीर्ति कुमारी कुमावत	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका कैथून	2844291	—	9461351047
श्री सत्यनारायण राठोर कार्य.	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रामगंजमण्डी	07459.220016	—	9414569236
श्री जितेन्द्र सिंह पारस	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका सांगोद	07450.233239	—	8005634448
श्री नरपत सिंह राजपुरोहित	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका इटावा	07458.225856	—	9414492677

तहसीलदार

नाम	पद नाम	टेलीफोन कार्यालय	मोबाइल नं०
श्री गजेन्द्र सिंह	लाडपुरा	0744-2323857	9460938971 7728881710
श्रीमती मिथ्लेश मीणा	रामगंजमण्डी	07459-220108	9571471886
श्री नवनन्द सिंह	दीगोद	07455-234617	9413383777
श्री विशंभर सिंह कार्य.	पीपल्दा	07458-275333	9660420944
श्री लक्ष्मीनारायण प्रजापति	सांगोद	07450-233234	9414310037
श्री सत्यनारायण बसवाल	कनवास	07450-254838	9414758582
श्री श्रीकांत व्यास, कार्य.	उप पंजीयक – प्रथम	0744-2320738	9351117312
श्री गजेन्द्र सिंह, कार्य.	उप पंजीयक – द्वितीय	—	9460938971
श्रीमती एच.डी. सिंह	भू अभिलेख कलैकटेर	0744-2325871	9414178110
श्री कैलाश चन्द मीणा	तहसीलदार नगर विकास न्यास	0744-2500951	9414297131
श्री रामकल्याण यादवेन्द्र	तहसीलदार नगर विकास न्यास	0744-2500951	8239449345
श्री	तहसीलदार नगर विकास न्यास	0744-2500951	
श्री	वन बंदोबस्त अधिकारी कोटा	0744-2500194	
रिक्त	भू अवासि अधिकारी साठनिजिवि० कोटा	0744-2323126	—
श्री श्रीकांत व्यास	सहायक भू प्रबंध अधिकारी मुख्यालय कोटा	0744-2326154	9351117312
रिक्त	सहायक भू प्रबंध अधिकारी कोटा	0744-2326154	
रिक्त	सहायक भू प्रबंध अधिकारी कोटा	0744-2326154	—
श्री कृष्ण गोपाल जोजर	पटवार प्रशिक्षण केन्द्र कोटा	0744-2471335	9414651219
श्री श्योनारायण बैरवा, कार्य०	तहसीलदार सी०ए०डी० कोटा	—	9460989866
श्री श्योनारायण बैरवा	तहसीलदार संभागीय आयुक्त कार्यालय कोटा	—	9460989866
रिक्त	तहसीलदार बी०पी०सी०एल० कोटा	—	
रिक्त	तहसीलदार निर्वाचन कोटा	0744-2328111	

नायब तहसीलदार

नाम	पदनाम	टेलीफोन कार्यालय	मोबाइल नं०
श्री जगदीश गहलोत	लाडपुरा	0744-2323857	9829899031
श्री रामस्वरूप शर्मा	मण्डाना	2812903	9829168634
श्री विशंभर सिंह भदौरिया	पीपल्दा	07458-275333	9660420944
श्री छीतरलाल पांचाल	सांगोद	07450-233234	9929240489
श्री धनराज मीना	कनवास	07450-254838	9414649271
श्री मांगीलाल निष्वेल	रामगंजमण्डी	07459-220108	9414862294
श्री रामनिवास मीणा	चेचट	07459-230603	9928153176
श्री नईमुददीन	दीगोद	07455-234617	9414568608
श्री इमामुददीन खान	सुल्तानपुर	—	9413357387
श्री गोपीचन्द चौहान	पी०टी०एस०	0744-2471335	9413828923
श्री विशंभर सिंह भदौरिया कार्य.	खातौली	—	9660420944

BDO's

नाम	पदनाम	टेलीफोन कार्यालय	मोबाइल नं
श्री आयदान सिंह सोंलकी	विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडपुरा कोटा	0744-2325216	9414627699 7023917699
श्री जगदीश प्रसाद मीणा	विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानपुर	07455-224234	9782780563
श्री मजहर इमाम	विकास अधिकारी पंचायत समिति इटावा	07458-225232	9462554511
श्री लक्ष्मण सिंह मीणा	विकास अधिकारी पंचायत समिति सोगोद	07450-233223	9530307560
श्री सुनील वर्मा	विकास अधिकारी पंचायत समिति खैराबाद	07459-220069	8233443132

पुलिस /आर.ए.सी/एस.डी.आर.एफ

नाम	पदनाम	टेलीफोन कार्यालय	मोबाइल नं
श्री अंशुमान भौमिया	पुलिस अधीक्षक कोटा शहर कोटा	0744-2350700	9414005888
श्री राजीव पचार	पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जिला कोटा	0744-235061	7597237953
श्री राहुल कार्तिकेय,	कमाण्डेंट, द्वितीय बटालियन आरएसी कोटा	0744-2350771	
श्री अनन्त कुमार	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर कोटा	0744-2350711	9829250721 9530442711
श्री पनव जैन	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण	0744-2350603	9829231001
श्रीमती तृप्ति विजयवर्गीय	डिप्टी कमाण्डेंट, द्वितीय बटालियन, आर०ए०सी० कोटा	0744-2350775	9414249585
श्री भूपेन्द्र सिंह चूण्डावत	डिप्टी कमाण्डेंट, द्वितीय बटालियन, आर०ए०सी० कोटा	0744-2350775	9460029417
श्री अब्दुल अजीज	सहायक कमाण्डेंट, द्वितीय बटालियन, आर०ए०सी० कोटा	0744-2350771	9530096463
श्री धनफूल मीणा	सहायक कम ाण्डेंट, एस.डी.आर.एफ, अमर निवास, कोटा Email-bcoy.sdfr.raj@gmail.com		9414206991
श्री अनिल कुमार टॉक	कमाण्डेंट, एस.डी.आर.एफ, जयपुर Email Address- 1 comdt.sdrf@rajpolice.gov.in 2 comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com	0141-2759903	9672373292

—: जिला प्रशासन कार्यालयों के महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर की सूची :—

क्र. सं.	पदनाम	कार्यालय	निवास
1	जिला मजिस्ट्रेट	2451200, 2323883	2451100, 2451044
2	पुलिस अधीक्षक शहर	2350700	2350701
3	पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	2350601	2350602
4	कमाण्डेन्ट आर.ए.सी.—ग	2350771	2320678
5	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन	2325341	
6	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर	2323165	
7	जिला रसद अधिकारी कोटा	2323874	
8	मु0 कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम कोटा	2502293	
9	उप नियन्त्रक, नागरिक सुरक्षा कोटा	2327861, 2320299	
10	मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, नगर निगम कोटा	101, 2392201, 2472355	2362423
11	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी कोटा	2329259	
12	अधीक्षक एम.बी.एस. कोटा	2450123, 2331323	2340940
13	उप अधीक्षक पुलिस, यातायात	2350729	2350730
14	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी	2450102	
15	कलेक्ट्रेट नियन्त्रण कक्ष	2323557	1077
16	पुलिस नियन्त्रण कक्ष	2350777	100
17	अग्नि शमन नियन्त्रण कक्ष	101, 2392201	
18	एम्बुलेन्स—108	108	

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न प्रकार की भी भीषण दुर्घटना घटित हो सकती हैं :—

- 1— पूल गिरना / बॉध टूटना
- 2— पेट्रोलियम डिपो / गैस भण्डारण आदि में विस्फोट होना
- 3— निर्माणाधीन / निर्मित बहुमंजिला भवन का धराशायी होना
- 4— ऐयर क्रेश (हवाई जहाज दुर्घटना)
- 5— रेल दुर्घटना

उक्त स्थिति उत्पन्न होने पर जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार निम्नलिखित विभागों से एवं निजी क्षेत्र संस्थानों से सहायता प्राप्ति हेतु सूचना देकर सर्तक रहने के लिये एवं दुर्घटना स्थल पर पहुँचने हेतु कहाँ जा सकता हैं :—

- 1— सेना (थल, जल, वायु)
- 2— रेल राहत सेवा
- 3— अहमदाबाद फायर एण्ड रेस्क्यू टीम
- 4— एन.डी.आर.एफ.

किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर निम्नलिखित स्थल पर तुरन्त प्रभाव से नियन्त्रण कक्ष स्थापित किए जाने होंगे :—

- 1— दुर्घटना स्थल
- 2— एम0बी0एस0 अस्पताल
- 3— कलेक्ट्रेट

भीषण दुर्घटना होने की स्थिति में प्रशासनिक उत्तरदायित्व :—

1—	जिला मजिस्ट्रेट	निम्नलिखित स्तरों पर उचित समन्वय स्थापित करना:- <ol style="list-style-type: none"> 1. मुख्य सचिव 2. प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री 3. प्रमुख शासन सचिव, गृह / सहायता 4. सम्भागीय आयुक्त 5. पुलिस महानिरीक्षक
2—	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट	<ol style="list-style-type: none"> 1. कानून व्यवस्था 2. सभी विभागों से समन्वय रखते हुए राहत कार्य संचालित करना एवं आवश्यकता होने पर अन्य राज्य एवं निजी क्षेत्र की सेवा उपलब्ध करवाना । 3. पीड़ित के आश्रित / परिजन से समन्वयन रखना / शावों की सूचना उनके परिजन को देना । 4. राहत कार्य हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाना ।
3—	पुलिस विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. सम्बन्धित क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखना । 2. पुलिस / होमगार्ड के गोताखोर एवं रेस्क्यू टीम उपलब्ध करवाना । 3. दुर्घटना में घायल / मृत व्यक्तियों की शिनाखत एवं बरामदगी करवाना । 4. कानूनी कार्यवाही सम्पादित करना (धारा 174 सी.आर.पी.सी.) 5. राहत कार्य में सहायता करना ।

4-	मुख्य अग्नि शमन अधिकारी	<ol style="list-style-type: none"> दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही उपलब्ध संसाधन लेकर दुर्घटना स्थल पर बचाव/राहत दल लेकर पहुँचना। राहत कार्य प्रारम्भ करवाना। दुर्घटना में घायल/मृत व्यक्तियों को खोजकर बरामद करना। आग लगने की स्थिति में आग बुझाने का कार्य करना। पानी सम्बन्धित राहत कार्यों के लिये मानव चलित तथा स्व- चलित मोटर बोट्स की व्यवस्था करना। गोताखोर का दल उपलब्ध करवाना। जन सम्बोधन प्रणाली (पी.ए. सिस्टम) उपलब्ध रखना पोर्टबल पम्प उपलब्ध करवाना। समुचित मात्रा /संख्या में रस्से,फावडे ,गैती सब्बल, सोहरे—बिलाई ,बेलचे, आदि उपलब्ध रखना (हैलमेट एवं गम्बूट / दस्ताने) ड्रेगन लाइट इमरजेन्सी लाइट, पोर्टबल जनरेटर ,लाइफ जैकेट ,लाइफ बॉय आदि उपलब्ध करवाना।
5-	आर.ए.सी. (राहत दल)	<ol style="list-style-type: none"> राहत कार्य करना। दुर्घटना में घायल/मृत व्यक्ति को खोजकर बरामद करना। गोताखोर उपलब्ध करवाना। मोटर बोट उपलब्ध करवाना। ड्रेगन लाईट, इमरजेन्सी लाईट,लाइफ जैकेट आदि उपलब्ध करवाना।
6-	नागरिक सुरक्षा	<ol style="list-style-type: none"> दुर्घटना में घायल/मृत व्यक्ति को खोजकर बरामद करना। बचाव दल /तैराक /गोताखोर /रस्से /लाइफ जैकेट /लाइफ बॉय आदि उपलब्ध करवाना। पानी सम्बन्धित सम्भावित दुर्घटना स्थल को वार्डन स्तर पर चिन्हित करवाना।
7-	जिला रसद अधिकारी	<ol style="list-style-type: none"> दुर्घटना स्थल पर पहुँच कर राहत कार्य दल/पीडित परिवार हेतु चाय,नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था करवाना। पीडित परिवार हेतु आश्रय स्थल पर तम्बू /चादर /कम्बल /बिस्तर आदि की व्यवस्था करना। राहत कार्य हेतु आवश्यकतानुसार ईंधन उपलब्ध करवाना।
8-	मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम	<ol style="list-style-type: none"> राहत कार्य हेतु श्रमिक उपलब्ध करवाना। पीडित परिवारों को आश्रय स्थल पर पहुँचाना। राहत शिविर स्थापित करना। दुर्घटना स्थल एवं आश्रय स्थल पर पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना। आवश्यकतानुसार उचित सफाई व्यवस्था करना। राहत शिविरों के रूप में प्रयोग में लिए जाने वाले भवनों

		<p>को खाली करवाने की व्यवस्था करना ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. पीड़ित परिवारों हेतु आश्रय स्थल से दुर्घटना स्थल तक आवागमन हेतु वाहन उपलब्ध करवाना । 8. जे.सी.बी., डम्पर, ड्रैक्टर मय ट्राली, पानी का टैकर, चलित शौचालय, आदि उपलब्ध करवाना । 9. दुर्घटना स्थल पर टेन्ट लगवाना । 10. दुर्घटना स्थल पर विद्युत व्यवस्था करना । 11. दुर्घटना स्थल पर जन सम्बोधन हेतु मार्ईक की व्यवस्था करना । 12. दुर्घटना स्थल पर फिनायल एवं अन्य आवश्यक कीटनाशक उपलब्ध करवाना । 13. जे.सी.बी., डम्पर, ड्रैक्टर—ट्राली आदि संसाधन उपलब्ध करवाना ।
9—	नगर विकास न्यास	<ol style="list-style-type: none"> 1. राहत कार्य हेतु श्रमिक उपलब्ध करवाना । 2. जे.सी.बी., डम्पर, ड्रैक्टर—ट्राली आदि संसाधन उपलब्ध करवाना ।
10—	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	<ol style="list-style-type: none"> 1. दुर्घटना स्थल पर घायलों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना । 2. राहत/बचाव दल हेतु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना 3. पीड़ित परिवार को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना । 4. घायलो/मृतकों को अस्पताल पहुँचाने हेतु एम्बूलैन्स उपलब्ध करवाना । 5. कर्मयोगी सेवा संस्थान से समन्वय कर शव वाहन एवं कोफीन की व्यवस्था करना 6—चिकित्सा राहत शिविर स्थापित करना ।
11—	अधीक्षक एम.बी.एस.	<ol style="list-style-type: none"> 1. अस्पताल में आपातकालीन वार्ड की व्यवस्था करना । 2. विभिन्न ग्रुप का रक्त उपलब्ध रखना । 3. विशेषज्ञ चिकित्सक दल उपलब्ध रखना । 4. मुर्दाघर की व्यवस्था करना । 5. शवों का पोस्टमार्टम करवाना ।
12—	कलेक्टर नियन्त्रण कक्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. दुर्घटना स्थल एवं अस्पताल के नियन्त्रण कक्ष से समन्वयन रखते हुए समस्त सूचना संकलित कर आवश्यकतानुसार सभी सूचना/आदेश सम्बन्धित अधिकारी को देना ।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित विभागों से भी सहायता प्राप्त की जा सकती हैं :-

1—	रेल सेवा	DRM 2467000 (O) 2467001 (R) (M) 9001017000	—बचाव / राहत दल —गैस कटर विशेषज्ञ
2—	रावतभाटा परमाणु बिजली परियोजना	1475—242101 (M) 9414185102	—बचाव / राहत दल —अग्निशमन दल मय उपकरण —70—140 टन केन
3—	डी.सी.एम.	2480991—98 2503218 2502037 मो. 9829087469	—बचाव / राहत दल —अग्नि शमन दल मय उपकरण —रसायन विशेषज्ञ —केन —गैस कटर मय ऑपरेटर
4—	कोटा थर्मल	2370431—36 2370007, 2370026 मो. 9414063227	—अग्निशमन दल —केन —गैस कटर मय ऑपरेटर
5—	भारी पानी संयन्त्र परियोजना		—अग्निशमन दल मय उपकरण
6—	चम्बल फर्टिलाइजर	247121—25 2782021 9829037419	—अग्निशमन दल —गैस कटर मय आपरेटर
7—	काल्या कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (एन.जी.ओ.) भीलवाडा	09829047321	—रॉक ब्रेकर एव फॉकलेन मशीन
8—	इरफान केन सर्विस कोटा (एन.जी.ओ.)		—समस्त प्रकार की केन
9—	कर्मयोगी सेवा संस्थान	9829328525	—एम्बुलेन्स
10—	गोताखोर टीम (मुम्बई एव गोआ)		—बचाव / राहत दल
11—	एनडीआरएफ गांधीनगर गुजरात	07923201551 07923262540	—बचाव / राहत दल

प्रस्ताव :-

कोटा सम्भाग में किसी भी प्रकार की प्राकृति अथवा मानव जनित आपदा का सामना करने हेतु एक आपदा राहत / बचाव दल का गठन निम्नलिखित अधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के कर्मचारी रखते हुये किया जाना प्रस्तावित है :-

1—	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट	:-	नोडल अधिकारी
2—	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	:-	राहत / बचाव दल प्रभारी अधिकारी
3—	सहायक अग्नि शमन अधिकारी :-		सह प्रभारी
4—	नगर निगम फायर	:-	15 कर्मचारी
5—	आर.ए.सी./ SDRF रेस्क्यू टीम	:-	45 जवान
6—	नागरिक सुरक्षा	:-	10 कर्मचारी
7—	होम गार्ड	:-	10 जवान
8—	पुलिस	:-	20 जवान

प्राकृतिक अथवा मानवजनित आपदा राहत बचाव दल हेतु वांछित अति-आवश्यक उपकरण :-

1—	इन्प्लाटेबल लाईटिंग मास्ट	2	नग
2—	हाइड्रॉलिक कटर	2	नग
3—	स्प्रेडर	2	नग
4—	लिफिटंग हार्ड बैग	2	सैट
5—	डाइविंग सूट	6	सैट
6—	बॉडी सर्च यूनिट	2	सैट
7—	अण्डर वाटर लाइट	6	नग
8—	डायमण्ड चैन सा	2	नग
9—	रैस्क्यू रैम	2	सैट
10—	इन्प्लाटेबल बोट	2	नग
11—	फायर एण्ट्री सूट	4	नग
12—	हैल्मेट	50	नग
13—	दस्ताने-रबर / कॉटन	50	जोड़ी
14—	फैस मास्क	70	जोड़ी
15—	गम-बूट	50	जोड़ी
16—	हैण्डी टूल्स	2	सैट
17—	स्ट्रेचर (कपड़े के फोल्डिंग)	6	नग
18—	ड्रेगन लाइट	10	नग
19—	गैस कटर	2	सैट
20—	रोप राकेट	2	नग
21—	वायरलैस सैट	10	नग
22—	सरक्यूलर सॉ	1	नग
23—	रोप लैडर	2	नग
24—	मेगा फोन	4	नग
25—	पावर हैमर	1	नग
26—	लाइफ जैकेट	50	नग
27—	लाइफ बॉय	25	नग
28—	ऐयर कम्प्रेशर	1	नग
29—	ब्रिडिंग ऐप्रेटस सैट	4	नग
30—	पिक अप वैन	1	
31—	शव वाहन	2	

अध्याय — 5

जिले में सम्भावित आपदाएं व कार्य योजना

1.1. सूखा

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है—प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे—धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

सूखे के सामान्य संकेतक

- जलाशयों में पानी का अभाव।
- वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण।
- भू जल स्तर का कम होना।
- कुओं का सूखना।
- फसलों का नष्ट होना।

1.2. सूखे के प्रकार

1. **मौसम विज्ञान संबंधी सूखा** :— अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता, पानी का असमान वितरण
2. **जल विज्ञान संबंधी सूखा** :— पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्रोतों का अवक्षय, तालाबों, कुओं तथा जलाशयों का सूखना
3. **कृषि संबंधी सूखा** :— फसल अथवा चारे की कमी, मृदा की नमी में कमी।

राजस्थान एवं सूखा एक दूसरे के समानार्थक है। पिछले 50 वर्षों में औसतन हर दूसरा वर्ष सूखे की समस्या से प्रभावित वर्ष रहा है। कोटा यद्यपि सूखें की समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित नहीं है। पिछले 17 वर्षों में कोटा में 4 वर्ष अकाल से प्रभावित रहा है। इस वर्ष जिले में सूखा नहीं है। इसलिए कोई भी ग्राम अकाल ग्रस्त धोषित नहीं किया है।

1.3. सूखे की कार्ययोजना

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या हैं परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते हैं।

1.4. दीर्घकालीन उपाय

1. वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
2. पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
3. पानी के परम्परागत स्त्रोतों का पुनर्जीविकरण
4. अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
5. पानी के संग्रहण एवं भू-कूपों का पुनर्भरण।
6. मिट्टी व नमी का संरक्षण।
7. अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
8. फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
9. फसलों में फवारा पद्धति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
10. कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
11. स्वयं सहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

1.5. सूखा पूर्व तैयारी

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यों आदि की विकास योजना तैयार करना।

1.6. सूखे के समय कार्य योजना

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

1.7. जिला प्रशासन

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यों की शुरूआत
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्त्रोतों का संवर्धन

- निजी कुओं को किराये पर लेना
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना
- परम्परागत जल स्रोतों जैसे बावड़ी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याहन योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान

1.8. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना
- मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये चिकित्सकीय ।
- पेरोमेडीकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था
- राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना

1.9. पशुपालन विभाग

- मवेशियों के लिए शिविर लगाना
- संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।
- बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्सक कर्मी, दवाईयां एवं समय पर उनका संचालन करना।
- पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
- पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना ।

1.10. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी

- प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, कैनवास बैग व हैण्ड पार्टिप लाइन की व्यवस्था करना।

- ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन

1.11. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन
- काम के बदले अनाज योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

1.12. स्वयं सेवी संगठन

- राहत कार्यों एवं पेयजल आपूर्ति में स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी
- इस विपत्ति हेतु ज़िला प्रशासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना

1.13. समेकित बाल विकास सेवाएं

- बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
- राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोषहार उपलब्ध कराना।

1.14. सिंचाई

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना
- दोषपूर्ण नलकूपों की मरम्मत करना।
- राहत कार्यों के अन्तर्गत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

1.15. कृषि विभाग

- खेती के लिए बीज तथा कीटनाशक दवाईयाँ उपलब्ध कराना।
- फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

1.16. वन विभाग

- वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना।
- ईधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी टहनियाँ उपलब्ध कराना।

1.17. विद्युत विभाग

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध

1.18. सूखा से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें।

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितनी आपको प्यास है। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधों में डालें।
- पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द-बून्द करके पानी बेकार न बहता रहे।
- कहीं भी पाईप लाइन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोकने के प्रयास करें।
- घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में डालें।
- जल संग्रहण हेतु बनाये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें।
- ब्रश अथवा मन्जन करते समय नल खुला न छोड़ें बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भरकर दांत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं क्योंकि फव्वारे व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है।
- शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुँह धोने की जरूरत हो तभी नल खोलें व पानी का उपयोग करें।
- हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- अपनी गाड़ी को साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले तथा सादे कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोंछा लगाकर साफ करें।
- कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।
- जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

1.19. सूखा से प्रभावित गांव

क्र.सं.	संवत/वर्ष	सूखाग्रस्त गाँवों की संख्या	क्र0 सं0	संवत/वर्ष	सूखाग्रस्त गाँवों की संख्या
1.	2048 (1992)	194	14.	2061 (2005)	—
2.	2049 (1993)	—	15.	2062 (2006)	726
3	2050 (1994)	—	16.	2063 (2007)	—
4.	2051 (1995)	—	17.	2064 (2008)	—
5.	2052 (1996)	—	18.	2065 (2009)	—
6.	2053 (1997)	—	19.	2066 (2010)	—
7.	2054 (1998)	—	20.	2067 (2011)	—
8.	2055 (1999)	—	21.	2068 (2012)	—
9.	2056 (2000)	—	22.	2069 (2013)	—

10.	2057 (2001)	24	23.	2070 (2014)	281 ग्राम खरीफ फसल 70 ग्राम रबी फसल
11.	2058 (2002)	—	24.	2071 (2015)	606 अभावग्रस्त
12.	2059 (2003)	165	25	2072 (2016)	—
13.	2060 (2004)	—	26	2073 (2017)	—

1.20. प्रभावित क्षेत्र संवत् 2073

क्र० सं०	तहसील का नाम	खरीफ फसल खराब ग्रामों की संख्या		रबी फसल खराब ग्रामों की संख्या		कुल प्रभावित गाँव
		50–74 प्रतिशत	75 प्रतिशत से अधिक	50–74 प्रतिशत	75 प्रतिशत से अधिक	
1.	लाडपुरा	—	—	—	—	—
2.	पीपल्दा	—	—	—	—	—
3.	सॉगोद	—	—	—	—	—
4.	कनवास	—	—	—	—	—
5.	दीगोद	—	—	—	—	—
6.	रामगंजमण्डी	—	—	—	—	—
	कुल	—	—	—	—	—

1.21. जिले की औसत वर्षा

क्र. सं.	नाम तहसील	वर्षा का विवरण (औसत वर्षा – मिली मीटर)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	लाडपुरा	800.5	712	651	572	969	625	1138	717	767.4	993
2.	दीगोद	721	1075	796	638.5	1113	690	1224	796	635	878
3.	पीपल्दा	587	1019	471	484.8	1269	577	1409	551	801	828
4.	सॉगोद	650	567	473	415.1	1634	624	1433	993	888	632
5.	रामगंजमण्डी	892	702	645	847	1234	712	1245	984	1108	1115
6.	मण्डाना (उप तह0)	581	809	463	596	1153	447	1162	641	658	618
7.	कनवास				957	1820	872	1456	881	880	691
8.	चेचट (उप तह0)				646	1052	667	1086	814	956	932
	योग	4231.5	4884	3499	5156.4	10244	5214	10153	6377	6693.4	6687

1.23. चारा वार्षिक

तहसील	आवश्यकता		उपलब्धता	
	स्थान	मात्रा	स्थान	मात्रा
लाडपुरा	सम्पूर्ण तहसील	—	सम्पूर्ण तहसील	—
दीगोद	सम्पूर्ण तहसील	—	सम्पूर्ण तहसील	—
सॉगोद	सम्पूर्ण तहसील	—	सम्पूर्ण तहसील	—
पीपल्दा	सम्पूर्ण तहसील	—	सम्पूर्ण तहसील	—
रामगंजमण्डी	सम्पूर्ण तहसील	—	सम्पूर्ण तहसील	—

नगर निगम कोटा	-	-	-	-
योग	-	-	-	-

2. बाढ़

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है, तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती हैं और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर भी पड़ता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है—विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी कम उत्तरदायी नहीं हैं।

भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली 20 प्रतिशत मौतें भारत में होती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का आठवां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जो कि लगभग 4.10 करोड़ हैक्टेयर है।

2.1. बाढ़ के मुख्य कारण

- अत्यधिक वर्षा
- बांध का टूटना
- पेड़ों की संख्या में कमी
- बहुत अपवाह क्षेत्र
- उष्ण कटिबंधीय व विक्षोभ
- अपवाह में अवसादीकरण
- बादल का फटना
- भूकम्प

2.2. बाढ़ कार्य योजना

बाढ़ के कारण होने वाली जन हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमों से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाता है।

2.3. संरचनात्मक उपाय

1. जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
2. प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
3. बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।

4. मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाउस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।
5. नदी के बान्ध में छिद्रान्वेषी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।
6. तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बान्धों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

2.4. गैर संरचनात्मक उपाय :-

पारम्परिक इन्जीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियन्त्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

1. बाढ़ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना।
2. बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
3. बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
4. संवेदनशील क्षेत्रों में साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
5. बाढ़ से बचने के लिए जन चेतना शिविरों का आयोजन।
6. बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेडियो, अखबार, दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगों तक पहुंचाना।
7. भू उपयोग को नियमों के माध्यम से नियन्त्रित करके जान, माल तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है।
8. आपदा सम्भावित क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए हैं तो भू उपयोग नियन्त्रण करके नियमों का पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।
9. हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये तथा मिट्टी के बने घरों को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियन्त्रण के उपाय कर लिए गये हैं। बचाव हेतु एस्केप रूट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।

2.5. कंट्रोल रूम

राज्य स्तरीय बाढ़ नियन्त्रण कक्ष, जयपुर में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित सिंचाई भवन में स्थापित किया जाता है। इसके प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (जल विज्ञान) सिंचाई है और उनका यह कार्यालय वायरलैस एवं टेलीफोन दोनों से ही जुड़ा हुआ है एवं चौबीसों घण्टे कार्यरत रहता है। इसके अतिरिक्त जयपुर मुख्यालय पर वृत्त स्तर का बाढ़ नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिले में भी बाढ़ से निपटने हेतु 15 जून से 30 सितम्बर तक बाढ़ नियन्त्रण कक्ष सिंचाई विभाग में स्थापित किया गया है। जिस पर चौबीसों घण्टे बाढ़ एवं वर्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा जायेगा। राज्य मुख्यालय पर स्थित बाढ़ नियन्त्रण कक्ष का टेलीफोन नम्बर 0141-2227885, 0141-2227296, 0141-2227603 है।

क्र.सं.	कार्यरत कन्ट्रोल रूम	दूरभाष नम्बर
1	राज्य कन्ट्रोल रूम, जयपुर	1070, 0141— 2227296, 2227885, 5110869
2	अति. महानिदेशक राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर(SDRF)	0141—2603927
3	कमाण्डेंट पांचवी बटालियन आर.ए.सी. जयपुर	9829072299 / 0141—2640964, 2541420 फैक्स
4	कमाण्डेंट द्वितीय बटालियन आर.ए.सी. कोटा	0744—2350771, 2350775 फैक्स
5	डिप्टी कमाण्डेंट नारेली किशनगढ़, अजमेर (एनडीआरएफ)	9414005412, 9660822599
6	जिला कन्ट्रोल रूम,	1077, 2323557, 2325342
7	सिंचाई विभाग,	0744—2327648, 2320851
8	सहायक कमाण्डेन्ट बी. कम्पनी राज्य आपदा प्रतिसाद बल कोटा	9057589570
9	नगर निगम कोटा	2392201, 101, 2472355, 2472216
10	उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा	2327861, 2320297

2.6. विभिन्न विभागों के दायित्व

1. सिंचाई विभाग

- सुरक्षित स्थानों का चयन
- सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन
- वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना
- सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिये जाते हैं एवं होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे दिये जाते हैं।
- बाढ़ की स्थिति में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं इसलिए चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित बीमारियों में काम आने वाली दवाईयों का प्रचुर मात्रा में भण्डारण करके सभी चिकित्सालयों में आवश्यकता पड़ने पर दवाईयां काम में लिये जाने हेतु रिजर्व रख दी जावें।
- सिंचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलायन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।
- अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।
- उपलब्ध नावों की सूची
- तैराकों की सूची

2. चिकित्सा विभाग

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है।

आपात कालीन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक-एक रेपिड रेसपोन्स टीम का गठन करेंगे।

1. चिकित्सा अधिकारी	01
2. स्वास्थ्य निरीक्षक	01
3. मेल नर्स	01
4. एमपीडब्ल्यू	01
5. वार्ड बॉय	01
6. वाहन चालक मय वाहन	01

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पोन्स टीम तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी, गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् अस्पताल में भेजेगी एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

3. जन. स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घण्टे कार्यरत रहेंगे।
- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- पेयजल के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।
- समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान् मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएंगे।

कोटा जिले के बाढ़ राहत कार्यों के लिए सहायक अभियन्ता जन स्वार्ग अभियन्ता विभाग नगर खण्ड (उत्पादन एवं वितरण) कोटा को विभाग की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे। सहायक अभियन्ता, बाढ़ के समय जिला प्रशासन के निरन्तर सम्पर्क बनाये रखेंगे।

4. जिला रसद विभाग

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसिन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा। , पेट्रोल पम्प की सूची संलग्न है। खाद्य सामग्री के पैकेट्स तैयार करने के लिए तहसीलवार हलवाईयों की सूची संलग्न है।

5. पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग

- संभावित आपदा से प्रभावित पशुओं में संकामक रोग, कुपोषण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं नियन्त्रण हेतु जिला प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- मोबाइल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संकामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधिया उपलब्ध करायेगी।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप में तैनात करना।
- जोन प्रभारी संबंधित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालन जिला नियंत्रण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियंत्रण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी ही क्षेत्र की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर आपदा से उत्पन्न विकृतियां/समस्याओं से निपटने के लिए जोन प्रभारी एवं जिला पशुपालन नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

6. विद्युत विभाग

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रख रखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तुफान, भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियंता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।
- विद्युत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावें तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकरियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

7. पुलिस विभाग

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा

- कन्द्रोल रूम की संचार व्यवस्था वायरलैस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटी-बड़ी गाड़ी अच्छी स्थिति में दुरुस्त होनी चाहिये।
- कन्द्रोल रूम में 24 घण्टे की सेवायें कार्यरत होगी तथा आरएसी की टुकड़ियां तैनात रहेगी
- ये टुकड़ियां लाठी, ढाल गैस, गन, हथियारों से सुसज्जित हो।

8. एन.सी.सी./एन.एस.एस.

आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स व संबंधित स्टाफ घर-घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर जन जीवन को राहत पहुंचाने में मदद करेगा।

9. अग्नि शमन केन्द्र,

जिला मुख्यालय पर 02 अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जो नगर निगम कोटा के अधीन है। आग की स्थिति से निपटने के लिए 101, 108 पर तुरन्त टेलीफोन किया जा सकता है।

3. दुर्घटना :—

विज्ञान एवं तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है, जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है, परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानपी व तकनीकी खराबी के कारण दिन-प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं, उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घण्टे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे चार गुना अर्थात् 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिनमें बहुत से उम्रभर के लिये अपंग हो जाते हैं।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाये ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जा सके।

3.1 सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण :—

- गाड़ी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़
- गाड़ियों का अनुचित रखरखाव

3.2 दुर्घटना :

जिले में दुर्घटना संभावित सड़क क्षेत्रों का विवरण	दुर्घटना संभावित क्षेत्र
लाडपुरा	रा.रा.मा.सं. 12 व रा.रा.मा.सं. 76 कोटा से सांगोद मार्ग
सांगोद	कोटा—सांगोद—खानपुर मार्ग सम्पूर्ण, मार्ग सिंगल व क्षतिग्रस्त होने से।
रामगंजमण्डी	सुकेत से दरा के मध्य सुकेत।

3.3 दुर्घटना कार्य योजना :

दुर्घटनाएं कही भी किसी भी रूप में घट सकती है। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा निकटस्थ तहसील या उप जिला कलक्टर या जिला कलक्टर कार्यालय या निकटस्थ थाना या उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सूचित करें। यदि निकट में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हो तो निकटस्थ ग्राम के पटवारी, ग्राम सेवक, अध्यापक, ए.एन.एम., सरपंच, या अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को सूचित को सूचित करें ताकि वे आगे तुरन्त सूचना को सम्प्रेषित कर सकें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी मदद कर सकते हैं।

3.4 दुर्घटना से पूर्व :

सरंचनात्मक उपाय — दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गतिअवरोधक साईंन बोर्ड आदि लगाए जाएं।

3.5 गैर सरंचनात्मक उपाय :

- सड़क नियमों का पालना करें।
- तेज रफ्तारसे गाड़ी न चलायें।
- शराब पीकर गाड़ी न चलायें।
- हैलमेट पहने, सीट बैल्ट बांधे।
- बांई तरफ से ओवरट्रेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दाँई व बाँई ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें।
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाइट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दे।
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दे।

3.6 दुर्घटना के दौरान जिला प्रशासन का कर्तव्य :

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुँचाने की व्यवस्था करना ।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन ।
- अफवाहों को फैलने से रोकना ।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना ।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना ।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना ।
- हानि का आंकलन करना ।

3.7. चिकित्सा विभाग :

- जिले में चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की पर्याप्त व्यवस्था ।
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टॉफ की व्यवस्था करना ।
- एम्बूलेस का प्रबन्ध करना ।
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना ।
- दवाईयां व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना ।

3.8. पुलिस विभाग :

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना ।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना ।
- संचार व्यवस्था उपलब्धस कराना ।

3.9. रेल्वे विभाग :

- जनता तक सही सूचना पहुँचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करना ।
- चिकित्सा व्यवस्था करना ।
- एक्सीडेंट वैन की व्यवस्था करना ।
- खोज व बचाव दल का प्रबन्ध करना ।
- पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हे आर्थिक मदद देना ।

3.10. परिवहन विभाग :

- घायलों का पहुँचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना ।

3.11. सार्वजनिक निर्माण विभाग :

- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था ।
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एल.एन.टी. आदि की व्यवस्था करना ।

3.12. नगर पालिका/पंचायत :

- टैंटो की व्यवस्था ।
- पानी के टैंकरों की व्यवस्था ।
- अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था ।
- जनरेटरों की व्यवस्था ।
- मृतकों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था करना ।
- दुर्घटना स्थल पर साफ—सफाई की व्यवस्था करना ।

3.13. रसद विभाग :

- खाद्य सामग्री तथा भोजन पैकेटों की व्यवस्था करना ।
- केरोसीन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना ।

3.14. स्वयंसेवी संगठन :

- राहत व बचाव के कार्यों में प्रशासन की मदद करना ।
- पीड़ित लोगों को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना ।

3.15. जनता का कर्तव्य :

- दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करे तथा उसकों शीघ्र—अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुँचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जायें।

3.16. अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो :

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चुटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खोलने पर पता लगायें कि छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है या नहीं ।
- इसके लिए नाक या मुँह के सामने हाथ रखकर या कान को मुँह के पास ले जाकर महसूस करें तथा हाथ या गर्दन की नज़्म देखें।
- ये सभी काम पूरे शरीर उपर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द कर लें, नहीं तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा।

3.17. सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए :-

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें, जिससे जबान की रुकावट खत्म हो जाए ।
- ठोड़ी को आगे ले आए जिससे रुकावट खुल जाए ।

- जबड़े का नीचे का हिस्सा उपर की ओर उठाकर आगे कर दें ।
- इसी के साथ दौनों पैर एक-डेढ़ फीट ऊंचे करें । इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी ।
- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रुई से निकाल दें ।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुँह से मुँह लगाकर एक मिनिट में 15 से 18 बार सांस दे । यदि पेट में हवा भरती नजर आए तो हाथ से नाभि के ऊपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें ।
- मुँह से नाक द्वारा अथवा एयरवे या एम्बु रीसिटेटर से भी सांस दी जा सकती है ।
- यदि दिल की धड़कन रुक गई हो तो बंद मुट्ठी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें अथवा 4-5 सेमी. का दबाव डालते हुए एक मिनिट में 60-80 बार दबायें ।

3.18. यदि एक्सीडेंट में घाव हो गए हैं और खून बह रहा हो तो :-

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहें ।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दबाव डाले तथा दबाव बनाए रखें ।
- घायल भाग को स्थिर रखें ।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर रबर बैंड, ज्वनतदपुनर्मजद्ध या कपड़े से बंध लगा दे तथा उसे हर 30 मिनिट बाद ढीला करके फिर लगाएं ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े ।

3.19. यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे :-

- चक्कर तथा शिथिलता ।
- उल्टी होना ।
- ठंडी व गीली त्वचा ।
- बेहोशी ।
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना ।
- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएँ मंद हो जाना ।
- तो खून को बहने से फौरन रोकें । खून की कमी होने से होने वाली जटिलताओं के अलावा इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिक सदमा बढ़ता है ।
- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें ।
- पीठ के बल लिटा दें । सिर नीचा करके एक और झुका दें ।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें ।
- प्यास लगे तो पानी के धूट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें ।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएं ।

3.20. जलते हुए व्यक्ति का बचाव :-

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनिट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहे ।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज से ढक दें ताकि रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुँचायें ।

4. आग

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का रथान महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार के आपदा के उदाहरण हैं।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनायें प्रायः सामान्य बात हो गई हैं घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियंत्रित हो जाती है, क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल-मई में स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान कम नमी वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील धास-पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिंगारी पड़ने पर एवं कभी-कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं। बिजली शॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशु हानि, निजी सार्वजनिक परिस्थितियों को काफी क्षति होती है। जिले में अधिकतर अग्निकाण्ड रबी की सूखी फसल में बीड़ी या सिंगरेट की चिंगारी से लगती है।

4.1. जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्र :—

कोटा शहर में रीको आद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोलियम पम्प, छविगृह, कृषि उपज मण्डी, कोटा, रामगंजमण्डी, इटावा, सांगोद व चम्बल फर्टिलाईजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड गडेपान, गैस एजेन्सी आदि हैं।

4.2. अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएँ :—

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्ड के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती हैं, जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक, भयंकर रूप ले सकती हैं, लेकिन जिले में ज्वलनशील इकाईयों नहीं होने के कारण तथा अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों के भण्डारण नहीं होने के कारण यहाँ ऐसी संभावना कम है।

4.3. कार्य योजना :—

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है, ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्व कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

4.4. आग से बचने सम्बन्धी सावधानियाँ :—

1. बिजली

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।

- बिजली कभी डाईरेक्ट लाईन से ना ले ।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना लें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें।
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो ।
- बिजली के स्टोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल ,मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें ।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

2. रसाई घर

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थों का भण्डारण नहीं करना चाहिए ।
- गैस सिलेण्डर या नलची को समय—समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें , गैस की नलची आई.एस.आई मार्क ही होनी चाहिए ।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ों को ध्यान रखें।
- रसाई खुली व खिड़कीदार हो ।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूले ।
- अगर नलची में आग लग रही हो तो रेग्यूलेटर को बन्द करें , अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी ,फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लिकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुए रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें ।
- रसाई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें ।

3. गांवों व जंगल की आग के बचाव

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखे ।
- चिमनी, लालटेन, लेम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीड़ी, सिगरेट आदि के टुकड़ों को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फैंकें ।
- पिकनिक मनाते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें ।
- जंगल से रेल ,बस या कार आदि से गुजरते समय जलती बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फैंकें।
- घांस खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावें जिससे कि आग लगने का खतरा न हो ।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना ।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हो ।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो ।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिए जहां पर आसानी से मिल सके ।
- गांवों में अधिक बाड़े आदि नहीं होने चाहिए ।
- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नहीं फैंकने चाहिए ।
- खलिहानों या कच्चे छपरों के पास आतिशबाजी नहीं करें ।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें ।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें ।

- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अति आवश्यक है।
- गांवों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिए तथा उनका समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिए ।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर पार्टी की स्थापना की जावे, जहां घण्टी, फावड़े, बाल्टी, टॉर्च , रस्सी, खाली बोरियाँ, परात, नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि हो ।
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना ।
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना ।

4. हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट :-

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह जरूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बड़ी गाड़िया ऑराम से चारों तरफ घूम सके ।
- बिल्डिंग कोड रुड़की द्वारा पास, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना ।
- बिल्डिंग में दो स्टेपर केस (सीढ़ी) होना अति-आवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो ।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रों जैसे स्प्रीकलर डेन्चर, राईजर, हाईड्रेन्ट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए ।
- बिजली, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना ।
- जगह-जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना ।
- अपार्टमेंट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर से बचाव की ट्रेनिंग देना।
- फायर सर्विस से एन.ओ.सी. लेकर ही पेट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे ,जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़िया भी पहुँच सके ।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन ।
- पेट्रोल पम्प, सिनेमाघरों ,फैक्ट्रिया आदि में समय-समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना इत्यादि ।

5. आग लगने पर कार्यवाही :-

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/ जिला मुख्यालय को भेजेगा । सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुँचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे । तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार जो भी वरिष्ठतम् अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुँचेंगे तथा समस्त राहत /बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे । क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिले पर शीघ्रताशीघ्र स्थल पर पहुँचेंगे । स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त मौके के अधिकारी यह निर्णय लेंगे कि जिला मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तदनुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष समेकित आपदा प्रबन्ध समिति को सूचित करेंगे ।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल

घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया अथवा नहीं । यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल को तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा । इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूम तथा जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक को देगा ।

6. आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका :-

1. जिला कलक्टर

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण ।
- सूचना की प्रमाणिकता की ज्ञात करना ।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता ।
- विधि एंव व्यवस्था संबंधी समस्याएं ।

2. अग्निशमन केन्द्र :- नियंत्रण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों व कर्मियों की उपलब्धता ।
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन ।
- समीपवर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- आग से धिरे व्यक्तियों का बचाव ।
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री तथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर, सीढ़ी, मिट्टी के थेले आदि ।
- स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय ।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता ।

3. नागरिक सुरक्षा :-

- प्रशासन एवं जनता के साथ त्वरित संचार व्यवस्था ।
- प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना ।
- प्रभावित क्षेत्र समीप से जनता/जन सामान्य को हटाना ।
- अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की सहायता लेना ।
- डिविजन एवं पोस्ट एवं सेक्टर वार्डन को सूचित करना ।
- वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना ।

4. पुलिस :-

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना ।
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था ।

- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना ।

5. विद्युत :—

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल ।
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना ।

6. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग :—

- नियमित एवं अन्य स्त्रोतों से जल की उचित आपूर्ति ।
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता ।

7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी :—

- प्राथमिक उपचार ।
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना ।
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुँचाना ।
- औषधियों की व्यवस्था करना ।
- मेडिकल स्टोर / थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना ।
- चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता ।

8. गैर राजकीय संगठन :—

- स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना ।
- राहत शिविर लगाना ।
- सहायता सामग्री का वितरण ।

9. पशुपालन :—

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना ।
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों को कार्यरत करना ।

10. नगरपालिका / नगर निगम :—

- राहत शिविर(रेन बसेरा) का प्रबन्धन
- टैंट हाऊस की व्यवस्था करना ।
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकर स्थितियों की देखभाल
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं बड़े प्रतिष्ठानों की सूची बनवाना ।

11. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :—

- व्यापारियों व हलवाईयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना ।
- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण ।
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय ।
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना ।

7. आग लगने पर क्या करें, क्या न करें

क्या करें :—

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त नगर निगम कोटा को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें ।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें ।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुँच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुँह को गीले कपड़े से ढक ले ।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें ।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें ।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो , यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए ।

क्या न करें :—

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें ।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें ।

- लिफ्ट का प्रयोग न करें ।
- परिवार के सभी सदस्यों को आग से निपटने के लिए प्रशिक्षण दें ।

भूकम्पः—

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है । सामान्यतः भूगर्भिंग चट्टानों के विक्षोभ के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन को भूकम्प कहते हैं । जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से चारों ओर भू-तरंगे प्रवाहित होती हैं । अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि०मी० की गहराई का उत्पन्न होते हैं । जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उद्गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं । इस उद्गम केन्द्र के ठीक ऊपर भू-सतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं ।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयकांरी तबाही मचाता है । भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है । भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित सरंचनाओं को भी हानि पहुँचाती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है ।

26 जनवरी 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था । यह विगत 1650 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम् भूकम्प था । जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी दूरी पर था । इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये । राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गयी । इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जिसके 550 गांव पूर्णरूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये ।

4.5. भूकम्प के मुख्य कारण :—

- ज्वालामुखी क्रिया ।
- भूसंतुलन में अव्यवस्था ।
- जलीय भार ।
- भूपटल में संकुचन ।
- प्लेट विवर्तनिकी ।

भूकम्प की तीव्रता :-

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोसन कांऊसिल (बी.एम.टी.पी.सी.) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्शे तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (डैश) पर प्टण्ट तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि०मी० में महसूस होते हैं, जबकि IX.X तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूर किये जाते हैं।

1. क्षेत्र ट :- इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक के अनुसार प्ट या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।
2. क्षेत्र प्ट :- इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक पर डडटप्प सम्भावित है इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।
3. क्षेत्र प्प :- इस क्षेत्र में मरकरी मापक पर MMVII की तीव्रता का भूकम्प आ सकता है। इसे मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
4. क्षेत्र प :- इस क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता MMVI है। इसे संधोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।
5. क्षेत्र प :- इस क्षेत्र के लिए संशोधित मरकरी स्केल पर डडट या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इसे अत्यधिक नुकसान क्षेत्र भी कहते हैं।

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण भूकम्पों का प्रभाव	रिक्टर मापक परिणाम
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4.2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं के कम्पन	4.3
आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं	4.8
प्रबल	सभी लटकी वस्तरें हिलने लगती हैं	4.9 - 5.4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है	5.5 - 6.1
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती हैं, मकानों में दरार पड़ जाती हैं	6.2
विनष्टकारी	मकान धंस जो है। भूमि में दरारे पड़ जाती हैं। पाईप लाईने टूट जाती हैं।	6.2 – 6.9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती हैं। ढालों में भूस्खलन होता है।	7.0 – 7.3
अतिविनाशी	पुल, रेल्वे लाईने टूट जाती हैं। महान् भू-स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4 – 8.1
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धंसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8.1 से अधिक

5.2 भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :-

1. जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना ।
 - आपदा स्थल पर नियत्रण कक्ष की स्थापना करना ।
 - सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना ।
 - कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखना ।
 - प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचना ।
2. नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी. एन.एस.एस तथा स्काउट्स एण्ड गाइड्स
- स्वयं सेवीयों की उपलब्धता निश्चित करना ।
 - मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना ।
 - पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचना ।
3. पुलिस प्रशासन
- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना ।
 - वायरलेस आदि से सूचना पहुँचना ।
 - संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना ।
4. सार्वजनिक निर्माण विभाग
- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना ।
 - राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना ।
 - अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हे खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना ।
5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
- आश्रय स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना ।
 - लोगों को उपचार उपलब्ध कराना ।
 - बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुँचाना ।
 - चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टॉफ व दर्वाईयों उपलब्ध कराना ।

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थायें, नगर निगम, विद्युत, पशुपालन, दूरसंचार विभाग, सिंचाई विभाग, तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

5.3 क्या करे, क्या न करें :-

1. भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि भूकम्प के फलस्वरूप अधिकांश समस्यायें गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नहीं।
- अलमारियों में सिर से ऊँचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे । भारी गमलो वाले पौधों को झूलने हेतु नहीं लटकाए । किताब रखने की आलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती हैं।
- खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती हैं, उन्हे बिस्तर से दूर रखे । बिस्तर के ऊपर दर्पण, पिकचर फ्रेम आदि न लटकायें।

- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुँचा सकते हैं, उन्हे मजबूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामान मजबूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरन्त तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयों, आग बुझाने के उपकरण आदि को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुँच हेतु उपलब्ध रखें।

2. आपदा के दौरान व पश्चात

- शांत रहे, घबराएं नहीं।
- कांच, खिड़की, अलमारी, केबिनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज, पंलग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कौने में बैठ जाएं व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबों आदि से ढक ले ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वयं की रक्षा कर सकें।
- बाहर की तरफ तब तक ना जाये जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें। संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढ़ियों की ओर न भागे, क्योंकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वारा से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हो क्योंकि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर हैं तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ों एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रुके जब तक कंपन खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कंपन विस्तृत रूप में आ सकते हैं। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लिये सुरक्षित स्थान है। पत्थर की सरंचनाओं अथवा ऊँची इमारतों के नजदीक न रहें। फ्लाई ओवर, पुल के नीचे या ऊपर न रहें।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं, गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धसे हुए रास्तों एवं पुलों को अवश्य देखें।
- भूकम्प के झटके रुकने पर मलबे में फंसे लोगों को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करे तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस कन्ट्रोल रूम को दूरभाषर नम्बर 100 पर, अग्निशमन हेतु नगर निगम कोटा को दूरभाष नं 101 पर एवं रोगी वाहन हेतु टेलीफोन नं 108 पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कोटा को सूचना दें।
- आग की जांच करें।
- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- विद्युत को तब तक न जलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नहीं हो रही है।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात के झटकों के लिए तैयार रहे जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं एवं ये ही क्षतिग्रस्त / कमज़ोर ढांचों को अतिरिक्त हानि पहुँचा सकते हैं।

5.5 साम्प्रदायिक तनाव –

भारत वर्ष में अनेक धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एवं सामाजिक विद्वेषों तथा व्यक्तिगत झगड़ों के कारण छोट–छोटे झगड़े कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते हैं। जिसके कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव होने तथा प्रतिकूल प्रक्रिया होने की संभावना बनी रहती है। उपद्रव होने पर जन–धन राष्ट्रीय सम्पत्ति का काफी नुकसान होता है। वर्तमान में जिले में इस दृष्टिकोण से सभी सम्प्रदायों में आपसी सौहार्द है तथा सभी साम्प्रदायों के लोग आपस में एक दूसरे के त्यौहारों में बढ़ चढ़ कर सम्मिलित होते हैं। फिर भी यदि साम्प्रदायिक तनाव व दंगे हो जाये तो उन्हे कम करने हेतु जिला प्रशासन अपने स्तर पर शांति सभाओं का आयोजन करते हैं। जिनमें वह सभी समुदायों के प्रभावशाली लोगों को बुलाते हैं तथा उनसे अपने–अपने समुदाय के लोगों को समझाने हेतु अनुरोध करते हैं।

5.6 ओलावृष्टि –

ओलावृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, जिसका आंकलन पूर्व में नहीं किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है, जो औंधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई सुनिश्चित स्थान नहीं होता तथा यह हवा के रुख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षतिग्रस्त करते हुए निकलता है।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है। ओलावृष्टि से अनावश्यक व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आंकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निर्देशित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं व्यवस्थाएँ :–

यद्यपि ओलावृष्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है, जारे किसी भी क्षेत्र में कम–ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आंकलन भी तात्कालिक ही संभव है, ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षैत्रीय जनता से सम्पर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गांवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

5.7 बांध टूटना :-

सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई, उद्योगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु बांधो का निर्माण किया जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूँद-बूँद जल संग्रहित करने की परिपाटी रही है। इसी के फलस्वरूप प्रदेश की जनता, जो कि कृषि एपर निर्भर है। अपनी आजीविका चलाती है वहीं दूसरी ओर कभी-कभी अत्यधिक वर्षा की स्थिति में यही बांध इनकी आजीविका के साथ-साथ जान पर भी उतारू हो जाते हैं। जिसका कारण बांध के रख रखाव में लापरवाही बरतना होता है। बांधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

बांधों के रख रखाव के संबंध में आवश्यक है कि :-

- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अतिजल द्वारों की ग्रीसिंग की जानी चाहिए।
- जल निकास द्वारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसे—चेन, रस्सा, चाबी आदि की जांच स्वयं अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
- बांधों पर तैनात चौकीदारों को सावधान कर दिया जाना चाहिए एवं ड्यूटी शिफ्ट में बांट देनी चाहिए।
- पूर्व चेतावनी हेतु नियत्रण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।
- बांधों के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी सम्भावित आपदा हेतु तैयार किया जाना आवश्यक है।
- बांधों की दीवारों के कमज़ोर भागों की मरम्मत करवायी जानी चाहिए।

5.8 रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ :-

तीव्र औद्योगिक विकास के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएं जैसे : भोपाल गैस काण्ड और अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएं अहम हैं।

सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दौनों प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए तथा साथ मँक ड्रिल का होना भी आवश्यक है।

प्रभाव :- औद्योगिक दुर्घटनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित है :-

- जान की क्षति।

- घाव होना अथवा आग से जलना ।
- जहरीलें द्रवों/गैसों से बीमार होना ।
- माल की क्षति ।

साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है । जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि अपने स्तर पर आपदा से निपटे ।

5.9 तापघात एवं शीतघात :-

1. तापघात (लू)

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दौनो प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहां की जलवायु के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्र का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र हवाएं प्रवाहित होती है जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहा जाता है । वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है ।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है । मई में माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 39.70 डिग्री सें. से और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सें. से रहता है । जून में मध्य रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है । गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं, जिससे बैचेनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है । किसी-किसी दिन अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री से तक पहुँच जाता है ।

2. तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना ।
- सिर दर्द होना ।
- उल्टी होना ।
- जी मिचलाना ।
- आलस्य और थकान ।
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना ।

3. तापघात से बचाव के उपाय :

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाएं ।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें ।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें ।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकले, भूखे पेट न निकले ।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारों तरफ गीली पट्टी लपेट दें व पंखा करें ।
- व्यक्ति को आराम करने दें ।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करें या चेतना में बदलावे आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें ।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें ।
- अगर तंग कपड़े हो तो उन्हे ढीला कर दे अथवा हटा दें ।
- कम खाना खाये और अधिक बार खाये । अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आन्तरिक तापमान को बढ़ाता है । जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है ।

- यदि तबियत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें ।
- अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

4. जिला प्रशासन की जिम्मेदारी :

- लोगों को तापधात के लिए जागृत बनावे कि इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करें, क्या ना करें, की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बताई गई है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापधात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना ।
- दोपहर के समय होने वाले समारोह, जहाँ अधिक लोग एकत्रित हो, को रोका जाना चाहिए ।
- तापधात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें ।

5.10 शीतल तरंगे:-

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दौनों के तापमान मे तेजी से गिरावट आती है। जनवरी मे जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है, माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.2^0 सें. व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 5.8^0 सें. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं, तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

1. लोगों का क्या जानकारी दी जानी चाहिए ?

- ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें ।
- पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप कॉपने लगे या थकान महसूस करें, या आपनी नाक, अंगुलियाँ, एड़ीयाँ ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जाएं ।
- मौसम की स्थिति से सावधान रहे । मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है । ठंडी हवा बढ़ सकती है या बर्फ गिर सकती है।
- पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें । पानी का इंतजाम करें । सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौते संक्रमण से होती है।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें । घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें । भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमण रोकने के लिए पेय लें । गर्म पेय हैं, जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें । केफिन व मदिरा से परहेज करें ।
- अत्यधिक ठंडी श्वास से बचने के लिए मुँह को ढक कर रखें, गहरी सांस न ले और कम बोलें ।
- सूखे रहें । गीले कपड़े तुरन्त बदल लें, क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हैं।
- गर्म कम्बल या चद्द इस्तेमाल करें।

2. जिला प्रशासन की जिम्मेदारी –

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं, उनको जिला प्रशासन शारण स्थल देवें ।

- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें, जो बस स्टेप्ड, रेल्वे स्टेशन, बाजारों आदि पर खुले स्थानों पर शरण लेते हैं, उन्हे गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें ।
- कम्बल और भोजन बांटे ।
- गश्त पर मोबाइल टीम लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सके ।

नगर निगम कोटा प्राकृतिक आपदा (बाढ़) हेतु कार्य योजना

परिचय :—

कोटा शहर की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि कोटा के दक्षिण स्थित पठार का सम्पूर्ण पानी शहर की आबादी से होकर चम्बल नदी तक आता है। थोड़ी वर्षा भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है। कोटा शहर के कुछ क्षेत्र आकस्मिक स्थानीय बाढ़ से काफी प्रभावित रहते हैं। ऐसी आपदा का निवारण करने के लिए नगर निगम कोटा द्वारा आपदा के कारण होने वाली आम जन धन होनि को नियंत्रित करने एवं बाढ़ के दुष्प्रभाव से बचने तथा ऐसी आपदा से निपटने के लिए विभागीय स्तर पर कार्य योजना तैयार की गई है, जो निम्नानुसार है:—

बाढ़ के मुख्य कारण :—

1. कई दिनों तक लगातार बारिश होना।
2. कुछ समय के लिए तेज बारिश होना तथा मिट्टी द्वारा पानी सोखने की क्षमता कम होना।
3. नदी के अपने औसत स्तर से अधिक ऊपर तेजी से बहना।
4. बांध टूटना।
5. बादल फटना।
6. विभिन्न कारणों से जल प्रवाह में अवरोध होना।

बाढ़ के प्रकार :—

1. आकस्मिक स्थानीय बाढ़ :— थोड़े समय में अत्यधिक वर्षा होने तथा मिट्टी द्वारा पानी सोखने की क्षमता कम होने पर आकस्मिक बाढ़ आती है।
2. नदी की बाढ़ :— भारी वर्षा के कारण चम्बल नदी के अपने औसत स्तर से अधिक ऊपर बहने के कारण अथवा गांधी सागर से पानी अधिक मात्रा में छोड़े जाने के कारण बाढ़ की संभावना बनी रहती है।
3. बड़े नाले अथवा बांध की पाल टूटने से बाढ़ की संभावना बनी रहती है।

नगर निगम द्वारा बाढ़/अतिवृष्टि से पूर्व की तैयारी :—

1. नगर निगम कोटा द्वारा अग्निशमन केन्द्र सब्जीमण्डी पर दिनांक 15 जून, 2018 से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जावेगी। जहां पर आवश्यक यंत्र/उपकरण एवं वाहन उपलब्ध रहेंगे। उक्त नियंत्रण कक्ष से अतिवृष्टि आदि से संबंधित सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जावेगी। आवश्यक सेवा संबंधित अनुभागों को किसी भी प्रकार की आपदा का सामना किये जाने हेतु नगर निगम के विभिन्न अनुभागों को सदैव तैयार रखा जावेगा। जिसमें जनस्वास्थ्य शाखा, निर्माण शाखा, विद्युत शाखा, नल अनुभाग, गैरिज एवं फायर आदि प्रमुख हैं।
2. अतिवृष्टि के दौरान जल मग्न होने वाले क्षेत्र में आम जनता को मंदिर एवं मस्जिद में हुए माईक से सूचना प्रसारित किये जाने हेतु चिन्हित किया गया है एवं संबंधित क्षेत्र में वाहनों के माध्यम से मुनादी करवायी जाएगी।

A अतिवृष्टि के दौरान शहर में पानी भरने वाले सम्भावित क्षेत्र निम्नानुसार चिन्हित किये गए हैं।

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. अनन्तपुरा तालाब बस्ती | 2. प्रेमनगर कच्ची बस्ती | 3. हरिजन बस्ती नयापुरा |
| 4. जवाहरनगर | 5. विज्ञाननगर | 6. देवली अरब (रायपुरा) |

B कोटा बैराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने पर निम्नलिखित स्थान प्रभावित होते हैं :—

क्र.सं.	प्रभावित स्थान	क्र.सं.	प्रभावित स्थान
1	नयापुरा, चम्बल नदी छोटी पुलिया	2	करबला खाई रोड
3	मथुराधीश जी का घाट	4	खाई रोड
5	पुराना बस स्टेण्ड	6	गांवडी
7	बालिता क्षेत्र	8	दोस्तपुरा आदि

3. नगर निगम कोटा के बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर बाढ़ बचाव दल 24 घण्टे उपलब्ध रहेगा। इसके प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी होंगे। बाढ़त्र बचाव दल हेतु उपकरण/वाहन इत्यादि नियंत्रक कक्ष पर उपलब्ध रखे जावेंगे।
4. निगम के उपरोक्त अनुभागों हेतु आवश्यक सुविधाओं को पूर्ण रखा जावेगा। जिनमें डीजल, ऑयल, पेट्रोल, वाहन, मिट्टी के कट्टे आदि होंगे।
5. संभावित महामारी अथवा अन्य मौसमी बीमारी से निपटने के लिए आवश्यक दवाईयां एवं कीटनाशक की व्यवस्था रखी जावेगी।
6. आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार शहर में स्वच्छ पेयजल उपलब्धकराये जाने हेतु पानी के टैंकर की व्यवस्था रखी गई है।
7. बाढ़ के दौरान सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय नागरिकों का बचाव है। बाढ़ की सम्भावना होने पर तुरन्त प्रभाव से सम्भावित क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भिजवाया जाएगा। इस हेतु अतिवृष्टि होने पर जलमग्न होने वाले क्षेत्र के निवासियों के लिए आश्रय स्थल चिन्हित किये गये हैं।
8. अतिवृष्टि होने पर संबंधित क्षेत्र के निवासियों हेतु आवश्यक सुविधाओं के लिए संबंधित को चिन्हित किया गया है, जिसमें हलवाई, टेन्ट, पाईप विक्रेता, अस्पताल आदि को रखा गया है।
9. अतिवृष्टि होने पर प्रभावित होने वाले क्षेत्र के निवासियों से संबंधित क्षेत्र खाली करवाये जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित क्षेत्र को खाली करवाया जाकर जान माल की रक्षा की जा सकेगी।
10. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए जीप, ट्रैक्टर का प्रबन्ध किया गया है जो दो तीन फुट तक के पानी में परिवहन व्यवस्था के काम आ सके। इस हेतु नगर निगम में अनुबंधित किये गये वाहनों के संवेदकों को पाबंद किया गया है।
11. पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था रखी जावेगी। इस हेतु नगर निगम की गौशाला में चारा सप्लाई करने वाले ठेकेदारों को पाबंद किया गया है।
12. रानपुर व लखावा बांध के मध्य छिद्रान्वेषी व सुरक्षित क्षेत्र की शिनाख्त नगर निगम के निर्माण शाखा के अभियन्ताओं से करवाई जाकर यदि आवश्यक होगा की वर्षा से पूर्व मरम्मत करवा दी जाएगी।
13. नगर निगम के विद्युत अनुभाग द्वारा सम्भावित बाढ़ की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए रोड लाईट के बिजली के तारों को समय समय पर निरीक्षण करवाया जाकर इनकी मरम्मत करवायी जाएगी।
14. सम्भावित बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में बचाव दल के रूप में स्वयंसेवी संगठनों की सूची तैयार की गई है।
15. जिन स्थानों पर उचित रूप से पानी बहाव न होता हो व पानी रुके रहने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती हो ऐसे स्थानों से पानी निकालने हेतु मड़ पम्प व डी वाटरिंग पम्प की व्यवस्था की गई हैं।
16. बाढ़ के दौरान पालतु जानवरों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था किये जाने हेतु काऊ केचर व डॉग वैन की व्यवस्था की गई है।
17. बाढ़ के समय बाढ़ से प्रभावितों को भोजन पैकेट की व्यवस्था जिला रसद विभाग द्वारा की जाएगी। फिर भी निगम द्वारा शर के विभिन्न हलवाईयों की सूची तैयार कर ली गई है एवं निगम के केन्द्रिन ठेकेदारों को भी पाबंद किया गया है।
18. कोटा बैराज से भारी मात्रा में जल निष्पादन किये जाने पर छूब में आने वाले क्षेत्रों में खतरे के निशान के अनुसार चिन्हिकरण कर लिया गया है। सूची 30/C पर संलग्न की गई है।

19. निगम द्वारा शहर में ऐसे मकानों का चिन्हितकरण करवाया जाएगा जो जीर्ण—क्षीण स्थिति में हो । विशेष तौर पर पुरानी बस्ती जो मकान खस्ता हालात में है, जैसे रामपुरा कोतवाली, रेतवाली, चन्द्रघटा आदि ताकि ऐसे मकानों को धारा 200 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा सके । जिससे किसी प्रकार की जानमाल की हानि न हो सके ।
20. शहर के विभिन्न पिकनिक स्थलों पर चेतावनी/सूचक पटिटकाएँ लगवाई जाएंगी । बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर शिकायत पंजिका संधारित की जावेगी । जिसमें प्राप्त शिकायतों का विवरण एंव उनका समाधान दर्ज किया जावेगा । इस हेतु बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर दूरभाष क्रमांक 0744-2392201 स्थापित है तथा समस्त संबंधित कर्मचारियों के पास मोबाईल फोन है । बाढ़ बचाव संबंधित तैयारियों की मॉक-ड्रिल समय समय पर आयोजित की जावेगी ।

बाढ़/आपदा के समय की कार्यवाही :-

1. अतिवृष्टि होने पर अथवा कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने पर यदि बाढ़ की स्थिति बनती है तो उपरोक्तानुसार बचाव कार्यवाही की जावेगी । आपदा की स्थिति में नगर निगम के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश निरस्त कर दिये जावेगे ।
2. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था तत्काल बंद करवाई जाएंगी । जिससे की पानी में विद्युत प्रवाह न हो सके ।
3. जहरीले जन्तुओं के प्रति सतर्क रहने हेतु आम जनता को सूचित किया जाएगा ।
4. सुरक्षित जल व खाद्य सामग्री को ही प्रयोग में लिये जाने का प्रचार—प्रसार किया जाएगा ।
5. यदि कोई व्यक्ति बहते पानी में आ जाए जहां पानी उनके घुटने से ऊपर हो तो उसके तुरन्त रोका जाकर वापस जाने हेतु कहा जाएगा ।
6. अधिकतर दुर्घटनाएँ बाढ़ के पानी में तैरने व खेलने से होती है । अतः ऐसे स्थानों से आम नागरि व बच्चों को दूर रखा जाएगा । यह कार्य स्वयं सेवा संस्थाओं के स्वयं सेवकों से करवाया जाएगा ।
7. यदि कोई व्यक्ति चूकवश बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की ओर जाएगा तो उसे रोका जाएगा साथ ही ऐसे स्थानों से तमाशगीरों को भी दूर रखा जाएगा ।
8. वर्षा के दौरान शहर में निर्माणधीन अथवा पुराने जीर्ण—शीर्ण अवस्था के मकान गिराने/धराशाही होने की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू टीम व अन्य संसाधनों को मौके पर भिजवाया जाकर यदि उसमें कोई व्यक्ति फंसा है तो उसको तुरन्त निकलवाने की कार्यवाही/ किसी प्रकार का अवरोध न हो इस हेतु मलवा हटाने की कार्यवाही की जावेगी ।

बाढ़/आपदा के पश्चात् की जाने वाली कार्यवाही :-

1. बाढ़ आने के बाद जल स्तर कम अथवा समाप्त होने पर जहां पर गन्दगी, गन्दा पानी आदि होगा वहां पर तुरन्त सफाई करवाई जाकर आवश्यक कीटनाशक व अन्य दवाईयों का छिड़काव करवाया जाएगा ।
2. सड़क, भवन, गड्डे, गिरे हुए वृक्ष, क्षतिग्रस्त विद्युतपोल, तार आदि को तत्काल हटवाये जाने की कार्यवाही की जाएंगी ।
3. बरसात व बाढ़ की स्थिति में मरे हुए जानवरों को उठाने के लिए उनके गड्डों में दफनाने के लिए माकूल इंतजाम भी नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी एंव मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा निष्पादित किया जावे एंव मृत पशुओं को तत्काल हटवाया जाएगा । ताकि कोई बीमारी आदि न फैल सके ।
4. बाढ़ के दूषित पानी से कई बीमारियां फैल जाती हैं । अतः आपदा प्रभावित क्षेत्र से स्थानीय नागरिकों को अन्यत्र स्थान पर भिजवाया जाएगा । क्योंकि उनकी उपस्थिति अन्य राहत कार्यों में व्यवधान डाल सकती है तथा दूषित पानी व संक्रमित रोग उन पर असर डाल सकते हैं ।
5. बाढ़ प्रभावित इमारतों से स्थानीय निवासियों को दूर रखे जाने हेतु कहा जाएगा क्योंकि बाढ़ के पानी से कई बार इमारतों की नींव कमजोर हो जाती है व उनके ढह जाने का खतरा बढ़ जाता है ।
6. लीक होती गैस व शॉर्ट सर्किट अन्य ऐसी विपदाएँ हैं जो बाढ़ के कारण बढ़ सकती हैं । बाढ़ के तुरन्त बाद विद्युत व्यवस्थाएँ चालू नहीं करवाई जावे क्योंकि इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है ।
7. जहां भी संभव हो लोगों व जानवरों को मूल क्षेत्र में पुनः स्थानान्तरित करवाया जाएगा ।
8. प्रभावित खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों को हटाने व नष्ट करने की व्यवस्था करवाई जाएंगी ।

9. बाढ़ में यदि कोई मकान ढह जाता है तो उस स्थान से पानी हटाने के बाद वहां से मलवा इत्यादि हटवाया जाकर तत्काल सफाई करवा दी जाएगी।

नगर निगम कोटा

श्रीमान जिला कलेक्टर (सहायता) महोदय कोटा के पत्र क्रमांक /सहायता/बाढ़/2018/ दिनांक...
..... में बाढ़ राहत कार्यों के तैयारी हेतु बैठक दिनांक 26.05.2018 के निर्देशानुसार 15 जून, 2018 से बाढ़ नियंत्रणकक्ष 24 घण्टे चालू रखने के निर्देश की पालना में दिनांक 15.06.2018 से बाढ़ नियंत्रण कक्ष पूर्व की भाँति अग्निशमन केन्द्र कोटा (सब्जीमण्डी के पास) बनाया गया है। जिसके फोन नं. निम्न प्रकार है :— बाढ़ नियंत्रण कक्ष फोन नं 0-2392201, 101, 2472355, 2472216 (श्रीनाथपुरम फायर स्टेशन)

1. बाढ़ नियंत्रण अधिकारी उपायुक्त (विज्ञान नगर जोन) नगर निगम कोटा को बनाया गया है।
2. बाढ़ प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम कोटा को बनाया गया है।
3. श्री राकेश व्याव, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक सहायक बाढ़ प्रभारी होंगे।
4. समस्त जोन उपायुक्त बाढ़ नियंत्रण कक्ष के सम्पर्क में रहेंगे एवं अपने—अपने क्षेत्र की बरसात के समय उत्पन्न समस्या का तत्काल समाधान करेंगे।
5. सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक, बाढ़ नियंत्रण कक्षमें उपलब्ध करवाये गए गोताखोर एवं श्रमिकों से आवश्यकता एवं सी.एफ.ओ. के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करवायेंगे।
6. श्री बृजमोहन सैनी, श्री देवेन्द्र गौतम व श्री अब्दुल सलाम, सब्जीमण्डी अग्निशमन केन्द्र पर (अधिक वर्षा की स्थिति में) सदैव उपस्थित रहेंगे तथा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
7. एक—एक कनिष्ठ अभियन्ता को पारीबद्ध बाढ़ नियंत्रण कक्ष में लगायागया है जिसकी व्यवस्था अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) करेंगे।
8. बाढ़ नियंत्रण कक्ष हेतु एक लिपिक प्रतिपारी उपलब्ध रखा जायेगा। जो कि समस्त अभिलेख का संघारण करेंगा एवं प्राप्त शिकायतों का निवारण किए जाने हेतु संबंधित को सूचित करेगा।
9. स्वास्थ्य अधिकारी आवश्यकतानुसार श्रमिक सब्जीमण्डी बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर उपलब्ध करवायेंगे।
10. बाढ़ नियंत्रण कक्ष में अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक) प्रत्येक पारी में एक ट्रेक्टर एक जे.सी.बी. व बरसात के समय आवश्यक वाहन व स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। श्रीमुरली विजय रात्रिकालीन में वाहनों संबंधित व्यवस्था करेंगे।
11. दो शासकीय वाहन व दो ड्राईवर मय माईक के गैराज पूल प्रभारी बाढ़ नियंत्रण कक्ष में तैनात रखेंगे व आवश्यकता पड़ने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता की स्वीकृति लेने पर किराये के वाहन की आपूर्ति करेंगे।
12. मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रत्येक पारी में गोताखोर व नाविक सिविल डिफेन्स से व्यवस्था करावेंगे व तीन छोटी नाव रखेंगे व एक—एक प्रत्येक पारी में डीजल पम्प मैकेनिक अनुभवी जो पम्प एवं जनरेटर चला सके बाढ़ नियंत्रण हेतु व्यवस्था करेंगे। गोताखोर श्री प्रदीप तूम्बा, बाढ़ कन्ट्रोल रूम में तैनात रहेंगे।
13. एक लाईनमेन तथा एक हेल्पर की व्यवस्था अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर व्यवस्था करेंगे व इमरजेन्सी लाईट, जनरेटर व अन्य विद्युत से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे व आवश्यकता पड़ने पर जनरेटर मय उपकरण के बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर उपलब्ध करायेंगे।
14. समस्त अनुभाग अधिकारी अपने—अपने संसाधन पूर्ण तैयार रखेंगे व अधीनस्थ कर्मचारियों, ठेकेदारों एवं कामगारों के फोन नम्बर पते आदि तैयार रखेंगे तथा अपने अपने निवास के फोन नम्बर, मोबाईल आदि को ऑन रखेंगे जिससे किसी भी आपदा के समय संचार व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
15. बाढ़ आने पर समस्त अनुभाग अधिकारी बबाढ़ से जुड़े समस्त कर्मचारी व अग्निशमन दल के समस्त कर्मचारियों को पाबन्द किया जाता है कि तेज बारिश व आपदा के समय वह स्वयं नियंत्रण कक्ष में उपस्थित हो जावे व व्यवस्था व आपदा को निष्पादित करें।
16. एक रेस्क्यू वैन जिसमें नाव, रस्से, सोहरे—बिलाई, लाईफ जेकेट, लाईफ बाय, पोर्टेबल पम्प, ट्यूब, ड्रेगन लाईट, जनरेटर, हेलमेट, गम्बूट, टेन्ट आदि उपकरण एवं गोताखोर सहित उपलब्ध रहेंगी।
17. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार शहर के सभी बडे व छोटे नालों की सफाई व आने वाले अवरोध अतिक्रमण आदि को हटाने का कार्य मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक एवं सम्बन्धित क्षेत्र के एस.आई. व प्रभारी

अतिक्रमण विभाग सहयोग कर बाढ़ व्यवस्था में सहयोग करेगें व सफाई कर्मचारियों को पारीबद्ध तैनात रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कार्य किया जा सके।

18. संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) पाबंद करें व अपने क्षेत्र में ऐसे मकान चिन्हीकरण कर चिन्हित करेगें जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हों। विशेष तौर पर पुरानी बस्ती में जो मकान खस्ता हालत में है, जैसे रामपुरा, कोतवाली, रेतवाली, चन्द्रघटा आदि ताकि ऐसे मकानों को धारा 200 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा सके जिससे किसी प्रकार जानमाल की हानि न हो सके।
19. बरसात व बाढ़ की स्थिति से मरे हुए जानवरों को उठाने के लिए उनकों गड्डों में दफनाने के लिए माकूल इंतजाम भी नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी एवं मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा निष्पादित किया जावे ताकि कोई बीमारी आदि न फैले व संबंधित ठेकेदार को मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रभारी पाबंद करे कि वह अपना संचालन सुव्यवस्थित रखें।
20. आंधी, तूफान व बाढ़त्र के दौरान शहर में गिरे पेड़ों को उद्यान अधीक्षक द्वारा टीम भेजकर करवाने हेतु हटाने का कार्य किया जाएगा।
21. अधिशाषी अभियन्ता (निर्माण) पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के कट्टों की बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर व्यवस्था करेंगे।
22. राणाप्रताप सागर बांध से पानी छोड़े जाने पर वह पानी अत्यधिक वैग से मात्र डेढ़ घण्टे में ही कोटा बैराज पहुँच जाता है। अतः बाढ़ नियंत्रण कक्ष से सूचना प्राप्त होते ही समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल प्रभाव से अपने—अपने कार्यस्थल पर पहुँच कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(अ) सिविल अनुभाग:-

अनुभाग अधिकारी समस्त अधीनस्थ ठेकेदारों व उनके कर्मचारियों के पते व फोन नं० की जानकारी रखेंगे व आवश्यकता पड़ने पर बाढ़ टीम प्रभावित क्षेत्र का कार्य निर्देशानुसार निष्पादित करवायेंगे। इसके लिये विभागीय, कारीगर बेलदारों को भी तैयार रखेंगे व 100 कट्टे सीमेन्ट, बजरी रोड़ी, गिट्टी, व रेत कान्ट्रेक्ट भी सुनिश्चित रखेंगे जिससे मां पर तुरन्त उपलब्ध लाईन में समस्त खुले मने होल बारिश से पूर्व तथा 20 जून से पहले मेन होल पर ढक्कन सुनिश्चित करेंगे अन्यथा किसी प्रकार की दुर्घटना के लिए संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता पूर्ण जिम्मेदार होंगे। शहर वास-पास के पर्यटन स्थल (पिकनिक स्पॉट) पर वर्षा से पूर्व चेतावनी बोर्ड लगवायेंगे। लखावा एवं रानपुर तालाब के बांधों का समय से पूर्व निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही कराई जावेगी। लखावा तालाब पर 1000 मिट्टी के कट्टे एवं आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ब) जन स्वास्थ्य अनुभाग :-

अपने—अपने कार्य क्षेत्र के अनुभाग अधिकारी सफाई कर्मी, ट्रेक्टर ट्रोली स्वास्थ्य निरीक्षक व अधीनस्थ कर्मचारियों के कामगारों को सूची तैयार व व्यवस्थित स्थिति में रखेंगे व पूर्ण नियंत्रण के जिम्मेदार होंगे। भारी बारिश की चेतावनी आने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी अपने—अपने कार्य क्षेत्र में पहुँच कर सी.एस.आई. को रिपोर्ट करेंगे व व्यवस्था देखेंगे। बाढ़/वर्षा के कारण जो पानी, कीचड़, मलवा, गंदगी आदि रोड़/रास्ते पर छोड़ जाती है उसके साफ कराकर वहां डीडीटी/जला हुआ तेल, मच्छर मारने की दवा छिड़कने का दायित्व पूरा करेंगे। जन स्वास्थ्य विभाग अपने—अपने उपकरण गम्बूट, फावड़े, तगारी व अन्य बाढ़ से जुड़े उपकरण तैयार रखेंगे जिससे बाढ़ के साथ—साथ महामारी से भी निपटा जा सके व सी.एस.आई यह भी सुनिश्चित करेंगे की कोई भी मरा हुआ जानवर/पशु आवासीय कोलोनी में ज्यादा देर तक नहीं पड़ा रहे। अपने—अपने क्षेत्र के सी.एस.आई./एस. आई पूर्ण जिम्मेदार होंगे। वर्षा का पानी बस्तियों में भरने इकट्ठा होने पर उसे मड़ पम्प लगवाकर निकलवाने की कार्यवाही करेंगे।

(स) नल विभाग :-

अनुभाग अधिकारी/प्रभारी हेण्डपम्प व जल पेयजल व्यवस्था वाले पाइन्ट्स को सुनिश्चित करेंगे व चालू हाल में रखेंगे / जरूरत पड़ने पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में टेंकर के जरिये पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे व पीएचईडी विभाग से समन्वय बनाये रखेंगे तथा सबर्मर्सिबल पम्प तैयार रखेंगे जिससे पानी निकालने में मदद मिल सके।

(द) विद्युत अनुभाग :-

विद्युत विभाग अधिकारी/प्रभारी समस्त विद्युत व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे व स्ट्रीट लाईट, पैनल व किसी भी ज्वाइंट के लीक होने पर किसी भी जन हानि नहीं होवे इसे सुनिश्चित करेंगे व एक जनरेटर बाढ़ नियंत्रण कक्ष में विद्युत व्यवस्था बनी रहे व दो कुशल कामगार प्रत्येक पारी में बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर उपलब्ध करवायेंगे व इमरजेन्सी लाईट की भी व्यवस्था करेंगे। बाढ़ की स्थिति होने पर प्रभारी/अधिकारी स्वयं मौजूद रहेंगे व विद्युत व्यवस्था बनी रहे ऐसे समुचित उपाय करेंगे। हेण्ड ग्लोब व गम्बूट सुरक्षा उपकरण जैसे टेस्टर, पेचकस व टूल बॉक्स की बाढ़ नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध करायेगे।

(व) उद्यान अनुभाग :— उद्यान अधीक्षक 15 जून से 15 सितम्बर, 2018 तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर तीनों पारियों में कारपेन्टर मय स्टाफ के व्यवस्था करेंगे ताकि आंधी—तूफान से गिरे पेड़ों को जो रास्तों को अवरुद्ध कर देते हैं, उन्हे वहां से हटाया जा सके।

आश्रय स्थलों की सूची

क्र.सं	नाम आश्रय स्थल
1	हिन्दू धर्मशाला आर्य समाज रोड, कोटा
2	मल्टीपरपज स्कूल गुमानपुरा कोटा
3	वोकेशनल स्कूल नयापुरा कोटा
4	कामर्स कॉलेज तलवंडी कोटा
5	महिला पोलोटेक्निक कॉलेज विज्ञान नगर
6	गर्ल्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल विज्ञान नगर
7	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सामुदायिक भवन चम्बल गार्डन के सामने कोटा
8	महर्षि गौतम सामुदायिक भवन श्रीनाथपुरम कोटा
9	कोटिल्य सामुदायिक भवन टीचर्स कॉलोनी कोटा
10	रैन बसेरा नयापुरा स्टेप्ड के पास
11	सामुदायिक भवन विज्ञान नगर कोटा
12	राजकीय माध्यमिक विद्यालय महावीर नगर कोटा
13	राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय दादाबाड़ी
14	राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय दादाबाड़ी
15	राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय केशवपुरा कोटा
16	न्यास द्वारा निर्मित खाली आवास गृह दुकाने जिनका आवेदन नहीं हुआ है।
17	राजकीय विद्यालय गांवड़ी
18	राजकीय मानटेंसरी स्कूल, नयापुरा
19	संत तुकाराम सामुदायिक भवन, कुन्हाड़ी
20	काला बादल सामुदायिक भवन, आरकेपुरम कोटा
21	लोड बुद्धा सामुदायिक भवन, आरकेपुरम कोटा।
22	अशोक पार्क के पास सामुदायिक भवन विज्ञान नगर कोटा।
23	अंसारियान समाज सामुदायिक भवन साजीदेहडा कोटा।

कोटा शहर के मुख्य नालें

क्र.सं	नाला	सेक्टर नं.	निरीक्षक का नाम	मोबाईल नं
1	माला रोड़ वाला नाला	1	श्री सत्यनारायण खौड़ा	98299-61453
2	राम मंदिर स्टेशन	2	श्री सुरेश पचेरवाल	98291-02223
3	नयापुरा बस स्टेण्ड का नाला	3	श्री	78915-12408
4	कुन्हाड़ी नान्ता का नाला	4	श्री रामभजन	97845-18944
5	कर्बला का नाला	5	श्री हरीश घोष	93527-55542
6	गुलाबबाड़ी का नाला	5	श्री हरीश घोष	93527-55542
7	मोहन टाकीज नाला	5	श्री हरीश घोष	93527-55542
8	चश्मे की बावड़ी	6	श्री हरीश घोष	93527-55542
9	पाटनपोल का नाला	6	श्री हरीश घोष	93527-55542
10	साजीदेहड़ा वाला नाला	7	श्री प्रकाश महाराजा	78915-12414
11	हनुमान कच्ची बस्ती का नाला	8	श्री प्रह्लाद कुमार	97845-18944
12	आर.ए.सी. गोदावरी धाम नाला कॉलोनी	8	श्री प्रह्लाद कुमार	97845-18944
13	बालाकुण्ड से जवाहर नगर नाला	9	श्री विनय जैन	78915-17371
14	श्रीनाथपुरम से दादाबाड़ी विस्तार	10	श्री विनय जैन	78915-17371
15	महावीर नगर प्रथम से आई.एल. कॉलोनी	11	श्री हरीश घोष	93527-55542
16	तलवंडी का नाला	11	श्री हरीश घोष	93527-55542
17	अनन्तपुरा	11	श्री हरीश घोष	93527-55542
18	झालावाड़ रोड विज्ञान नगर पश्चिम से छत्रपुरा	12	श्री धनराज कछावा	98870-97181
19	छावनी-रामचन्द्रपुरा में मुख्य नाला	13	श्री प्रकाश महाराजा	78915-12414
20	डी.सी.एम. का नाला	14	श्री कमलेश धामुनिया	98877-55605
21	बजरंग नगर से रेल्वे लाइन का नाला	15	श्री	78915-12408

बाढ़ प्रबंधन के लिये मोबाईल टीम के रूट

बाढ़ प्रबंधन के लिए मोबाईल टीम के रूट हेतु निम्नलिखित टीम का गठन किया गया है, इसके प्रभारी अधिकारी, श्री सुभाष अग्रवाल, अधिशाषी अभियन्ता होंगे।

टीम प्रथम

1. स्वास्थ्य निरीक्षक (ए टीम)

- अ. श्री सत्यनारायण खौड़ा
- ब. श्री सुरेश पचेरवाल
- स. श्री मोहम्मद युनुस

चंद्रघटा चश्मे की बावड़ी रामपुरा से प्रारंभ होकर फतेहगढ़ी का नाला खाई रोड़ गेट से निकलकर कालपुरा, नयापुरा, दोस्तपुरा, खण्ड गांवड़ी खेड़ली, राधाकृष्ण मंदिर मानसिंह का नाला, संतोषी नगर का नाला, नेहरू नगर का नाला, जे.पी. कॉलोनी, बापू कॉलोनी का नाला व माला फाटक, महात्मा गांधी कॉलोनी से चन्द्रसेल नदी की ओर जाने वाले नालों के बहाव के सम्बंध में मौके की स्थिति का निरंतर वर्णन करते रहेंगे।

टीम द्वितीय

2. स्वास्थ्य निरीक्षक (बी टीम)

- अ. श्री चन्द्र प्रकाश चतुर्वेदी
- ब. श्री रामभजन
- स. श्री धनराज कछावा

भट्टजी घाट के बालाजी, किशोरपुरा गेट, गंधी जी की पुल, सुभाष चौक गुमानपुरा बंजारा कॉलोनी मोहन ढोली का नाला, गोरधनपुरा का नाला, छावनी का नाला, सूर्य नगर, गोविन्द नगर, सूर सागर, रायपुरा आदि को देखते हुए रामपुरा लौटेंगे।

टीम तृतीय

3. स्वास्थ्य निरीक्षक (सी टीम)

- अ. श्री प्रकाश महाराजा
- ब. श्री प्रहलाद कुमार
- स. श्री विजय कुमार जैन

किशोरपुरा गेट से साजीदेहड़ा का नाला, जवाहर नगर का नाला, दादाबाड़ी पी.एन.टी. कॉलोनी का नाला, आल्हा उदल पार्क का नाला, संतोषी नगर, सुभाष नगर, रामधाम का नाला, तलवण्डी कॉमर्स कॉलेज, विज्ञान नगर ई.एस.आई. हॉस्पिटल के पास का नाला, जो एरोड्राम की तरफ जाता है। इन नालों का निरीक्षण करते हुए मौके की स्थिति से निरंतर उच्च अधिकारियों को पानी की स्थिति से अवगत कराते रहेंगे।

बाढ़ के समय इमरजेंसी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ :-

1	डॉ. विजय सरदाना प्राचार्य एम.बी.एस.	2450241, 2450242, 9414182141
2	डॉ. गिरिश वर्मा, प्राचार्य, न्यू मेडिकल कॉलेज	2470674, 9828095663
3	डॉ. आर.के.लवानिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	2329259, 9929944643 / 9530390404
4	रामपुरा सेटेलाईट अस्पताल कोटा	2381354, 2380768, 2381406
5	एम्बुलेंस सेवा	108,
6	कोटा ब्लड बैंक बसंत बिहार कोटा	2402010
7	ब्लड बैंक (एम.बी.एस.)	2422939
8	जेके लोन अस्पताल	2327924, 2450241
9	निःशुल्क रोगी वाहन (करणी विकास)	2363741
10	ई.एस.आई. अस्पताल	2427946
11	हेल्प लाईन स्टेडियम श्रीनाथपुरम विज्ञान नगर मुख्यालय रामपुरा जोन	2502126 2320944
12	नगर निगम पी.बी.एक्स रामपुरा	2380211, 2392209
13	नगर निगम पी.बी.एक्स दशहरा मैदान	2502768
14	मुर्दा मवेशी ठेकेदार	9829595504, 9214049786, 9828049786

टोल फ्री नं. :— 18001806101

कोटा शहर में मोटर बोर्ड धारक ठेकेदार

क्र.स	नाम	मोबाइल नम्बर
1.	श्री तौमर जी	98280—79769
2.	श्री आशिष जी	98285—01888
3.	श्री बनवारी जी	80946—93116

कोटा जिला एवं शहर में सम्भावित अतिवृष्टि/बाढ़ बचाव कार्य की कार्य योजना

क्र. सं.	नाम विभाग	कार्य का विवरण	नियंत्रण कक्ष	प्रभारी अधिकारी का नाम, पद, टेलिफोन नम्बर			विशेष विवरण
				नाम पद	कार्यालय	निवास	
1	नगर निगम	<p>1. नालों नालियों की सफाई व्यवस्था</p> <p>2. शहर के अन्दर सफाई की व्यवस्था</p> <p>3. चिन्हित क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के साधनों की व्यवस्था करना</p> <p>4. जल प्रवाह मार्गों नालों में अतिक्रमणों का चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना / हटाना</p> <p>5. चिन्हित आश्रय स्थल पर आव यक व्यवस्थाएँ (सफाई रोशनी, शौच, पेयजल) आदि</p> <p>6. निजि साधनों स्वयं सेवी संस्थाओं एवं संगठनों का सूचीकरण कर आवश्यकता होने पर सहयोग लेना</p>	0744-2392201	<p>पारी प्रभारी</p> <p>1. श्री संजय शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी 2. श्री राकेश व्यास, सहायक अग्निशमन अधिकारी 3. श्री हरीश धोष, सी.एस.आई</p> <p>0744-2392201, 2472355, 101,</p>	<p>1. 98290-63227</p> <p>2. 98294-29729</p> <p>3. 98870-44377</p>	—	

स्वयंसेवक बचाव दल (निजि क्षैत्र)

क्र.सं.	नाम		पता	मोबाइल नं०
1	हिम्मत सिंह	प्रभारी	तलवणडी	98877-93882
2	दीपक	सदस्य	दादाबाड़ी	92140-71458
3	टिनू सिंह	-"-	-"-	90016-44005
4	देव सिंह	-"-	दादाबाड़ी	97859-52332
5	ज्वाला सिंह	-"-	संतोषी नगर	96941-33145
6	गजेन्द्र शर्मा	-"-	-"-	88903-28182
7	नरेन्द्र सिंह	-"-	महावीर नगर	95097-65955
8	भरत हाड़ा	-"-	विज्ञान नगर	98290-78892
9	योगेश	-"-	कंसुवा	99286-34322
10	विनोद	-"-	डॉ.सी.एम.	90016-95065
11	सुनील अरोड़ा	-"-	गुमानपुरा	98290-85873
12	दानीश	-"-	स्टेशन	9928-76661
13	सुमित जैन	-"-	रंगबाड़ी	96491-96101
14	रुध्रप्रताप	-"-	-"-	9870-69055
15	मुकेश	-"-	श्रंगपुर	99296-76731
16	आफताब खान	-"-	श्रीपुरा	98290-44586
17	हेमन्त सिंह	-"-	खेरली फाटक	96944-36881
18	वाजिद अली पठान	-"-	सी.ए.डी. कॉलोनी	94614-38222
19	आबिद हुसेन	-"-	बोम्बे योजना जे. के.	88903-45794
20	राजा	-"-	संजय नगर	99281-05557
21	रवि मीणा	-"-	बोरखेड़ा	98879-84436

रितेश चित्तौड़ा मित्र कल्याण मण्डल समिति :— 9829108933

क्र.सं.	नाम	मो. नं.
1	संदीप औदिच्य	98297—91211
2	देवेन्द्र विजय	98281—18356
3	आशीष माहेश्वरी	98281—54091
4	महेन्द्र खण्डेलवाल	98293—38444
5	अनवर शेख	98293—34376
6	वसी उर रहमान	98290—34344
7	संजय शर्मा	94605—09910
8	संजय पुरसवानी	98290—39819
9	हफीज	97727—71515
10	गोपाल शर्मा	98290—89464

स्वयं सेवक बचाव दल (निजी क्षेत्र)

क्र.सं.	नाम	पद	मो. नं.
1	अनिल औदिच्य	प्रभारी	94143-83343
2	विरेन्द्र शर्मा	सदस्य	98290-38260
3	ठीकम चौरसिया	सदस्य	0744-2385609
4	कैलाश	सदस्य	98294-13832

स्वयंसेवक बचाव दल (निजी क्षेत्र)

क्र.सं.	नाम	मो. नं.
1	ब्रजेश शर्मा	98290-36059
2	सुधीर	98290-38059
3	सुरेश शर्मा	94605-68263
4	अनिल अग्रवाल	94133-92222
5	अभिषेक मित्तल	94141-82845
6	हरिश	94142-74970
7	गोतम लड़कान	94600-56893
8	बबलू सेन	94141-90067
9	अनिल तिवारी	98290-38090
10	अनुराग जी	94142-52384
11	अनवर	98284-44200
12	मनीष विजय	93526-77299
13	मन्जूर भाई	98299-26789
14	मनीष लोधा	98872-11429

शहर के प्रमुख भवन निर्माताओं के टेलीफोन नम्बर

क्र.सं.	नाम भवन निर्माता	फोन नम्बर
1.	श्री अंकुश खण्डेलवाल (स्काई लाईन बिल्डर)	98290-37735
2.	श्री दीपक राजवंशी	94133-50172
3.	श्री बघेवाल	94141-80627
4.	श्री राजेन्द्र श्रृंगी	94133-52271
5.	श्री अरुण मेहता	94144-41444
6.	श्री जितेन्द्र चौधरी	99288-71111
7.	श्री लक्ष्मण नैनानी	98290-35238
8.	श्री परमजीत सिंह	94141-89904
9.	श्री नीरज सुवालका	98290-36870
10.	श्री अजय खत्री	98290-39779

शहर के प्रमुख इन्डस्ट्रीज़ / प्लांट के आपदा/अग्निशमन ईचार्ज के टेलीफोन नम्बर

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	फोन नम्बर
1.	कर्नल भान डी०सी०एम०	98290-37937
2.	मेजर मेहता डी०सी०एम०	94141-81502
3.	एल० पी० सिंह के०टी०पी०एस०	94140-49715
4.	महेश एडीबल	97994-97116
5.	शिव एडीबल	93146-27086
6.	नागर सूर्या चम्बल पावर प्रोजेक्ट रंगपुर	99822-19155
7.	सी०एफ०सी०एल० श्री अमित	80038-29900

अन्य आवश्यक टेलीफोन नम्बर (निजी क्षैत्र)

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	फोन नम्बर
1.	श्री जवाहर अग्रवाल टेन्ट हाउस	94141-77274
2.	बजरंग टेन्ट हाउस	94141-77466
3.	त्रिशुल इलैक्ट्रीकल्स श्री शरद जी	94141-77894
4.	श्री पियूष जैन, डागा इलैक्ट्रीकल्स	94141-79619
5.	श्री राजीव कोहली टाटा मोटर्स	92140-35262
6.	श्री अरविन्द भारत गैस अध्यक्ष एलपीजी ऐसोसियेशन कोटा	99288-57151
7.	श्री तरुमीत सिंह बेदी, पैट्रोल पम्प अध्यक्ष एवं कोटा क्लब	98281-38333
8.	श्री राजेश राठी अध्यक्ष भामाशाहमंडी	98290-36850
9.	श्री अशोक माहेश्वरी अध्यक्ष व्यापार संघ	98290-35670
10.	श्री संजय शर्मा अध्यक्ष गुमानपुरा व्यापार संघ	94141-86005
11.	श्री संदीप मित्तल, फायर उपकरण सप्लायर्स	98295-20969
12.	श्री रफीक क्रेन सर्विस	98293-42916
13.	श्री हिम्मत सिंह हाडा समाज सेवक	98877-93882
14.	श्री क्रान्ति तिवारी समाज सेवक	92524-58760
15.	श्री अनिल तिवारी समाज सेवक	98290-38090
16.	श्री सुनील मल्होत्रा (रोटरी क्लब)	94142-52467
17.	श्री पंकज शर्मा सिटी मॉल मैनेजर	95495-40888
18.	श्री सुकेश फन सिनेमा	99287-04570
19.	श्री आर के वर्मा निदेशक रेजोनेन्स	96020-37000
20.	श्री नवीन माहेश्वरी निदेशक ऐलन क्लासेस	94141-79919
21.	श्री ओम माहेश्वरी निदेशक केरियर पॉइन्ट	96729-77507
22.	श्री पी० के० बंसल, बंसल क्लासेस	98290-36063
23.	श्री अनिल आईनॉक्स	96729-09000
24.	श्री पंकज आहूजा	98290-35318

नगर निगम कोटा के पास उपलब्ध उपकरणों की सूची

क्र.सं.	उपकरण का नाम	उपकरणों की संख्या
1	Smoke Blower	1
2	Hand Gloves	4
3	Blanket	20
4	Dragon Light	6
5	Electric Generator	2
6	Life Buoy	10
7	Life Jacket	10
8	Ext. Ladder	10 With Vehicle
9	ABC type	5
10	CO2 type	9
11	DCP type	5
12	Fire Tender	10
13	Foam type	3
14	Arial Hydraulic Ladder Platform	1
15	Water Tanker (Bauser)	3
16	JCB	5
17	Dumper	5
18	Tractor	5
19	Water Tanker	7
20	Emergency Lighting Tower (Inflatable)	1

कोटा शहर के पार्ईप विक्रेता

क्र.सं.	नाम फर्म	टेलीफोन नं.
1	मैसर्स बम्बई मशीनरी ऐजेन्सी, नयापुरा, कोटा	0744—2451409
2	मैसर्स एम.एम. एन्टरप्राइजेज, नयापुरा, कोटा	0744—2330459
3	मैसर्स राजस्थान इंजीनियरिंग एण्ड मशीनरी स्टोर ,नयापुरा, कोटा	0744—2451034
4	मैसर्स मनीष ट्यूब कॉर्पोरेशन नयापुरा/शोपिंग सेन्टर , कोटा	0744—2332570
5	मैसर्स हेम आयरन ट्रेडर्स नयापुरा, कोटा	0744—2327594

कोटा शहर के प्रमुख टेंट हाउस की सूची

क्र.सं.	नाम	टेलीफोन नम्बर
1	अग्रवाल टेंट हाउस, नयापुरा कोटा	0744—2451374
2	मून लाइट टेंट हाउस, गुमानपुरा कोटा	0744—2390171
3	श्री अग्रवाल टेंट हाउस, शोपिंग सेन्टर कोटा	9829271880
4	महावीर टेंट हाउस, गुमानपुरा कोटा	9829685520
5	माहेश्वरी टेंट हाउस आर के पुरम कोटा	0744—2472947
6	भारत टेंट हाउस, मस्जिद गली, कोटा जं.	0744—3233832
7	श्रीनाथ टेंट हाउस स्टेशन कोटा	0744—2460433
8	मंगल टेंट हाउस दादाबाड़ी कोटा	0744—2500009
9	बजरंग टेंट हाउस, तलवण्डी कोटा	0744—2405600
10	श्रीराम टेंट हाउस, कोटा जं.	9214988181
11	बंसल टेंट हाउस शॉपिंग सेन्टर कोटा	0744—2364380

कोटा शहर के प्रमुख हलवाईयों की सूची

क्र.सं.	नाम	टेलीफोन नम्बर
1	श्री शंभू हलवाई श्रीपुरा	9829030635
2	श्री महेश शर्मा जी	9166163405
3	श्री बुद्धी प्रकाश खेमासती हलवाई	9950129554
4	श्री किशन पाठक, पाठक केटर्स	9829039928
5	श्री इन्द्रजीत सिह अमर पंजाबी ढाबा	9950481234
6	श्री राजकुमार महेश्वरी	9829037118
7	श्री राजेन्द्र हरसौरा भामाशाहमंडी केन्टिन संचालक	9414177721
8	श्री कुलदीप मालू जी वाला	9351669939
9	शर्मा मिष्ठान भण्डार कोटा जंक्शन	2441135
10	शर्मा केटर्स कोटा जंक्शन कोटा	2460433
11	श्याम सुन्दर कमल कुमार घंटाघर कोटा	2326638

निजी क्षेत्र के नर्सिंग होम

क्र.सं.	नाम	टेलिफोन
1.	शीला चौधरी प्रसूति नर्सिंग होम	2425787, 2427125
2.	दीपशिखा आर्थोपेडिक हॉस्पिटल	2422492
3.	यूरोलॉजी क्लिनिक	2425152
4.	कोटा आई हॉस्पिटल	2320767, 2321044
5.	किंकर अस्पताल एवं प्रसूति गृह	2412722
6.	क्षेत्रपाल नर्सिंग होम	2450594
7.	मैत्री हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर	2426684
8.	महावीर मिशन अस्पताल	2371010
9.	गोयल हॉस्पिटल	2401493
10.	रत्ना नर्सिंग होम डाग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च सेंटर	2322368
11.	महावीर ई एन टी हॉस्पिटल	9950952660
12.	अग्रवाल मेडिकल एण्ड रिसर्च	2422526
13.	टी.के.सिंह नर्सिंग होम	2322562
14.	टी.के.सिंह हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर	2326846
15.	अग्रवाल मेडिकल एण्ड रिसर्च सेंटर	2420888,2422526
16.	एन आर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर	2503906
17.	भारत विकास परिषद चिकित्सालय	2504501-02
18.	जायसवाल यूरोलाजी सेंटर	2424858,2423232
19.	एस एन पारिक मेमोरियल एण्ड रिसर्च सेंटर	2402770
20.	खारोलीवाल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर	2322806
21.	कोठारी स्किन क्लिनिक	2362426
22.	जे.जे. डेंटल हास्पिटल	2504131
23.	मित्तल हार्ट क्लिनिक	2407966
24.	आलोक हॉस्पिटल	2423838
25.	एक्यूपंचर रिसर्च सेंटर	2427590, 2429996
26.	सिंह आर्थोपेडिक हॉस्पिटल	2328107
27.	डी.डी.नेत्र संस्थान	2501100
28.	जैन दिवाकर अस्पताल	2322300,2322000
29.	कोटा मेट्रनिटी एण्ड नर्सिंग होम	2501239
30.	सुवि आई इन्स्टियूट	2433575
31.	सुधा हॉस्पिटल	3295190
32.	सारोया आई हॉस्पिटल	2390005
33.	आकांक्षा आर्थोपेडिक हॉस्पिटल	2421369
34.	कोटा हार्ट इन्स्ट्र्यूट इन्सीट्र्यूट	9351838005

नगर निगम कोटा

क्र.सं.	नाम	कार्यालय	मोबाईल
1.	आयुक्त. नगर निगम कोटा	2502293	9660291100
2.	उपायुक्त मुख्यालय, नगर निगम कोटा	2502142	9001644943
3.	उपायुक्त विज्ञान नगर जोन, नगर निगम कोटा	2502583,	9829997700
4.	उपायुक्त रामपुरा जोन, नगर निगम कोटा	2501039	9414623641
5.	मुख्य लेखाधिकारी	2500883	9414045618
6	मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम कोटा	2392201,101,2472355	9829429729

नगर पालिकाएँ

क्र.सं.	नाम		
1.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कैथून	2844291	
2.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रामगंजमण्डी	07459-220016	
3.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांगोद	07540-232339	
4.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका झालावाड़	07432-231136	
5.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका झालरापाटन	07425-240263	
6.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भवानीमण्डी	07432-222033-222070	
7.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पिङ्डावा	07434-435241	
8.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अकलेरा	07431-222333	
9.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बारां	07453-230106	
10.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अंता	07457-244254	
11.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा	07452-222025	
12.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बूंदी	0747-2443903,2444700	
13.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नैनवा	0747-257246	
14.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका केशवरायपाटन	07438-264346	
15.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कापरेन	07438-265434	
16.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका लाखेरी	07438-261627,261646	
17.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका इन्द्रगढ़	07438-253583	
18.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सर्वाईमाधोपुर	07462-220386	
19.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका गंगापुरसिटी	07463-234041	
20.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका करोली	07464-220037	
21.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका हिण्डोन सिटी	07469-232989	
22.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मांगरोल	07457-225203	
24.	अधिशाषी अभियन्ता, कोटा बैराज	2370984	9414521036
25.	पुलिस कंट्रोल रूम शहर	100 / 2350777	
26.	पुलिस कंट्रोल रूम ग्रामीण	2350888	
27.	जिला जनसम्पर्क अधिकारी	245604012	2323238
28.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	2361366	2502182
29.	जिला परिवहन अधिकारी	2364592	2504830
30.	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	2323712	2440732
31.	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	2363129,2362359	2423270
32.	जैल अधीक्षक	2323027	2327846
33.	उपनिदेशक मत्स्य	2324965	2420533
34.	उपनिदेशक समाज कल्याण	2325491	2471386
35.	मुख्य प्रबन्धक रोडवेज	2321984	2472873
36.	सहायक निदेशक आकाशवाणी	2322411-2-3	2321296-2329149
37.	सहायक निदेशक दूरदर्शन	245211,2327100	2500080

पुलिस थाने

क्र.सं.	नाम	दूरभाष	क्र.सं.	नाम	दूरभाष
1	भीमगंजमण्डी	2350754	24	बडगांव चौकी	2350855
2	कोतवाली रामपुरा	2350760	25	बस स्टेप्ड चौकी	2350856
3	मकबरा	2350759	26	एम.बी.एस. चौकी	2350858
4	कैथूनीपोल	2350758	27	कोटा बैराज	2350859
5	विज्ञाननगर	2350763	28	पाटनपोल चौकी	2350861
6	नयापुरा	2350756	29	इन्द्रागांधी नगर चौकी	2350865
7	कुन्हाडी	2350755	30	लाडपुरा चौकी	2324177
8	गुमानपुरा	2350752	31	रामगंजमण्डी	07459-22100
9	उद्योगनगर	2350762	32	मोडक	07459-232243
10	दादाबाडी	2350751	33	कनवास	07450-254624
11	रेल्वेकोलोनी	2350757	34	सुल्तानपुर	07455-224238
12	महावीरनगर	2350761	35	इटावा	07458-225230
13	किशोरपुरा	2350753	36	सुकेत	07459-234242
14	महिला थाना कोटा	2350764	37	चेचट	07459-230223
15	जवाहरनगर	2350763	38	सांगोद	07450-234242
16	अनन्तपुरा	2207766	39	देवलीमांझी	
17	आर.के.पुरम कोटा	2350768	40	सीमल्या	07455-264326
18	बोरखेडा	2207700	41	कैथून	2844207
19	विद्युत थाना	2450167	42	मण्डाना	2812633
20	कलेक्ट्रेट चौकी	2350857	43	बूढादीत	07455-225268
21	घण्टाघर चौकी	2350862	44	बपावरकलां	07450-264833
22	छावनी चौकी	2350852	45	खातौली	07458-245448
23	सूरजपोल चौकी	2350853			

नागरिक सुरक्षा डिविजनल वार्डन की सूची मय पता

क्र.सं.	नाम स्वयं सेवक	सदस्य संख्या	पता कार्यालय/घर	टेलीफोन
1	श्री यज्ञदत्त हाड़ा चीफ वार्डन	442	साधना आश्रम, बोरखेड़ा बांरा रोड रेल्वे ब्रीज के पास कोटा	9351676384
2	श्री जगदीश चंद शर्मा डिप्टी चीफ वार्डन	181	ई-2 एम.बी.एस. नगर कोटा जं0	9414184582
3	श्री शिवदान सिंह डिवीजन वार्डन	716	2-एस-21 रंगबाड़ी योजना कोटा	9460077886 6375761683
4	श्री सतीश चंद शर्मा डिवीजन वार्डन	5521	शिव सदन, श्रीराम मार्ग सरस्वती कोलोनी खेड़लीफाटक कोटा	9462903931
5	श्री जे०के०शर्मा डिवीजन वार्डन	5729	25- बजरंग नगर पुलिस लाईन कोटा	7073059503 9887109588
6	श्री दिनेश कुमार शर्मा डिवीजन वार्डन	6574	चम्बल रेस्ट हाउस रोड गोविन्द धाम किशोरपुरा सुभाष कोलोनी कोटा	9414746534
7	श्री पन्नालाल शर्मा डिवीजन वार्डन	4985	7-डी-23, महावीर नगर तृतीय कोटा	9414729478
8	श्री रूपचंद शर्मा डिप्टी डिविजन वार्डन	809	4-एच-3 तलवंडी कोटा	2370083

**नगर निगम कोटा के अधिकारियों व बाढ़ से सम्बन्धित कार्यालयों व कर्मचारियों के फोन
नम्बर**

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	कार्या. दूरभाष	नि.दूरभाष एवं मो.
1.	श्री महेश विजय	महापौर	2501929, 2502326	9829035599
2.	श्रीमती सुनिता व्यास	उप महापौर	2502201	9829230518
3.	डॉ विक्रम जिन्दल,IAS	आयुक्त	2502293	9660291100
4.	श्री राजेन्द्र सिंह चारण	उपायुक्त मुख्यालय	2502142	9001644943
5.	श्री राजेश डागा	उपायुक्त विज्ञान नगर जोन	2502583	9829997700
6.	श्री सुभाष शर्मा	उपायुक्त रामपुरा जोन	2502583	94146-23641
7.	श्री टी.पी.मीणा	मुख्य लेखाधिकारी	2500883	94139-74695
8.	श्री प्रेमशंकर शर्मा	अधीक्षण अभियंता कोटा संभाग	2501903	94141-93530
9.	श्री	अधिशाषी अभियन्ता प्रथम (सिविल)	2500423	
10.	श्री	अधिशाषी अभियंता द्वितीय (सिविल)	2411827	
11.	श्री अवधेश दूबे	अधिशाषी अभियंता, यांत्रिक अतिः प्रभारी		9314617407
12.	श्री राकेश शर्मा	अधिशाषी अभियंता विद्युत	2401903	9460853401
13.	श्री सुभाष अग्रवाल	अधिशाषी अभियंता (मेकेनिकल)	2501903	9928624033 7891512417
14	श्री संजय शर्मा	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	2472355, 2392201	98290-63227
14.	श्री राकेश व्यास	सहायक अग्निशमन अधिकारी	2472355, 2392201	98294-29729
15.	श्री	स्वास्थ्य अधिकारी	2506345	
16.	श्रीमति रींकल गुप्ता	राजस्व अधिकारी	2503694	8559908176
17.		राजस्व अधिकारी द्वितीय	2503694	
18.	श्री अशोक कुमार गोयल	सहायक अभियंता पूल	2501903	9928624033
19.	श्री अजीत सिंह	कनिष्ठ अभिन्ता (पूल एवं गैराज)	2501903	9414675458

20.	श्री रमाकान्त शर्मा	मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक	2502768	7891512402
21.	श्री अमजद खान	अग्निशमन अधिकारी	2392201	98298-17861
22	श्री मुरली विजय	आई./सी. गैराज टाईम कीपर	2500197	2503480
23.	श्री रघुराज सिंह	उद्घान अधीक्षक(सेवानिवृत)	2502130	7891512452
24	श्री विष्णु श्रृंगी	गोताखोर	2392201	9414260886
25.	श्री प्रदीप तुम्बा	गोताखोर	2392201	9352161568
26	श्री मधुकान्त श्रृंगी	गोताखोर	2392201	97998-58597
27	श्री चंगेज खान	गोताखोर	2392201	96809-22933

वार्ड पार्षदों के नाम, पता व टेलीफोन नम्बर की लिस्ट

वार्ड संख्या	नाम पार्षद	निवास स्थान का पता	दूरभाष	मोबाइल नम्बर
1.	श्रीमती धापू मेहरा			8094711888
2.	श्री राकेश पुटरा			9829802515
3.	श्रीमती सुनीता मीणा			7073365970
4.	श्रीमती पारस कंवर			9785015310
5.	श्री ओम कृष्ण गुंजल			9660111111
6.	श्री रामलाल भील			7742125199
7.	श्रीमती शकुतंला बैरवा			9799222132
8.	श्री सुरेश मीणा			8829057777
9.	श्री दौलतराम मेघवाल			9782902312
10.	श्री दीनदयाल चौबदार			9649015187
11.	श्री युधिष्ठिर चांनसी			9782245757
12.	श्री मोहम्मद हुसैन			9887186819
13.	श्रीमती वन्दना अग्रवाल			9829129365
14.	श्रीमती ममता महावर			9887408776
15.	श्री अतुल कौशल			9414178800
16.	श्रीमती मधु कुमावत			9680385133
17.	श्री इन्द्र कुमार जैन			9214991022
18.	श्री अनिल कुमार सुवालका			9929142765
19.	श्री विकास तंवर			9829087830
20.	श्री युसुफ कडक			9829176235
21.	श्रीमती बादाम बाई			8290982220
22.	श्रीमती राखी गौतम			9928796688
23.	श्री ध्रुवप्रकाश राठौर			9414596939
24.	श्री कमलेश नागर			9414181184
25.	श्री रामदेव वर्मा			9928028771
26.	श्रीमती रजिया पटान			9829351110
27.	श्री बृजमोहन गौड़			9414177035
28.	श्री गोपाल राम मंडा			9414157102
29.	श्री गिरज महावर			9829050087
30.	सुश्री मोनू कुमारी			9829500285
31.	श्री कृष्ण मुरारी			9214344179
32.	श्रीमती मधु कंवर हाडा			9928477168
33.	श्री राम मोहन मित्रा			9828160711
34.	श्री नीरज खुशवाह			9929642450
35.	श्री चिमन लाल बैरवा			9829807745
36.	श्री रमेश चतुर्वेदी			9414180302
37.	श्रीमती स्नेहलता			9799746855
38.	श्री सीताराम शर्मा			9352601536
39.	श्री बृजेश शर्मा (नीटू)			9829036059

वार्ड संख्या	नाम पार्षद	निवास स्थान का पता	दूरभाष	मोबाइल नम्बर
40.	सुश्री मिनाक्षी खण्डेलवाल			9828426733
41.	श्रीमती हेमा सक्सेना			9828403009
42.	श्री बशरुददीन कुरैशी			9667964766
43.	श्री चन्द्रप्रकाश सोनी			9414937968
44.	श्री दिलीप पाठक			9413944403
45.	श्री मोहम्मद हुसैन			9241082111
46.	श्री प्रकाश सैनी			8764314039
47.	श्रीमती रेखा जैन			9252877514
48.	श्री विनोद नायक			9414231195
49.	श्री नरेन्द्र हाडा			9414751761
50.	श्री देवेन्द्र चौधरी			7891512314
51.	श्री महेश गौतम (सोनू)			9352611232
52.	श्री महेश गौतम (लल्ली)			9829067322
53.	श्री महेश विजय			9829035599
54.	श्री विवके राजवंशी			9928083381
55.	श्री पवन अग्रवाल			9414365655
56.	श्रीमती शमा परवीन			8003977866
57.	श्रीमती रेखा लखारा			8104851900
58.	श्रीमती ममता कंवर			9829102432
59.	श्रीमती सुनिता व्यास			9829230518
60.	श्री जगदीश सिंह			7891956991
61.	श्रीमती दुर्गेश कुमारी			9829261656
62.	श्री भगवान स्वरूप गौतम			9460980500
63.	श्रीमती मीना प्रजापति			9461610813
64.	श्री रमेश आहूजा			9413608080
65.	श्रीमती महक गौतम			9530492026

कार्यालय नगर निगम कोटा (राज0)

क्रमांक / ननिको / बाढ़ / फायर / 2018 /

दिनांक

आदेश

श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेशानुसार दिनांक 15.08.2018 से बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा। बाढ़ नियंत्रण अधिकारी, उपायुक्त विज्ञाननगर जोग होंगे तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बाढ़ प्रभारी होंगे। तीनों CSI एवं सहायक अग्निशमन अधिकारी बाढ़ सहायक प्रभारी रहेंगे। श्री देवेन्द्र गौतम, फायरमैन बाढ़ नियंत्रण कक्ष के ईचांज होंगे। सब्जीमण्डी अग्निशमन केन्द्र पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष रहेगा। जो 24 घण्टे संचालित होगा। इनके दूरभाष नं. 2392201, 101 रहेंगे। बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर निम्न प्रकार व्यवस्था रहेगी एवं कार्यालय अधीक्षक नगर निगम नियंत्रण कक्ष रहेगा। इसके दूरभाष एन0 0744–2502929 रहेंगे।

1. उपायुक्त कार्मिक बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर तीन पारियों में 2 –2 कुल 7 कनिष्ठ लिपिक एक रेस्ट रिलीवर एवं डाक वितरण के लिए तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था करेंगे।
2. अधिशाषी अभियंता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अपने–अपने क्षेत्र में प्रभारी व सहप्रभारी बनाकर के मय दूरभाष नं0 के कनिष्ठ अभियन्ताओं की व्यवस्था करेंगे।
3. लखावा बांध की मरम्मत हेतु संबंधित अधिशाषी अभियंता अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे एवं रिसाव की स्थिति ना हो, बाढ़ पूर्व ही सुनिश्चित करेंगे।
4. पानी भराव क्षेत्र व बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में विद्युत से संबंधित शिकायतों का निवारण अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) द्वारा किया जावेगा एवं राजस्थान विद्युत वितरण निगम जयपुर जोन कोटा से निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे।
5. अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) प्रकाश व्यवस्था, माईक व्यवस्था मड एवं वाटर पम्प व्यवस्था एवं लाईन मेन, वायरमेन की नियंत्रण कक्ष पर व्यवस्था करेंगे। जो तीनों पारियों में कार्य करेंगे।
6. अधिशाषी अभियन्ता यांत्रिक बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर तीनों पारी में जे.सी.बी., डम्पर, ट्रेक्टर ट्रोली मय स्टाफ व इन वाहनों के डीजल/पेट्रोल की व्यवस्था करेंगे।
7. प्रभारी गोरीज पूल बाढ़ कार्य हेतु दिनांक 15 जून 2018 के बाढ़ नियंत्रण कक्ष समापन तक एक जीप/वाहन माईक लगी हुई मय चालक के व्यवस्था करेंगे।
8. स्वास्थ्य अधिकारी बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर स्वास्थ्य निरीक्षक, जमादार, पटेल की ड्यूटी लगाकर तथा आवश्यकतानुसार लेबर उपलब्ध करवायेंगे। (10–10 लेबर तीनों पारियों में 30 लेबर प्रतिदिन)
9. अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण पारिबद्ध सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता की व्यवस्था बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर करेंगे एवं 500 मिट्री के कट्टे अम्बेडकर भवन में तथा 1000 मिट्री के कट्टे बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर एवं 1000 क्रेशर सेण्ड के कट्टे श्रीनाथ पुरम अग्निशमन केन्द्र पर रिजर्व लखावा, रानपुर, आलनिया बांध हेतु उपलब्ध करवायेंगे साथ ही विभिन्न पिकनिक स्थलों पर चेतावनी सूचन पटटीकाएं लगावायेंगे एवं पुराने कोटा क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता अपने–अपने क्षेत्र में जर्जर मकानों का सर्व कर चिन्हित करवायेंगे एवं संबंधित जोन उपायुक्त से नोटिस जारी करवायेंगे।
10. श्री महावीर चौहान लिपिक बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर एवं आपातकालीन स्थिति में आपदा स्थल पर टेन्ट, कुर्सियों, फर्श एवं अन्य व्यवस्था हेतु उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
11. उद्यान अधीक्षक व पारिबद्ध कारपेन्टर की बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर व्यवस्था करेंगे।
12. मुख्य अग्निशमन अधिकारी तीनों पारियों में रेस्क्यू टीम मय गोताखोर की व्यवस्था रखेंगे। अनुभाग में उपलब्ध नाव, पम्प व उपकरण दुरस्त अवस्था में रखेंगे।
13. उपायुक्त मुख्यालय अधिक वर्षा होने पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थलों पर भोजन पेकेट की व्यवस्था नगर निगम की ARC हो तो संबंधित टेकेदार के माध्यम से करवायेंगे।
14. राणाप्रताप सागर बांध से पानी छोड़े जाने पर वह पानी अत्यधिक वैग से मात्र डेढ घण्टे में ही कोटा बैराज पहुँच जाता है। अतः बाढ़ नियंत्रण कक्ष से सूचना प्राप्त होते ही समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल प्रभाव से अपने–अपने कार्यस्थल पर पहुँचकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(डॉ० विक्रम जिन्दल, IAS)

आयुक्त,
नगर निगम कोटा

नगर निगम के सेक्टरों द्वारा पूरे शहर को नियन्त्रित किया जाता हैं
निम्न सफाई निरीक्षकों द्वारा सफाई आदि का कार्य निष्पादित किया जाता हैं

क्र.सं.	नाम निरीक्षक	नाम सेक्टर	कार्या. दूरभाष	निवास / मो.
1.	श्री रमाकांत शर्मा		2392209	9887096183 7891512448
2.	श्री मोहम्मद युनूस		2392209	9887031067 7891512406
3.	श्री देवेन्द्र शर्मा		2392209	9785010293 7891512403
4.	श्री प्रह्लाद कुमार		2392209	9784518944 7891512410
5.	श्री ओम प्रकाश संगत		2502768	
6.	श्री कन्हेयालाल महाराजा		2502345	9950012268
7.	श्री प्रकाश महाराजा		2502768	7891512414
8.	श्री महेन्द्र सिंह		2502345	9887092784 7891512405
9.	श्री रामप्रसाद		2502345	9887096056 7891512415
10.	श्री धनराज कछावा		2502345	9887097181 7891512412
11.	श्री हरिश घोष		2502345	9352755542 7891512413
12.	श्री चन्द्रप्रकाश चतुर्वेदी		2502345	7891512408 9829593593
13.	विनय कुमार जैन			7891517371

तकनीकी अभियंताओं के टेलीफोन नम्बर

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	फोन नम्बर
1.	श्री भूपेन्द्र माथुर अधीक्षण अभियंता	2501903(O), 2472289(R) 94142-66266, 78915-12444
2.	श्री प्रेमशंकर शर्मा अधिशासी अभियंता	2501903 (O), 94141-93530
3.	श्री सुभाष अग्रवाल अधिशासी अभियंता (गैरिज)	2500197(O), 9928624033
4.	श्री प्रशान्त भारद्वाज अधिशासी अभियंता	2411827 (O), 94133-51505
5.	श्री राकेश भार्मा अधिशासी अभियंता (विधुत)	94608-53401
6.	श्री अवेदेश दुबे अधिशासी अभियंता (निर्माण)	
7.	श्री महेश चन्द्र शर्मा सहायक अभियंता	2501903(O), 78915-12431 99504-54985
8.	श्री अशोक कुमार गोयल सहायक अभियंता (गैरेज / पूल)	2501903(O), 78915-12419, 94133-50046
9.	श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा सहायक अभियंता	2501903(O), 94144-88672
10.	श्री सतीश कुमार सूद सहायक अभियंता	2501903(O), 78915-12430, 94131-16893
11.	श्री अब्दुल कर्यूम कुरैशी सहायक अभियंता	2501903(O), 99280-88916
12.	श्रीमती रूपम तिवारी सहायक अभियंता	2501903(O), 2463921 9667129037
13.	श्री संजय विजय सहायक अभियंता	2501903(O), 94147-50542
14.	श्री मोती लाल कनिष्ठ अभियंता	2501903(O), 99280-88361
15.	श्री अमित जोशी कनिष्ठ अभियंता	2501903(O) 78915-12425, 94143-17520
16.	श्री तोसिफ खान कनिष्ठ अभियंता	2501903(O), 89630-63660
17.	श्री कुलदीप प्रेमी कनिष्ठ अभियंता	2501903(O), 85619-30009
18.	सुश्री निशा खींची कनिष्ठ अभियंता	2501903(O), 78912-99679
19.	सुश्री शिल्पा चितौड़ा कनिष्ठ अभियंता	2501903(O), 75970-84269
20.	श्री अजीत सिंह कनिष्ठ अभियंता, गैरिज	9414675458

कोटा बैराज से जल निष्पादन होने पर ढूब में आने वाले क्षेत्र

लेवल डिस्चार्ज	822 फीट 850000 क्यूसेक्स	820 फीट 820000 क्यूसेक्स	817 फीट 700000 क्यूसेक्स	815 फीट 620000 क्यूसेक्स	809 फीट 500000 क्यूसेक्स	807 फीट 400000 क्यूसेक्स	801 फीट 300000 क्यूसेक्स	795 फीट 200000 क्यूसेक्स	786 फीट 100000 क्यूसेक्स	783 फीट 50000 क्यूसेक्स	774 फीट 10000 क्यूसेक्स
मथुराधीश घाट के पास	श्री ओम प्रकाश गौतम के मकान के सामने की सड़क पर डेढ़ फीट पानी	श्री ओम प्रकाश गौतम के मकान की पहली सीढ़ी पर	ओसवाल भवन के पिछाड़े की तरफ सड़क पर 1 फीट	ओसवाल भवन के निचली दीवार के सामने की सड़क लेवल पर पानी	पुलिया के नीचे मेहराब की दीवार की सिल से 1 फीट नीचे	मजार के दरवाजे की डी.पी.सी. से 2 फीट ऊपर	माताजी के मंदिर के सामने सड़क पर 3 फीट ऊपर	रिटेनिंग दीवार की टो पर	पानी की तरफ से चौथी लेन्डिंग से 1 फीट 6 इंच ऊपर	पानी की तरफ से चौथी लेन्डिंग के बाद पहली सीढ़ी पर	पानी की तरफ से दूसरी लेन्डिंग दूसरी सीढ़ी पर
जामा मस्जिद	जामा मस्जिद के सामने वाली सड़क पर	अमीर कारीगर के मकान की डीपीसी लेवल पर	अमीर कारीगर के मकान की डीपीसी से 2 फीट नीचे	अमीर कारीगर के मकान की बालकनी लेवल से 6 फीट नीचे।	इब्राहिम के मकान के पास रिटेनिंग वाल के पास रोड से 5' ऊपर	इब्राहिम के मकान के पास रिटेनिंग वाल के पास रोड से 3' ऊपर	जामामस्जिद के नीचे की रिटेनिंग वाल के पास रोड से 3' ऊपर	पानी की तरफ चौथी लेन्डिंग के बाद दूसरी सीढ़ी पर	पानी की तरफ से तीसरी लेन्डिंग के बाद पहली सीढ़ी पर	पानी की तरफ से तीसरी लेन्डिंग पर	पानी की तरफ से पहली लेन्डिंग के बाद चौथी सीढ़ी पर
शवदाह घाट के पास	हजरत सैयद वाले बाबा की दरवाजे की तीसरी सीढ़ी पर	जाकीर वकील के मकान के डी. पी.सी. लेवल पर	फिरोज मोहम्मद के मकान के सामने रोड पर साढे 3 फीट पानी	प्रदीप शर्मा गोताखोर के मकान के गेट की पहली सीढ़ी पर	रसूल भाई के मकान के नीचे से दूसरी सीढ़ी पर	रसीद/अब्दुल करीम के मकान की दीवार पर डीपीसी से 2 फीट नीचे	रसीद के मकान की दीवार पर डीपीसी से 6 फीट नीचे	पांचवी लेन्डिंग से 1 फीट ऊपर	पानी की तरफ से चौथी लेन्डिंग पर 6 इंच पानी	पानी की तरफ से तीसरी लेन्डिंग से ऊपर की तरफ पहली सीढ़ी पर	पानी की तरफ से दूसरी लेन्डिंग के बाद तीसरी सीढ़ी पर
करबला क्षेत्र	गुलाब खां के मकान के दरवाजे की सिल पर	गुलाब खां के मकान के चबूतरे की सिल	सरदार खां मकान नं. 29 खिड़की की सिल लेवल पर	श्रीमती आबिदा के मकान के डीपीसी लेवल से 1 फीट पानी	अब्दुल करीम के मकान की डीपीसी लेवल से 4 इंच ऊपर	गफकार भाई के मकान के चैनल गेट के सिल लेवल पर	वकीरन के मकान के मेन गेट के सीट से दो फीट ऊपर	रिटेनिंग वाल के पास रोड से 3 फीट ऊपर की तरफ आठवीं सीढ़ी	पानी की तरफ से पांचवीं लेन्डिंग के बाद ऊपर की तरफ आठवीं सीढ़ी	पानी की तरफ से पांचवीं लेन्डिंग के बाद ऊपर की तरफ आठवीं सीढ़ी	पानी की तरफ से तीसरी लेन्डिंग के बाद ऊपर की तरफ तीसरी सीढ़ी पर 6 इंच ऊपर
राज्य परिवहन अड्डे के पास	रेन बसेरा नगर निगम की दीवार पर रोड पर साढे चार फीट पानी (चौराहे पर राजेन्द्र लॉज के सामने सड़क पर)	अमरचन्द पंवर के मकान की पश्चिम दिवार की डीपीसी से 5 फीट ऊपर	अमरचन्द के मकान की पश्चिम दिवार की डीपीसी से 2 फीट ऊपर	अमरचन्द के मकान के सामने पुल की रिटेनिंग वाल पर रोड से 1 फीट ऊपर	बस स्टेण्ड के पास लुहार की झोपड़ी के सामने रोड पर 1 फीट पानी।	प्रहलाद शर्मा की दुकानों के नीचे रोड पर 1 फीट	पुराने होली एंजल्स स्कूल के सामने रोड पर नीचे की तरफ पानी	नीचली पुलिया के मुख्य रोड पर सूरज लोधा के मकान के सामने 1 फीट रोड पर पानी	नीचले पुलिया से आने वाले रोड पर कार्य. कनि. अभि. (पीडब्ल्यूडी) के नीचे की तरफ से तीसरी सीढ़ी पर	शमशान घाट से नदी की तरफ आने वाले खरंजे पर पानी की तरफ से चौथी लेन्डिंग की चौथी सीढ़ी पर	शमशान घाट से नदी की तरफ आने पर खरंजे पर पानी की तरफ दूसरी लेन्डिंग के ऊपर

लेवल डिस्चार्ज	822 फीट 850000 क्यूसेक्स	820 फीट 820000 क्यूसेक्स	817 फीट 700000 क्यूसेक्स	815 फीट 620000 क्यूसेक्स	809 फीट 500000 क्यूसेक्स	807 फीट 400000 क्यूसेक्स	801 फीट 300000 क्यूसेक्स	795 फीट 200000 क्यूसेक्स	786 फीट 100000 क्यूसेक्स	783 फीट 50000 क्यूसेक्स	774 फीट 10000 क्यूसेक्स
विशेष विवरण	खाई के दरवाजे पर 2 फीट पानी	खाई के दरवाजे तक की सड़क पर 2 फीट पानी	इण्डया बूट हाउस की और से नीचे सिल वाली दुकान पर	—	महेन्द्र किराना गृहपूर्ति के सामने 4 फीट पानी	—	—	—	—	—	—
खाई के सहारे वाले नाले के साथ लगी बस्ती	खाई रोड के दरवाजे पर 2 फीट पानी	खाई रोड से दरवाजे की ओर जाने वाली रोड पर 2 फीट पानी।	इण्डया बूट हाउस के रोड लेवल पर पानी।	शंकरलाल नामा के मकान की डीपीसी से 2-5" ऊपर (बाड़ी में)	कैलाश जी के मकान की दीवार पर डीपीसी 1 1-6' ऊपर	छोटे लाल के मकान (ब्रिज के नीचे) के सामने रोड पर पांच फीट पानी	नन्दलाल के मकान के डीपीसी लेवल से 3 फीट ऊपर	नन्दलाल के मकान के नीचे वाले कमरे के डीपीसी लेवल के 2'-6" नीचे।	—	—	—
नीचली पुलिया चम्बल ब्रिज से नीचे जाने वाली रोड पर	कुन्हाड़ी की तरफ से बड़ी पुलिया पर जाने के लिए लगी सीढ़ियों पर नीचे से 8वीं सीढ़ी तक	चम्बल ब्रिज की नीचे के रास्ते के पास पेशाब घर की दीवार पर रोड से 4 फीट ऊपर	चम्बल ब्रिज की नीचे के होकर जाने वाली रोड पर टेलीफोन के पील्लर के सामने 2 फीट ऊपर	कल्लू भाई के मकान की डीपीसी से 3 फीट ऊपर	राजकीय प्राथमिक स्कूल की बाउण्ड्री के पास रोड से 1 फीट ऊपर	अन्जूमन गोसिया इस्लामिया मदरसा के दरवाजे के पास बाउण्ड्री के चबूतरे से 1'-6" ऊपर	केदार वैष्णव के मकान के नीचली दरवाजे की सिल पर	पैशाब घर की दीवार पर रोड लेवल पर (पी.डब्ल्यू. डी.) चौकी के पास)	पुलिया से कुन्हाड़ी की तरफ अंतिम मुड़डी के टॉप पर	खण्डर मकान के सामने बाउण्ड्री पर खरंजे से 1फीट ऊपर	खण्डर मकान के सामने बाउण्ड्री पर खरंजे से 1फीट ऊपर
विशेष विवरण	—	—	—	श्री जी टेन्ट हाऊस के सामने खाई रोड पर रोड लेवल पा पानी	कुशवाह जनरल स्टोर के सामने रोड लेवल पर	बजरंग सिंह जी के मकान के पिछली दीवार की तरफ डीपीसी 1'-6" ऊपर नीचे (बाड़ी की बस्ती)	—	—	—	—	—
हनुमानगढ़ी (कुन्हाड़ी)	बहादुर लाल	वकील सिंह के	महेन्द्र सिंह जी	खेमराज जी के	जमनालाल के मकान	कमलेश नागर के	कमलेश नागर के	गैर हियशी	गैर रिहायशी	—	—

	जी के मकान के सामने की सीढ़ी पर गली के मोड पर	मकान के सामने वाली मकान की पहली सीढ़ी	के मकान पर रोड से 2 फीट ऊंचा	मकान की सीढ़ी के सामने सीसी रोड से 2" ऊंचा	की दीवार पर सीसी रोड से 1 फीट ऊंचा	मकान की दीवार पर रोड से 2 फीट ऊंचा	मकान के पास की नाली पर रोड लेवल पर	क्षैत्र	क्षैत्र	
--	---	---------------------------------------	------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------	---------	--


लेवल डिस्चार्ज	822 फीट 850000 क्यूसेक्स	820 फीट 820000 क्यूसेक्स	817 फीट 700000 क्यूसेक्स	815 फीट 620000 क्यूसेक्स	809 फीट 500000 क्यूसेक्स	807 फीट 400000 क्यूसेक्स	801 फीट 300000 क्यूसेक्स	795 फीट 200000 क्यूसेक्स	786 फीट 100000 क्यूसेक्स	783 फीट 50000 क्यूसेक्स	774 फीट 10000 क्यूसेक्स
बापू नगर (कुन्हाड़ी)	छन्नू लाल जी के मकान की डीपीसी लेवल से 1 फीट ऊपर	गोरधन लाल के मकान की डीपीसी लेवल से 1 फीट ऊपर	गोपालला ल के मकान की रोड लेवल से 5 फीट ऊपर	जानकीला ल के मकान के डीपीसी लेवल पर 6 फीट पानी।	गोपाल लाल के मकान के सामने रोड पर 3 फीट पानी।	ओमप्रकाश 1 के मकान के सामने रोड पर 3.5 फीट पानी	लादूला ल के मकान के सामने रोड पर 3.5 फीट पानी	गैर हियशी क्षैत्र	गैर हियशी क्षैत्र	-	-
गांवड़ी के घट	नेनकी राम जी महावर के मकान की दीवार के पास रोड से 2 फीट ऊपर	धनालाल जी के मकान के पास झोपड़ी की दीवार पर रोड से 3 फीट ऊंचा	धनालाल जी के महावर के गेट के पास नीचे वाली के नीचे 9 इंच रोड से ऊपर	बनवारी लाल जी के मकान के गेट के पास नीचे वाली के नीचे 9 इंच रोड से 4 फीट ऊपर	देवीलाल जी के मकान की दीवार के नीचे रोड से 13वीं सीढ़ी से 1 फीट ऊपर	रोड से नदी की तरफ दीवार पर 3 सीढ़ी पर	नीचे से 13वीं लेन्डिंग से 2 फीट ऊपर	10वीं लेन्डिंग के बाद दूसरी सीढ़ी पर	नवी लेन्डिंग पर	छठी लेन्डिंग के ऊपर	-
दोस्तपुरा	शंकलाल माली के मकान के सामने रोड पर 2 फीट ऊपर	उदयसिंह शक्तावत के मकान पर रोड से 3 फीट ऊपर	किशन सिंह राजपूत के मकान की डीपीसी से 3 फीट ऊपर	ग्यारसीला ल पान वाले के मकान की डीपीसी लेवल से 3 फीट ऊपर	लक्ष्मण लाल मीणा के मकान के रोड से 1 फीट ऊपर	सुलभ कॉम्प्लेक्स के फ्लॉर लेवल से 2.5 फीट नीचे	रिटेनिंग वाल के टॉप से 5 फीट नीचे।	रिटेनिंग वाल के टॉप से 10.5 फीट नीचे	पिचिंग की अपरवाल से 1 फीट ऊपर	-	-
खेड़लीफाट क	रामस्वरूप के मकान की पहली सीढ़ी से 5 फीट	भैरुलाल के मकान की पांचवीं सीढ़ी से 2 फीट	रघुवीर सिंह के मकान पर डीपीसी लेवल से 1 फिट ऊपर	सुरेश कुमार के मकान के सामने रोड से 2 फीट ऊपर	नन्दकिशोर के मकान के सामने रोड पर 1.5 फीट ऊपर	ओम प्रकाश मीणा के सामने रोड लेवल पर	-	-	पहली लेडिंग से 50 मीटर ऊपर की तरफ	पहली लेन्डिंग के बाद दीवार पर 1 फीट ऊपर	पानी की तरफ से चौथी सीढ़ी ऊपर

	ऊपर	ऊपर							रोड़ लेवल पर		
बृजराजपुरा	श्रीमती दिव्या के मकान पर डीपीसी से 1 फीट ऊपर	श्रीमती दिव्या के मकान के सामने रोड़ से 3 फीट ऊपर	-	श्यामलाल के मकान के सामने रोड़ से 2 फीट ऊपर	गोविन्दलाल भील के मकान के सामने रोड़ पर 1 फीट ऊपर	रमेश चन्द्र मेघवाल के मकान के सामने डीपीसी लेवल से 1 फीट ऊपर	-	-	-	-	-

जल संसाधन खण्ड, कोटा

बाढ़ आपात योजना वर्ष-2018

जिला कोटा



फलड कन्टेंजेसी प्लान
(तालाबों के लिये)

जल संसाधन खण्ड, कोटा

बाढ़ आपात योजना वर्ष 2018

जल संसाधन विभाग कोटा से सम्बन्धित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार से है:-

- 1— 8 तालाब व बांधों की सूची जो जल संसाधन विभाग के अधीन थे, जिसके अन्तर्गत क्रम संख्या 1 से 6 तालाब पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। जिनकी सारणी निम्नलिखित है:-

क्र.स.	तालाब / बांधो का नाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	तहसील
1	लखावा	रानपुर	लाडपुरा	लाडपुरा
2	खातीखेड़ा	कुराड़	सांगोद	सांगोद
3	चौमा	चौमा	सुल्तानपुर	दीगोद
4	रानपुर	रानपुर	लाडपुरा	लाडपुरा
5	बोराबास	बोराबास	लाडपुरा	लाडपुरा
6	गिरधरपुरा	डोलिया	लाडपुरा	लाडपुरा

जिनके टूटने से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है, व प्रपत्र ‘क’ में सलग्न किया है। ऐसे तालाब जिनका रख—रखाव पंचायत समितियाँ / पंचायतों द्वारा किया जाता है, उसमें अगर किसी भी तरह की हालत चिन्ताजनक हो तो सम्बन्धित अधिकारी जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, कोटा अथवा सहायक अभियन्ता बाढ़ सुरक्षा उपखण्ड, कोटा से तकनीकी राय हेतु सम्पर्क कर सकते हैं। पंचायत समितियाँ, पंचायती तालाबों की मरम्मत एवं देख—रेख का कार्य भी सम्बन्धित पंचायत समिति या पंचायत स्वयं करेगी। विभिन्न नदियों में जल प्लावन व प्रवाह से प्रभावित होने वाले गावों की सूची परिशिष्ट ‘ख’ में वर्णित है।

- 2— मिट्टी के कट्टों की व्यवस्था :-

क्र.स.	स्थान का नाम	प्लास्टिक बैग	
		खाली	मिट्टी से भरे
1	डोलिया बांध	300	500
2	डाहरा बांध स्थल	300	500

3	सावन भादों बांध स्थल	1600 (सिंचाई कॉलोनी दरा)	3000
4	कार्यालय जल संसाधन खण्ड कोटा	2000	500

नोट :- ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित बांधों पर कट्टों को रखाने की व्यवस्था पंचायत / पंचायत समिति के स्तर से की जानी है।

नाव एवं नाविकों की व्यवस्था एवं सूची:-

जल संसाधन खण्ड कोटा में कोई नाव उपलब्ध नहीं है। आर.ए.सी., नगर निगम, विकास न्यास, मत्स्य विभाग एवं मत्स्य ठेकेदारों से तीन—चार नाव प्राप्त करना उचित होगा। पूर्व में विभाग द्वारा आर.ए.सी. कोटा को मोटर युक्त 1 नाव, इनफलेटेबल व 1 एल्युमिनियम की नाव उपलब्ध करवाई गई है।

संचार साधनों की व्यवस्था :-

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के फोन वर्षा ऋतु में ठीक करने हेतु विशेष ध्यान दिया जावे क्योंकि फोन अक्सर खराब ही रहते हैं व कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	कार्यालय	निवास
1	मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग, कोटा	2326915	2333942 / 9414077747 / 9828580808
2	अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत, कोटा	2327648	9602422236
3	अधीक्षण अभियन्ता रा०प्र०सा० एवं ज०सा० वृत, कोटा	2327785	2327785 / 9413352222
4	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, कोटा	2325537	9602422236
5	अधिशाषी अभियन्ता चम्बल परिं खण्ड, कोटा	2327211	2327211 / 8949362637
6	सहायक अभियन्ता बाढ़ सुरक्षा उपखण्ड, कोटा	2325537	94609—37920
7	सहायक अभियन्ता कोटा बैराज, कोटा	2370984	2370984 / 9887098330

5— नियंत्रण कक्ष की स्थापना :-

हर वर्ष की भाँति वर्ष 2018 में भी जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्राण की स्थापना 15 जून 2018 से निम्नलिखित स्थानों / कार्यालयों में कर दी जावेगी।

- क. कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत, कोटा (फोन— 2327648, 2320851)
ख. कोटा बैराज, कोटा (फोन— 2370984)

6— बांधों पर नियन्त्रण कक्ष :-

- अ— सावन भादों बांध एवं दरा कॉलोनी पर :-

सावन भादों बांध पर 24 घण्टे बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है। वहाँ पर वायर लेस सेवा भी है जिसका सम्पर्क बाढ़ नियंत्राण कक्ष कोटा बैराज से बना रहता है।

- ब— डोलिया बांध व बंधा धर्मपुरा पर पुलिस वायरलेस स्थापित किया जाता है।

7— कोटा शहर को बाढ़ से बचाने की योजना :—

कोटा शहर की विज्ञान नगर, तलवण्डी, राजीव नगर, आई.एल. परिसर व कॉलोनी, औद्योगिक क्षेत्र संजय नगर, गोविन्द नगर, इन्दिरा गांधी नगर, दादाबाड़ी, महावीर नगर आदि बस्तियाँ पिछले 25–30 वर्षों में ही विकसित हुई हैं जो शहर क्षेत्र से गुजर रहे और रंगबाड़ी नाला बंधा धर्मपुरा से जल प्रभाव क्षेत्र में हैं। रंगबाड़ी नाला बंधा धर्मपुरा से 8 कि.मी. ऊपर से बहकर आता है, और दादाबाड़ी नाले में विभक्त होने से पूर्व तक इसका कुल जल प्रदाय क्षेत्र लगभग 16 वर्ग मील है एवं इस स्थान पर अपेक्षित जल प्रवाह 20000 क्यूसेक्स है। इसी स्थान पर डायवर्जन चैनल का निर्माण हो चुका है, जिसकी क्षमता लगभग 12000 क्यूसेक्स है। अतः शेष 8000 क्यूसेक्स जल प्रवाह में से लगभग 3500 क्यूसेक्स दादाबाड़ी नाले में प्रवाहित होता है एवं 4500 क्यूसेक्स रंगबाड़ी नाले में प्रवाहित होता है। हवाई अड्डे के पास तक लगभग 3.00 वर्ग मील क्षेत्र का 5500 क्यूसेक्स पानी इसमें अतिरिक्त प्रवाहित होता है एवं दादाबाड़ी नाले का लगभग 7000 क्यूसेक्स पानी इसमें पुनः मिलकर लगभग 14000 क्यूसेक्स के अपेक्षित प्रवाह से साजीदेहड़ा के नाम से यह नाला सोफिया स्कूल के पीछे से निकलकर किशोरपुरा होकर कोटा बैराज में (चम्बल नदी में) मिल जाता है। इस नाले के मूल जल प्रवाह क्षेत्र में ही तलवण्डी, महावीर नगर, विज्ञान नगर, दादाबाड़ी आदि घनी बस्तियाँ बस गई हैं। नाला जल प्रवाह क्षेत्र के किनारे पर एवं निचले क्षेत्र के अतिरिक्त जल प्रवाह क्षेत्र में बने पुराने तालाब छत्रपुरा के पेटे में एवं इस तालाब के नीचे होकर नाला क्षेत्र में संजय नगर एवं कई अनाधिकृत मकान व छोटी बस्तियों के निर्माण हो जाने के फलस्वरूप पानी के प्राकृतिक बहाव में अवरोध हो गया है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

वर्ष 2005 में भी कोटा में बाढ़ की वजह से कई बस्तियाँ जैसे:— तलवण्डी, जवाहर नगर, विज्ञान नगर, साजीदेहड़ा एवं अन्य क्षेत्रों को प्रभावित किया है। डाईवर्जन चैनल बनने के बाद यह प्रवाह कम होगा किन्तु शहर में होकर बहने वाले नालों की सफाई 15 जून तक करवाना अति आवश्यक है ताकि पानी का बहाव अवरुद्ध न हो।

विशेष टिप्पणी :—

रानपुर, लखावा एवं बोराबांस तालाब काफी पुराने तथा वर्तमान में पंचायत समिति के नियन्त्रण में हैं। इन तालाबों में वर्षा ऋतु में सिंक होल हो जाते हैं, जिससे रिसाव बढ़ जाता है और इनके क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है।

अतः रानपुर, लखावा एवं बोराबास बांधों पर कट्टों व अन्य सामग्री की व्यवस्था नगर निगम पंचायत समिति स्वयं के स्तर से की जानी हैं।

8. कोटा शहर क्षेत्र एवं जिले की पांचों पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर तुरन्त उपलब्ध रहने हेतु एक-एक बचाव दल का गठन किया जाना उचित होगा। इस बचाव दल में निम्न सदस्य रखे जाने प्रस्तावित हैं।
 - (क) एक सहायक अभियन्ता सी0ए0डी0 / सा0नि0वि0 आदि विभाग।
 - (ख) एक प्रशासनिक अधिकारी (तहसीलदार स्तर का)
 - (ग) एक कनिष्ठ अभियन्ता

(द्य) चार श्रमिक मय आवश्यक उपकरण।

1 सब्बल, 2 गेंती, 2 फावड़ा, 2 तगारी, 1 टार्च, रस्सा 20 मीटर, 100 खाली कट्टे। सिंचाई विभाग में तीन बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना के फलस्वरूप सहायक अभियन्ता, बाढ़ सुरक्षा उपखण्ड कोटा के अतिरिक्त अन्य सहायक अभियन्ता की सेवा उपलब्ध नहीं हो सकेगी। सिंचाई विभाग के श्रमिकों की कोई गेंग नहीं है। अतः गत वर्ष की भाँति निर्माण विभाग एवं नगर निगम में न्यूनतम 10 श्रमिकों को नियंत्रण कक्ष में ही उपलब्ध कराना उचित होगा। नियंत्रण कक्ष में ही दो गोताखोरों की सेवाएँ उपलब्ध रखने हेतु नगर निगम से कार्यवाही की जाना उपयुक्त होगा। शहर या जिले में बाढ़ नियंत्रण बचाव कार्य हेतु आपातकाल में पुलिस सेवा के 50 जवान तुरन्त उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित सेवा / पुलिस अधिकारियों को निवेदन करना उचित होगा।

बचाव सामग्री की उपलब्धता :-

बचाव दल के अतिरिक्त जिला नियंत्रण कक्ष, नगर निगम, नगर विकास न्यास व पंचायत समिति मुख्यालय पर निम्न बचाव सामग्री का रखना उचित होगा।

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| (क) 5 सब्बल | (ख) 2 गेंती | (ग) फावडे | (घ) 10 तगारी |
| (ड.) रस्सा मोटा 100 मीटर | (च) 1000 खाली कट्टे | मय सुआ व सुतली | (छ) लालटेन व टार्च |

विभाग के पास 6 HP, 12 HP के दो-दो पम्प व 26 HP का एक पम्प सेट उपलब्ध है, परन्तु पम्प चालक व पम्प को ले जाने हेतु ट्रेक्टर ट्रोली उपलब्ध नहीं है।

विभाग के पास उपलब्ध सामग्री निम्नानुसार है :-

क्र. स.	सामग्री का नाम	संख्या	संबंधित अधिकारी / कर्मचारी	टेलीफोन नं
1	गेंती	12 नग	श्री अजय आजाद, सहायक अभियन्ता	82095-28022
2	फावडे	20 नग		94609-37920
3	तगारी	30 नग		0744-2325537
4	गम बूट	6 नग		
5	रस्सी	50 फीट		
6	टोचन वायर	20 फीट		
7	पम्प सेट 6 HP 12 HP 26 HP	2 सेट 2 सेट 1 सेट	श्री डाल सिंह चौधरी वरिष्ठ लिपिक	773781-18681

खण्ड में उपलब्ध कट्टों का विवरण

8	खण्डीय कार्यालय खाली कट्टे भरे कट्टे	2000 500	
---	--	-------------	--

9	डोलिया बॉध खाली कटटे भरे कटटे	300 500	श्री अजय आजाद, सहायक अभियन्ता 82095—28022 94609—37920
10	डाहरा बॉध खाली कटटे भरे कटटे	300 500	
11	सावन भादों खाली कटटे भरे कटटे	1600 3000	श्री अनिल यादव, सहा. अभि. सावनभादों बॉध उपखण्ड दरा 77421—95400

वायरलेस सेवा :—

बाढ़ एवं बाढ़ बचाव कार्यों से सम्बन्धित सूचना संकलन व प्रसारण हेतु नियंत्रण कक्ष नगर निगम, नगर विकास न्यास, जिला परिषद, सिंचाई विभाग, निर्माण विभाग, जिले की सभी 6 तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय को पुलिस वायरलेस सेवा उपलब्ध कराने से प्रभावी कार्यवाही व नियंत्रण संभव हो सकेगा।

बंधा धर्मपुरा कोटा शहर में बाढ़ के पानी का प्रवेश स्थानः— बंधा धर्मपुरा पर पुलिस वायरलेस पुलिस विभाग द्वारा स्थापित किया जाता है। वहाँ पर पानी के गेज की सूचना कोटा बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जिला कलक्टर कार्यालय एवं सिंचाई बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर भेजी जाती है।

समीक्षा बैठक का आयोजनः—

माह जुलाई से सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से 3.00 बजे एक समीक्षा बैठक आयोजित करना उचित होगा। जिसके बाद बचाव कार्यों व उपायों के संचालन व क्रियान्वयन से आ रही कठिनाईयों व विभिन्न विभाग व अधिकारियों से प्राप्त सुझावों पर विचार कर कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रपत्र — “क”

तालाबों एवं बाधों से प्रभावित गांवों की सूची

क्र.स.	नाम तालाब / बॉध	प्रभावित गांवों का नाम
1	डाहरा	पोलाईकलौ
2	खातीखेडा	नाजरिया, खातीखेडा
3	चौमा	चौमा, मलियान, बीबू
4	रानपुर	अन्नतपुरा से डी.सी.एम. क्षेत्र
5	गिरधरपुरा	गिरधरपुरा
6	बोराबास	गूजरो की टापरियां
7	लखावा	लखावा, अन्नतपुरा व डी.सी.एम. क्षेत्र, रायपुरा, देवली अरब
8	सावन भादों बॉध	सिमल्या, कनवास, कोलानी, कोलाना, सावन भादों, आंवा, पीसाहेड़ा, देवली, ढोटी, काठौन

स्थायी व्यवस्था :—

क्र. सं.	अधिकारी का पद	समिति के पद	फोन नं.		
			एस.टी.डी. कोड	ऑफिस	निवास / मोबाइल
1.	अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त कोटा	सदस्य	0744	2327648	2504156 / 9460020715

निचले क्षेत्रों की सूची :-

क्र.सं.	तहसील / नगर निगम / नगर पालिका	निचले क्षेत्र
1	कोटा नगर निगम (तहसील लाडपुरा)	खण्ड गांवडी, संजय नगर, बस स्टेप्ड के पास हरिजन बस्ती, नयापुरा, कालापुरा, रामचंद्रपुरा, (रेल्वे लाईन के पास), केशवपुरा कच्ची बस्ती पार्ट-ए तथा पार्ट-बी, छावनी गोविन्द नगर, इन्द्रा गाँधी नगर, कन्सुआ, रायपुरा, सकतपुरा, बापू कॉलोनी, डडवाडा, बडगाँव, जे.पी. कॉलोनी, किशोरपुरा, आर्दश नगर, शिवपुरा, विज्ञान नगर, दोस्तपुरा (ए-बी) राम नगर, अनन्तपुरा, प्रेमपुरा, कच्ची बस्ती, बजरंग नगर, थेकडा, सूर्य नगर, राजीव गाँधी नगर, गोबरियॉ बाबडी, राकपाडा, छत्रपुरा अकेलगढ़ के पास सुभाष बस्ती, गणेश नगर (हरिजन बस्ती) बालाकुण्ड, हनुमान कच्ची बस्ती, दादाबाडी, सुभाष नगर, अम्बेडकर कॉलोनी।
2	सॉगोद नगर पालिका	महात्मा गाँधी चौराहा, हिंगी रोड, कोडियो का चौक।
3	कैथून नगर पालिका	बसस्टेप्ड, गाँधी गाल।

जिले में नदी/नालों में बाढ़ आने से प्रभावित होने वाले गाँवों की सूची।

तहसील/ नगरपालिका	नदी/ नाला	प्रभावित गाँव/ वार्ड	उपखण्ड का नाम
लाडपुरा	आलनियॉ नदी	आलनियॉ, बरियाखेडी, केवल नगर, डाढ़देवी, मवासा, रानपुर, अभयपुरा, हरियाखेडी, लाडपुरा, रामनगर, रामपुरा, प्रहलादपुरा, उम्मेदगंज, धाकड़खेडी, वीरन्दा, कवरपुरा, राजनगर, अमोदखेडा, नोहरा, बोरखण्डी, अर्जुनपुरा, चन्द्रेसल, नोटाडा, कैथून, भीमपुरा, मण्डानिया, नगपुरा, खेडा, खेडारसूलपुरा, मंडानिया गखरा, भोजपुरा, जगपुरा, दसलाना, हाथीखेडा, पखरती, रामखेडी, पीपल्दा, रामराजपुरा, मानस गाँव।	लाडपुरा
लाडपुरा	रंगबाडी, उम्मेदगंज, अनन्तपुरा, साजीदहडा नाला	अनन्तपुरा, विज्ञान नगर, तलवण्डी, किशोरपुरा, दादाबाडी संजय नगर, गाँधी नगर, इन्द्रागाम्भी नगर, रामचन्द्रपुरा, महावीर नगर इन्स्ट्रूमेन्टेशन, टाउनशिप एवं फेकट्री जे.के.नगर, डी.सी.एम. कॉलोनी, कंसुआ और उम्मेदगंज।	कोटा शहर
सांगोद	काली सिन्ध नदी	बोरीना कंला, बोरीनाखुर्द, विजयपुरा, कुदैत, घटाल, नाहरिया, कोटडी, थूनपुर।	सांगोद
सांगोद	उजाड नदी	बागडस्या, जोगडा, हींगी, सहीपुर, विनोदखुर्द, विनोदकंला, मोईखुर्द, सांगोद, नागलखेडी, नागरलहेडी, मालीहेडा, झालीहेडा, नागरखेडी, अतरालियॉ, करीरिया, कांगन्या, कुन्दनपुर, राजगंड, गुडला, रौलाना।	सांगोद
सांगोद	परवन नदी	चरैल, कोटडा, लबानियॉ, बपाबरखुर्द, रेलावद, घांसखेडा, डाबरीकंला, ठीमली, राजगंड, उमरदा, बूढ़नी, सहीपुर, सांगोद, बाढीहेडा, राजपुरा, देवली, ढोटी, थूनपुर, गुडला, खेडली, मूँडला, रामगढ़ उर्फ कैलाशपुरा कनवास, देवली, खण्ड गाँव।	सांगोद
सांगोद	अरु नदी	कनवास, देवली, खण्डगाव।	सांगोद
पीपल्दा	कालीसिन्धनदी	खरवण, खेडली, नोरेरा, आमल्दा, छीपरी, ढीपरी कालीसिन्ध।	इटावा
पीपल्दा	सूखनी नदी	इटावा, डडवाडा, खातौली, खेडली, बोरदा।	इटावा
पीपल्दा	पार्वती नदी	कडीला, कैथूदा, गुडला, गोरधनपुरा, बोरदा, बीरोदा, नीमोदा, फूंसोद, मोरखूदना, मरझाना, मीठोद, खातौली, जटवाडा, जटवाडी, बालूपा, नयागाँव, संग्रामपुरा, छापोल, लालगंज, गिरधरपुरा।	इटावा
रामगंजमण्डी	अमझार नदी	चेचट, निमौदा, सालेडाखुर्द, मवासा, चन्द्रपुरा, एवं अमझार नदी के समीप वाले गाँव।	रामगंजमण्डी

बॉधो की सूची (तहसीलवार)

क्र. सं.	नाम	लम्बाई (M)	क्षमता (Mcft.)	प्रभावित होने वाले गाँवों के नाम	प्रभावित जनसंख्या
1. तहसील लाडपुरा					
1	रानपुर तालाब	1530.00	36.01	अनन्तपुरा, डी.सी.एम.	3000
2	गिरधरपुरा तालाब	396.00	34.95	गिरधरपुरा	512
3	बोराबास तालाब	570.00	16.59	गृजरो की टापरियॉ	2133
4	लखावा तालाब	1170.00	25.42	लखावा, अनन्तपुरा, डी.सी.एम., रायपुरा, देवली अरब	4173
5	डोलिया बॉध	491.50	39.00	कॉलोनी, लक्ष्मीपुरा, अगरू, पॉचनकुई	1500
2. तहसील सांगोद					
1	सावन भादो बॉध	4285.00	1060.00	सिमल्या, कनवास, कोलाना, कोलानी, माधोपुर, मांदलहेडी, नीमखेडी, पटुखेडी लाडपुरा, सावन भादो, आवां, मोहनपुरा, जांगलहेडी, खजूरना, उरना, खातियाखेडी, झोरमली, भीखाखेडी, कांदीपुरा, झोकली, खुशालीपुरा, साजरा, जगदीशपुरा, देवली, ढोटी, काठोन	16402
2.	खातीखेडा तालाब	2100.00	38.84	बृजलिया, खातीखेडा	100
3. तहसील दीगोद					
1	डाहरा तालाब	2537.85	63.55	पोलाई कलौ	425
2	चौमा तालाब	1851.00	27.50	चौमा मालियान, बीबू।	1355
3	बूढ़ादीत तालाब			बूढ़ादीत	

मुख्य नहरे एवं उनकी भराव क्षमता की सूची (मय नवशा)

क्र.सं.	नहर का नाम	भराव क्षमता
1.	दांयी मुख्य नहर चम्बल	6656 Cusecs

राजकीय वाहनों की सूची तहसीलवार

क्र.स.	वाहन संख्या	वाहन किस्म	विभाग का नाम	वाहन चालक का नाम
तहसील लाडपुरा				
1.	RRR-7745	Jeep	सहायक अभियन्ता बाढ़ सुरक्षा उपखण्ड कोटा	श्री देवेन्द्र (अस्थाई)
2.	RJ 08- UA-4381	Jeep	अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, कोटा	श्री कल्याण सिंह
3.	RJ20-C-1620	Jeep	सहायक अभियन्ता, सावन भादों उपखण्ड तृतीय कनवास	श्री ताराचंद
तहसील सॉगोद				
1	RSO- 3588	Jeep	सहायक अभियन्ता, सावन भादों उपखण्ड द्वितीय दरा मु0 रामगंजमण्डी	श्री जुम्मा खां

कोटा शहर को बाढ़ से बचाव हेतु योजना की प्रथम चरण की वस्तुस्थिति”

1. कोटा शहर को बाढ़ से बचाव हेतु प्रथम चरण की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग की तकनिकी सलाहकार समिति की दिनांक 03.08.1999 को हुई 71 वीं बैठक में स्वीकृत की गई है।
2. स्वीकृत योजना के कोटा शहर के ऊपर धर्मपुरा नाले पर एक पिक—अप वियर बनाकर मुख्यतः 3 नाले क्रमशः धर्मपुरा नाला, आवली नाला एवं राजौरी नाले के जल का 5.6 कि.मी. लम्बी नहर द्वारा अपवर्तित कर चम्बल नदी में डालना प्रस्तावित था एवं केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अपवर्तित किये जाने वाले जल की मात्रा 850 क्यूमेक स्वीकृत की गई थी।
3. तत्पश्चात उक्त कार्य को एशियन डिवलपमेन्ट बैंक की सहायता से आर. यू. आई. डी.पी. को आवंटित किया गया।
4. आर. यू. आई. डी.पी. द्वारा योजना को अपवर्तित जल की मात्रा 540 क्यूमेक के अनुसार क्रियान्वित किया, जिसके अनुसार शेष जल 310 क्यूमेक की कोटा शहर में से प्रवाहित होना था।

अधिशासी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड कोटा

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER PWD CIRCLE,KOTA

Contingency plan and preparedness for South-West Monsoon 2018

The Monsoon is likely to set up by the end of June, as such every efforts shall be made to meet the situation created by downpour / floods some of the important works which shall be carried out for on-coming Monsoon year 2017 are as given below :-

(1)Control Room

A centralized control room will be established in the campus of Addl.Chief Engineer's office PWD, Kota (Distt. Dn. Kota). Which shall start functioning from 15th June 2017 round the clock having Telephone No. 0744- 2327750 and the Executive Engineer, PWD Distt. Dn. Kota shall overall in-charge of this control Room as Nodal Officer. All the information regarding road, blockages/ damages etc. shall be reported in this control room immediately telephonically.

(2) Pre- Monsoon inspection of CD Works

As per instructions contained in PWD manual, Pre- Monsoon inspection of Bridges, culverts etc. shall be carried out and it shall be ensured that water ways of all CD works, particularly of Hume-pipe culverts are cleared before rainy season. All the CD works which are in progress shall be completed or the same shall be brought to safe stage by 15.6.2017.

(3) Identification of vulnerable points and remedial measures

(a) Empty and sand filled bags shall be stacked properly at such location or other convenient place from where it can easily be transported at the desired places when required.

(b) T&P like spads, Pick-axes and pans etc. in sufficient nos are ensured to be available.

(C) All the pump –sets which are out of order or lying idle may be attended and repaired immediately and be kept ready for use.

(d) Warning / information signboards shall be kept ready to be used when roads are breaches. Chowkidars with Red lamps or reflective sign boards shall be immediately provided where there is any hazard of risk to traffic. Ensure fixing of cautionary boards on both sides of all vulnerable flush/vented causeway and submersible bridges etc. depicting that “ DO NOT CROSS IF DEPTH OF WATER IS MORE THAN 15 CMs ”.

(e) Action for repairs to road side drains, bridges, culverts, retaining walls etc. particularly for scouring of foundations shall be taken immediately.

(f) Flood gauges shall be provided where missing and the old ones are painted, so that they are clearly visible.

(g) Arrangements are to be made for prompt transmission of information to Bus-Depots in case of breach, flowing of rivers above danger mark etc.

(h) Guard stones and chain links shall be provided where ever missing on submersible bridges and flush causeways. Where there is no guard stones & chain links on submersible bridges & flush/vented causeways, thick rope along edges of the submersible bridges & flush/vented causeways with the help of Bamboos, scaffolding etc shall be provided. The required material viz. Bamboos, scaffolding & ropes shall be purchased as per need after obtaining required amount from concerned District Collector. The work of toeing rope and its look after will be carried out by PWD.

S.No.	Place	Availability
1	Division Office Itawa	200 sand bags/Earth filled bags, 5 Tagari, 5 spades, 5 pickaxe, rope & Torch
2	Gange hut Khatoli	200 sand bags/Earth filled bags, 5 Tagari, 5 spades, 5 pickaxe, rope & Torch
3	Dak bungalow Sultanpur	200 sand bags/Earth filled bags, 5 Tagari, 5 spades, 5 pickaxe, rope & Torch
4	PWD Chowki near Aerodrame Circle, Kota	500 sand bags/Earth filled bags, 5 Tagari, 5 spades, 5 pickaxe, rope & Torch
5	Division Office Sangod	200 sand bags/Earth filled bags, 5 Tagari, 5 spades, 5 pickaxe, rope & Torch
6	Dak bungalow Ramganjmandi	200 sand bags/Earth filled bags, 5 Tagari, 5 spades, 5 pickaxe, rope & Torch
7	Gange hut Dara	200 sand bags/Earth filled bags, 5 Tagari, 5 spades, 5 pickaxe, rope & Torch
8	Gange hut Kaithoon	200 sand bags/Earth filled bags, 5 Tagari, 5 spades, 5 pickaxe, rope & Torch

(4) Information for road blockages / road portion under submergences :-

Immediately after receiving information on telephone/ telegraphically to the control room of the Chief Engineer and Kota zone campus regarding road breaches, a brief report giving description of such damages, traffic held up, restoration measures taken and traffic restored shall be submitted.

The road portion remained under submergence last year, shall be minutely inspected & all cautionary/ remedial measures shall be initiated.

The road portion likely to remain under submergence in case of heavy downpour, shall be prior inspected & all remedial measures shall be initiated. Information regarding steps taken for such portion shall be sent.

A list of heavy machineries viz JCB Cranes, Loaders, Dumpers, etc. available with department/Contractor along with their location & contract no. etc. will be made available to the District Collector, so that district administration may take help of them in case of any calamity.

(Devi lal Arya)
Superintending Engineer,
PWD Circle, Kota.

सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा के पास उपलब्ध— उपकरणों की सूची

AVAILABILITY OF ESSENTIAL EQUIPMENTS IN DISTRICT KOTA

S.N o.	Type of Equipment	Nos.	Location	Name of Owner	Contact address in Emergency with Telephone No.	Rema rks
1	2	3	4	5	6	7
1	Tractor Dumper	1 1	Kota	M.M. Const.(Mahendra)	Kota 9413361269	Machi naries engag ed on Road Works in Distt. Kota
	JCB	1				
2	JCB Tractor/Dumper/Truck	1 10	Khatoli	Madan Mohan Goyal	Khatoli Teh. Pipalda 9414188731	
3	JCB Tractor/Dumper	1 6	Anantpur a (Kota)	M/s Munni Lal & Co.	Anantpura Crusher 9214868480	
4	JCB Tractor/Dumper	1 2	Kota	Sh. R.C. Sharma	Shopping Centre Kota 9414190093	
5	JCB Truck Pumpset Generator	1 6 3 3	Kota	M/s Raghubala Const. Co.	Dadabari Kota 9414185797	
6	Dumper Tractor	5 3	Kota	Vijai Saxena	Kota 9414844331	
7	JCB Dumper	1 2	Kota	Harish Garg	Dadabari Kota 9413352331	
8	JCB Dumper/Tractor	1 4	Kota	S & A Engineers	Kota 9314035524	
9	JCB Tractor	1 5	Sangod	Abdul Karim	Sangod 9929774375	
10	JCB, Trucks Dumper	1 2 2	Sultanpur	Jain/Chetak Enterprises. Sh. Hukum Chand Jain	9413352610 Mundra Ji	

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा

—: बाढ़ एकशन प्लान वर्ष 2018 :—

कोटा जिले में मानसून काल में संभावित अतिवृष्टि व बाढ़ से उत्पन्न संकटकालीन स्थिति से निपटने हेतु श्रीमान जिला कलवटर, कोटा के दिये गये निर्देशानुसार व पिछले वर्ष बाढ़ आपात योजना का बिन्दुवार अध्ययन करने के बाद निम्न बाढ़ एकशन बनाया गया है :—

1. **बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना** :— जिले में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसमें 24 घण्टे पैरामेडिकल स्टॉफ की ड्यूटी लगाई गई है जिसका दूरभाष संख्या 0744-2329259 है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों हेतु मोबाईल दल गठित किये गये हैं जो 24 घण्टे तैयार रहते हैं एवं सूचना मिलते ही मय एम्बुलेन्स दवाईयों, ओ.आर.एस. सहित प्रभावित स्थान पर पहुंचते हैं। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के प्रभारी श्री डी.पी. चौधरी, कीट विशेषज्ञ, कार्यालय हाजा को बनाया गया है।
2. **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मोबाइल दल** :— जिले में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मोबाइल दल गठित किये गये हैं जिसमें सभी को निर्देशित किया गया है कि बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु सभी तैयारियां पूर्ण रहे सूचना प्राप्त होते ही अविलम्ब प्रभावित स्थान पर पहुंचकर चिकित्सा-उपचार, रोकथाम एवं नियंत्रण की कार्यवाही करें। इस क्रम में उन्हें समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं।
3. **आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता** :— जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आपात स्थिति से निपटने हेतु ब्लीचिंग पाउडर, रुटिन दवाईयां, ओ.आर.एस. उपलब्ध हैं जो कि पर्याप्त होंगे।
4. **पेयजल शुद्धिकरण एवं नमूने लेना** :— सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारी को निर्देशित किया गया है कि समय-समय पर पेयजल स्रोतों का शुद्धिकरण करें एवं पानी के नमूने जांच हेतु लिये जावें। भ्रमण के दौरान इन बातों पर विशेष ध्यान रखा जावे। सभी चिकित्सा अधिकारी को आदेशित किया गया है कि विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं जनप्रतिनिधि एवं जलदाय विभाग के अधिकारी से समन्वय बनाये रखें। साथ ही चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को पाईप लाईन क्षतिग्रस्त है या गन्दे पानी में डूबा हुई है या लिकेज है, उनके लिए जलदाय विभाग को लिखा जावे एवं उनके पानी के नमूने लेकर जांच करवाई जावे।
5. **मलेरिया की रोकथाम** :— मलेरिया की रोकथाम की कार्यवाही के अन्तर्गत पानी के भरे हुए गढ़ों में जला हुआ तेल छिड़काना, दवा वितरण केन्द्रों की सुदृढ़ बनाना, बुखार की स्लाईड लेना, डी.डी.टी. स्प्रे करने की कार्यवाही हेतु चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
6. **स्वास्थ्य शिक्षण** :— सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि आम जनता में जागृति हेतु स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी देवे जिसमें पानी को छानकर पीना, नल में पानी आने पर थोड़े देर नल चलाकर फिर पानी भरें। उल्टी-दस्त होने पर पेय पदार्थ एवं ओ.आर.एस. काम में लेवें। बुखार होने पर खून ही आवश्यक रूप से जांच करावें। गन्दे, कटे, सडे फल, सब्जियां, मिठाईयां उपयोग में नहीं लेवें। हैंडबिल छपवाकर सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को दिये गये हैं कि वह आम जनता में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करावें।
7. **संवेदनशील क्षेत्र को चिह्नित करना** :— पिछले वर्ष आई बाढ़ के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों को चिह्नित करने के निर्देश चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को दिये गये हैं एवं उन गोंवों एवं बस्तियों में विशेष ध्यान रखने बाबत आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त उपचार, नियंत्रण की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सांगोद, कैथून, ईटावा, काला तालाब, आदि से विशेष ध्यान रखने बाबत निर्देशित किया गया है तथा शहर में स्टेशन, जनकपुर, मालारोड, जी.एन.मा.ली. कॉलोनी, महात्मा गांधी कॉलोनी, संजय नगर, विज्ञान नगर, तलवण्डी, संतोषी नगर, महावीर नगर विस्तार योजना, अमर निवास, दादाबाड़ी, छत्रपुरा, रामचन्द्रपुरा, आदि हेतु शहर में बाढ़/अतिवृष्टि से उत्पन्न रोग पर नियंत्रण हेतु दल बनाये गये हैं। इनको अलग-अलग क्षेत्रानुसार बांटा गया है एवं निर्देशित किया गया है कि रोग नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

साथ ही सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि बिना स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोड़ें। अवकाश की स्वीकृति जिला कलक्टर/निम्न हस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

—: बाढ़ नियंत्रण एक्शन प्लान :—

बाढ़ ग्रस्त संभावित क्षेत्र :—

कोटा शहर :—	नयापुरा, कालपुरिया, हरिजन बस्ती, दोस्तपुरा, गांवड, खेडली, साजीदेहडा, छत्रविलास, संजय नगर, विज्ञान नगर, रामचन्द्रपुरा।
कोटा ग्रामीण :—	सांगोद, इटावा, दीगोद, कैथून, रामगंजमंडी, मण्डाना।
चिकित्सा दल :—	14 (8 दल कोटा शहर एवं 6 दल कोटा ग्रामीण)
कार्यरत चिकित्सक :—	14
मेल नर्स :—	14
मलेरिया निरीक्षक :—	04
सैनेटरी निरीक्षक :—	04
हैल्थ वर्कर	16
वाहन चालक :—	12
वाहन कार्यरत :—	12

कार्य योजना :— संलग्न परिशिष्ट ए, बी

संबंधित रोग :— चर्म रोग, उल्टी-दस्त, मलेरिया, डेंगू, सर्पदंश, बुखार, भोजन विशक्ता, खांसी, आदि अन्य रोग।

दवाई उपलब्धता :— ए.वी.एस. (स्वेक वेनम) मलेरिया एवं उपरोक्त वर्णित समस्त बिमारियों की दवाईयां दलों को उपलब्ध कराई जावेगी। दलों के पास ब्लीचिंग पाउडर व क्लोरिन टेबलेट भी उपलब्ध रहेगी।

(डॉ. आर. एन. यादव)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा –बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम कोटा शहर

क्र.सं.	दल प्रभारी	कार्य क्षेत्र	वाहन संख्या	पैरामेडीकल स्टाफ शहरी मलेरिया निरीक्षक / सेनेटरी निरीक्षक	एम.पी.डब्ल्यू/ एच. डब्ल्यू	स्प्रे दल
1	4	5	6	7	8	9
1	डॉ. सुभाष मेहता, क.वि. (सर्जन), सीएचसी भीमगंजमंडी 9414180622	नयापुरा क्षेत्र	आर.जे. 20 सी. 2730 श्री छीतर सिंह वा.चा. 9314851419	श्री भुवनेश मीणा, नर्स–2, भीमगंजमंडी 9462186043 / श्री राजेन्द्र विजय, एसआई, आरसीएचओ कार्यालय 9413987193	श्री सीताराम सेन, एचडब्ल्यू कुन्हाडी 9636535360	सम्बन्धित क्षेत्र का श्री नंदलाल व बाबूलाल / सन्नू नियुक्त करवायेगे
2	डॉ. चेतन शर्मा, चि.अ. टी. बी. क्लीनिक, कोटा 9414286684	खाई रोड क्षेत्र	आर.जे. 20 पीए 7031 श्री जितेन्द्र सिंह वा.चा. 8003753159	वीरेन्द्र भारद्वाज, नर्स–1, भीमगंजमंडी 9413221753	श्री गोपाल लाल / छोटे लाल 9785119395 "
3	डॉ. प्रशान्त दाधीच, चि.अ. 030, पीएचसी नान्ता 8890972002	नेहरू हरिजन बस्ती क्षेत्र	आर.जे. 20 पीए 7031 श्री रामस्वरूप बंजारा 9413471534	श्री महेन्द्र सिंह, नर्स–2, दादाबाड़ी 9413829886	श्री नारायण लाल, एचडब्ल्यू 9785148650 "
4	डॉ. नितिन दत्ता चि.अ. राज.चिकि. सूरजपोल 9414236576	खण्ड गॉवडी क्षेत्र	आर.जे. 20सी. 0247 श्री प्रह्लाद मीणा प. क. 9799033938	श्री हीरालाल मीणा, नर्स–2, सूरजपोल 9929564250	श्री हेमराज सेन, एचडब्ल्यू 9887476893 "
5	डॉ. महेश सोनी चि.अ. जिला चिकित्सालयरामपुरा 9414188535	दोस्तपुरा क्षेत्र	आर.जे. 20 सी 7793 श्री गिरीराज सेन 9950366144	श्री बृजलाल, नर्स–2, शोपिंग सेन्टर 9414844002	श्री प्रकाशचंद्र पांचाल 9929186799 "
6	डॉ. रईस खान चि.अ. पीएचसी पुरोहितजी की टापरी 9782902710	खेडली फाटक क्षेत्र	आर.जे. 20 सी 6848 श्री नन्दकिशोर 9461147067	श्री राधेश्याम बंसल, नर्स–2, टिपटा 9251612033	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा 9680520598 "
7	डॉ. महेश चतुर्वेदी, चि.अ. राज.चिकि. कुन्हाडी 9414274997	बालिता रोड निचली बस्ती क्षेत्र	आर.जे. 20 सी–212 श्री किशोर कुमार वा. चा. 9784235220	श्री अनिल शर्मा, नर्स–2, काला तालाब 9413942280	श्री शशीकान्त सक्सेना 9887778377 "
8	डॉ. हेमन्त कुन्दनानी चि.अ. जिला चिकित्सालय रामपुरा 9649536632 9828701575	कुन्हाडी निचली बस्ती क्षेत्र	श्री ललित किशोर मित्तल वा.चा. मय वाहन 9413651588	श्री अली हुसैन, नर्स–2, तलवण्डी 9928602087 / श्री रामभरोसे गौतम, एसआई, कार्यालय हाजा 9414180588	श्री रमेश / किशोरी 9413550554 "

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा-बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम कोटा ग्रामीण

क्र. स.	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी	चिकित्सा व्यवस्था प्रभारी / दल प्रभारी	कार्य क्षेत्र	वाहन संख्या	पैरामेडीकल स्टाफ शहरी मलेरिया निरीक्षक / सेनेटरी निरीक्षक	एम.पी.डब्ल्यू/ एच. डब्ल्यू	स्पे दल
1	2	3	5	6	7	8	9
1	डॉ. साहिब लाल मीणा सुल्तानपुर 7597935178	डॉ. रामचंद्र मीणा, चि. अ. सीएचसी सुल्तानपुर 9799397375	दीगोद	श्री हनुमान स्वामी मय वाहन 9784901342	श्री रामेश्वर मीणा, नर्स-2 9414765911 श्री गजराज नागर, एलटी 9829830241	ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी इटावा एवं सुल्तानपुर अपने स्तर से स्टॉफ लगावें।	सम्बन्धित क्षेत्र का डी.डी.टी. स्पे दल
2	डॉ. सतीश खण्डेलवाल ईटावा 9530390406 9414862501	डॉ. ओ.पी. मीणा चि.अ सीएचसी ईटावा 9414661255	ईटावा	श्री मथुरा लाल मय वाहन 9950093662	श्री राघवेन्द्र गौतम, नर्स-2, 9829883041 श्री प्रताप मेवाड़ा, एलटी 9828012725		
3	डॉ. भरत कुमार मरमठ कैथून 9530390405	डॉ. बृजराज शर्मा चि. अ. सीएचसी कैथून 9530390430	कैथून	श्री बृजराज मय वाहन 9571318970	श्री अब्दूल हकीम, नर्स-2 9829146868 श्री हेमराज नागर, एलटी 9001558187 / 9413405671	श्री अमर सिंह, एमपीडब्ल्यू कैथून 9001144098"
4		डॉ. राकेश गोचर, चि. अ. सीएचसी मन्डाना 9462763600	मण्डाना	आवश्यकता पड़ने पर ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैथून का वाहन	श्री शहनवाज, नर्स-2 8290660287 श्री योगेश महावर, एलटी 9460173939	श्री राधाकिशन, वार्ड ब्याय 9784235224"
5	डॉ. एस.डी. शर्मा सांगोद 9530390408	डॉ. ओ.पी. सामर, चि. अ. सीएचसी सांगोद 9530390566	सांगोद	श्री देवकरण मीणा मय वाहन 8890185081	श्री अली मोहम्मद, नर्स-2 8890458166 श्री जितेन्द्र वर्मा, एलटी 9214942318	श्री प्रेमकुमार दाधीच, एसआई 9530390438"
6	डॉ. एनडी हिरानी चेचट 9530390401 9413221534	डॉ. राजीव लोचन सक्सैना 9414312176	रामगंजमण्डी	श्री बजरंग लाल मय वाहन 8503822766	श्री रामजी मीणा, नर्स-2, 9461681956 श्री इकराम, एलटी 9784712844	श्री रामकिशन जाटव, एमपीडब्ल्यू 9214433395 9799484955"

(डॉ. आर. एन. यादव)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा

बाढ़ नियंत्रण योजना जिला रसद अधिकारी कोटा

कार्य योजना :-

पेट्रोल पम्प एवं एजेंसियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का निम्न मात्रा में स्टॉक आरक्षित की सूची :-

(वर्ष 2017-18)

क्रम	एजेंसी	आरक्षित मात्रा (डेड स्टॉक के अलावा				
		डीजल	पेट्रोल	रिफिल सिलेण्डर	केरोसीन	गेहूँ
1	प्रत्येक पेट्रोल पम्प	1000 लीटर	300 लीटर	—	—	—
2	बैरल पॉइन्ट	200 लीटर	—	—	—	—
3	प्रत्येक रसोई गैस एजेंसी	—	—	25	—	—
4	प्रत्येक केरोसीन थोक विक्रेता	—	—	—	1000 लीटर	—
5	प्रत्येक खाद्यान थोक विक्रेता	—	—	—	—	50 कि.
6	प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार	—	—	—	100 लीटर	1 कि.

प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य डीजास्टर की स्थिति में आपदा प्रबन्धन हेतु निम्न व्यवस्था प्रस्तावित है :-

1. पेट्रोल/डीजल/केरोसीन की आपूर्ति :-

1. समस्त ऑयल कम्पनियों के डिपो मेनेजर्स को निर्देशित किया जाना प्रस्तावित है कि वे केरोसीन, डीजल व पेट्रोल का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण सुनिश्चित करें।
2. जिले में केरोसीन आयल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक थोक केरोसीन विक्रेता को 2000 लीटर एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार को 100 लीटर केरोसीन अपने स्टॉक में आरक्षित रखने हेतु निर्देशित करना प्रस्तावित है। आरक्षित स्टॉक का वितरण प्रशासनिक अधिकारीगण तहसीलदार एवं प्रवर्तन अधिकारी के माध्यम से आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा।
3. जिले में कार्यरत पेट्रोल पंप डीलर्स को 2000 लीटर डीजल एवं 1000 लीटर पेट्रोल का न्यूनतम स्टॉक आरक्षित रखने हेतु निर्देशित करना प्रस्तावित है, उक्त आरक्षित स्टॉक की बिक्री प्रशासनिक अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी के निर्देशानुसार कीजा सकेगी।

2. खाद्यान्ज आपूर्ति :-

1. आपदा से प्रभावित परिवारों को तत्कालीक राहत पहुँचाने हेतु गेहूं वितरण करने वाली उचित मूल्य दुकान पर एक बोरी गेहूं का न्यूनतम स्टाक आरक्षित रखना प्रस्तावित है जिसका वितरण सरपंच/पटवारी एवं अन्य उच्च अधिकारी के निर्देश पर एक दो दिन की आवश्यकता को देखते हुए वितरण किया जा सकेगा। ताकि पीड़ित परिवारों को संकट के समय खाद्यान्ज उपलब्ध हो सकें।
 2. बाढ़ आदि से प्रभावित क्षेत्रों में जिला मुख्यालय पर भोजन के पेकेट्स आदि तैयार कराने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में टेण्डर की प्रक्रिया वर्षा काल से पूर्व करना एवं हलवाईयों की दरें अनुमोदित करना प्रस्तावित है। जिनसे आपातकालीन स्थिति में फूड पैकेट तैयार कराये जाकर प्रभावित क्षेत्रों में वितरण कराया जाना सुनिश्चित कर लियाजायेगा।
 3. कोटा शहर में आठ मिलें पर्याप्त संख्या में हैं। जिनके द्वारा कोटा शहर के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी आठ विक्रय किया जाता है। अतः इनके पास पर्याप्त मात्रा में आटे का स्टाक बना रहता है। भुने हुए चने व्यापारियों एवं चावल दाल व्यापारियों से सम्पर्क किया जाकर आवश्यकता अनुसार उक्त सामग्री प्राप्त करने हेतु प्रबन्ध कियाजा सकता है।
 4. आलू प्याज व सब्जियों का जिले में उपलब्ध स्टॉक की समीक्षा करना व्यवस्था की जा सकेगी।
- ### 3. अन्य आवश्यकताएँ :-
1. दूध उपलब्धता हेतु दूधउत्पादक सहकारी संस्थाओं को दूध एवं दूध पाउडर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता बनाने हेतु निर्देशित कर व्यवस्था की जा सकती है।
 2. गैस की उपलब्धता बनाये रखने हेतु जिले में स्थित गैस एजेन्सियों को 50 गैस सिलेण्डर रिजर्वरस्टॉक के रूप में उपलब्ध रखने हेतु आदेश जारी कर आपात व्यवस्था की जा सकती है।
 3. शहरी क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा कोटा शहर में बाढ़ प्रभावित होने वाले क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं। बाढ़ / प्राकृतिक आपदा से अधिक प्रभावित क्षेत्र में प्रभारी बनाये जाते हैं। ये प्रभारी अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यापारी, स्वैच्छिक संगठन, अन्य संगठन, एवं उचित मूल्य दुकान से सम्पर्क कर समय पर खाद्यान्ज की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। उक्त प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार के व्यक्तियों एवं संगठनों की सम्पूर्ण सूची मय दूरभाष नम्बर तैयार रखने हेतु निर्देशित किया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्राकृतिक आपदा/बाढ़ के समय इनका सहयोग लिया जासकें। सभी प्रभारीबाढ़ एवं आपदा आने की दशा म प्रभारी अपने क्षेत्र में तत्कालीक सहायता उपलब्ध करायेंगे। उक्त क्षेत्र में भ्रमण करेंगे साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष एवं सभी प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय को दूरभाष पर की गई कार्यवाही एवं स्थानीय परिस्थितियों से अवगत करायेंगे।
 4. ग्रामीण क्षेत्र में तहसील क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में लगाये गये

अधिकारी / कर्मचारी अपने अपने मुख्यालय पर रहेंगे एवं नियमित रूप से दूरभाष एवं वायरलेस से समय पर की गई कार्यवाही से अवगत् करायेंगे एवं स्थानीय आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यवाही किये जाने हेतु कोठा शहर को सेक्टरों में विभाजित किया गया है एवं सेक्टरों के प्रभारी बनाये जाते हैं।

5. जिले में कार्यरत एल.पी.जी./पेट्रोलियम पदार्थों के डिपो :-

- एच.पी.सी.एल. एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट मण्डाना :- यह बॉटलिंग प्लांट कोठा जिले में जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर झालावाड़ रोड पर स्थित है। प्लांट की क्षमता 500 एमटी है। इस प्लांट द्वारा गैस सिलेण्डर्स की आपूर्ति कोठा, बून्दी, बांरा, झालावाड़ धोलपुर, भिण्ड (मध्यप्रदेश) मुरेना, ग्वालियर जिलों में की जाती है।
- बी.पी.सी.एल.टर्मिनल ताथेड़:- भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति हेतु यह टर्मिनल जिला मुख्यालय से 13 किलो मीटर दूर बांरा रोड पर बृजेशपुरा में स्थित है। टर्मिनल की क्षमता एमएस - 4000 के.एल. एवं एच.सी.डी. 18000 के.एल. है। टर्मिनल द्वारा कोठा, बून्दी, बांरा, झालावाड़, उदयपुर राजसमन्द, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिलों को पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति की जाती है।

6. जिले में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम :- जिले में भारतीय खाद्य निगम का डिपो जिला मुख्यालय में शिवपुरा रावतभाटारोड पर स्थित है, डिपो की कवर्ड क्षमता 32180 एमटी एवं केप 6150 एमटी है।

मत्स्य विभाग कोटा

जिला अपदा प्रबंधन योजना वर्ष 2017–18

जिला अपदा प्रबंधन योजना वर्ष 2017–18 के अपडेशन के लिए मत्स्य विभाग कोटा से वांछित सूचना

जिले के महत्वपूर्ण अधिकारियों की दूरभाष नम्बरों की सूची (विभागानुसार) (तहसीलवार)

क्र. सं.	नाम	पद	फोन नं.		
			एसटीडी कोड	आफिस	निवास / मो०
1.	श्री ऐ टी खान	सहायक निदेशक मत्स्य कोटा	0744	—	9887639580 मोबाईल
मत्स्य विभाग कोटा, तहसील दीगोद					
1.	श्री ऐ टी खान	मत्स्य विकास अधिकारी कासिमपुरा	--	--	9887639580 मोबाईल

जिले में उपलब्ध नावों की सूची (तहसीलवार)

तहसील	नावों की संख्या	संबंधित व्यक्ति का नाम, पता	एसटीडी कोड	फोन / मो० नं.
लाडपुरा	5	श्री आदर्श सक्सेना पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार 43 स्टोन एरिया, सुभा । नगर, पंचवटी कोटा	0744	9829037490 मोबाईल
		नावें नदी साईड पर हैं।		

मत्स्याखेट कार्य हेतु अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा टीन व लकड़ी की नावें उपयोग में लाई जाती हैं। जो यात्रियों को लाने व ले जाने के लिए सुरक्षित नहीं हैं।

गोताखोर व तैराकों की सूची (तहसीलवार)

विभाग के पास गोताखोर तैराकों की सूचना उपलब्ध नहीं है कोटा में उपलब्ध मछुआरों की सूची निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	गोताखोर / तैराक का नाम	निवास का पता	फोन/मो10 नं.
1.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री नाथूलाल	कोटड़ी भोई मौहल्ला, कोटा थाना गुमानपुरा	-
2.	श्री हेमराज पुत्र श्री कालूराम	-"-	-
3.	श्री राम प्रसाद पुत्र भुरा लाल	-"-	-
4.	श्री गौरीशंकर पुत्र जुगलकिशोर	-"-	-
5.	श्री गुमानीराम पुत्र केशरीलाल	-"-	-
6.	श्री फतहचन्द पुत्र श्यामलाल	-"-	-
7.	श्री नरेश पुत्र कालूलाल	-"-	-
8.	श्री गोरधन पुत्र परसराम	-"-	-
9.	श्री गुड़डा पुत्र नाथूलाल	-"-	-
10.	श्री मोहन पुत्र धन्नालाल	-"-	-
11.	श्री श्रीलाल पुत्र मांगीलाल	-"-	-
12.	श्री ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल	-"-	-
13.	श्री उच्छ्ल पुत्र मोहनलाल	गुमानपुरा बल्लभबाड़ी,	-
14.	श्री चुन्नीलाल पुत्र मोहनलाल	-"-	-
15.	श्री छीतरलाल पुत्र हरलाल	-"-	-
16.	श्री गुलाब पुत्र केशरीलाल	-"-	-
17.	श्री केसरीलाल पुत्र भंवरलाल	-"-	-
18.	श्री बबू पुत्र मोहनलाल	-"-	-
19.	श्री बनवारी पुत्र गोविंद	-"-	-
20.	श्री दौलत पुत्र मोहनलाल	-"-	-
21.	श्री गोरीया पुत्र हरलाल	-"-	-

राजकीय वाहनों की सूची (तहसीलवार)

क्र.सं.	वाहन संख्या	वाहन किस्म	विभाग का नाम	वाहन चालक का नाम
	-----	---	-----	-----

--	--	--	--	--

जिले में उपलब्ध नावों की सूची (तहसीलवार)

	नावों की संख्या	संबंधित व्यक्ति का नाम, पता	एसटीडी कोड	फोन / मो० नं.
	1	कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य कोटा परिसर	0744	9887639850
लाडपुरा	5	श्री आदर्श सक्सेना पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार 43 स्टोन एरिया, सुभाष नगर, पंचवटी कोटा	0744	9829065190
	5	1. श्री बाबू लाल चौहान पुत्र श्री पृथ्वी चौहान कलम का कुआ जिला कोटा	0744	9166140266
		2. श्री गोपाल पुत्र श्री गोरु सूरावत कलम का कुआ		
		3. श्री श्रवण पुत्र श्री बिहारी ओगालिया -:-		
		4. श्री गोरु पुत्र श्री मोती सूरावत कलम का कुआ		
		5. श्री कान्हा पुत्र श्री नैना चौहान कलम का कुआ		
		6. श्री घासी पुत्र श्री पृथ्वी चौहान कलम का कुआ		
		7. श्री मन्सा राम पुत्र श्री घासी चौहान -:-		
		8. श्री महेन्द्र पुत्र श्री वीरमान कलम का कुआ	0744	9828877261
		9. श्री शेर सिंह पुत्र श्री बाबू लाल चौहान -:-		
		10. श्री हरलाल पुत्र श्री बिहारी ओगालिया -:-		
		11. श्री राजू पुत्र कान्हा चौहान कलम का कुआ		
		12. श्री मॉगी लाल पुत्र श्री नैना चौहान -:-		
	2	13. श्री अश्फाक कुरेशी पुत्र श्री इश्तियाक कुरेशी कबाडियों की मस्जिद श्रीपुरा कोटा	0744	9928409611
दीगोद	1	14. श्री शेख आजाद पुत्र श्री महमूद हसन थाने के पास सुल्मानपुर	0744	9785134490
इटावा	1	श्री मोहम्मद अब्रेज खा नयापुरा कोटा	0744	7062186579
सॉगोद	1	श्री मुस्ताक मिर्जा काछी मोहल्ला नाव घाट सॉगोद	0744	9414729557
	5	श्री शादिक खान पुत्र श्री अब्दुल सलाम खिमच पं०स० खैराबाद जिला कोटा (सावन भादों डेम)	0744	9829528846

नोट:- कार्यालय की जानकारी के अनुसार ठेकेदारों/मत्स्य कृषकों के पास उपलब्ध नावों की सूची संलग्न कर भिजवाई जा रही है। शेष की सूचना कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं है। मत्स्याखेट कार्य हेतु अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा ठीन व लकड़ी की नावें उपयोग में लाई जाती है। जो यात्रियों को लाने व ले जाने के लिए सुरक्षित नहीं है।

सहायक निदेशक
मत्स्य विभाग, कोटा

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा शहर

आपदा प्रबन्धन हेतु रेस्क्यू उपकरण/साधनों की सूचना, जिला कोटा शहर

क्र. सं.	संसाधन/उपकरण का विवरण	मात्रा
1	रस्सा नायलोन	50 फिट
2	ड्रैगन लाइट	12 नग
3	जनरेटर	01. (एम०टी०)
4	तगारी	10 नग
5	गेंती	10 नग
6	फावड़ा	10 नग
7	टार्च	05 नग
8	टेन्ट	02 नग
9	बेलचा	05 नग

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा ग्रामीण

बाढ़ बचाओ कार्य योजना—2018

1. इस कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण के नेतृत्व में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जावेगी, जिसके प्रभारी अपराध शाखा कार्यालय हाजा होंगे। बाढ़ नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नं० **2350888** होगा। यह नियंत्रण कक्ष दिनांक जून से 24 घण्टे कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष समस्त थाना अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण हेतु बचाव एवं राहत कार्य हेतु आवश्यक कार्रवाई किये जाने के आदेश जारी किये जाते हैं।

आपदा प्रबन्धन हेतु रेस्क्यू उपकरण/साधनों की सूचना, जिला कोटा ग्रामीण

उपकरण/साधनों की सूचना					
क्र. स.	उपकरण/सामान/मानव संसाधन का नाम	विभाग/संस्था का नाम जिनके पास उपलब्ध है	उपलब्धता स्थल की लोकेशन का नाम	संख्या	सम्बन्धित अधिकारी का नाम मय पद व मोबाइल, ई-मेल पता सहित
1	फावड़ा	पुलिस विभाग	पुलिस लाईन कोटा ग्रामीण	10	संचित निरीक्षक टेली.नं० 0744-2350607
2	गेंती			10	
3	रस्से			02	
4	ड्रेगन लाईट			06	
5	तगारी			35	
6	बरसाती खाकी			133	
7	इमरजेन्सी लाईट सिस्टम			02	
8	बैलचा			10	
9	अग्निशमन यंत्र			01	
10	टेन्ट :- 1. टेन्ट एक्सटेंडेबल 2. टेन्ट ई.पी.आई.पी. 3. टेन्ट 80 क्रि.ग्रा. (एल) 4. टेन्ट स्टोर 5. टेन्ट केनोफी 6. टेन्ट बाथरूम			02 05 07 03 02 03	
11	वी.एच.एफ. सैट 20 वाट	निरीक्षक पुलिस दूरसंचार पुलिस लाईन कोटा ग्रामीण		118	निरीक्षक पुलिस दूरसंचार पुलिस लाईन कोटा ग्रामीण टेली. नं० 0744-2350666
12	वी.एच.एफ. सैट 02 वाट			55	
13	सन्तोष कुमार कानि० 18,	पुलिस विभाग	पुलिस थाना इटावा		थानाधिकारी

	चौकी पीपल्दा थाना इटावा श्री हयात खां पुत्र हसन निवासी इटावा 9602400150 (तैराक)	स्थानीय व्यक्ति		उपलब्ध	पुलिस थाना इटावा 07458-225230
14	घनश्याम पुत्र सोमनाथ निवासी कीरपुरिया (नाव—मालिक)	स्थानीय नाव मालिक			
15	बाबूलाल पुत्र मोडूलाल निवासी निमोदा उजाड मो. 9829921914 धनराज पुत्र पांचूलाल नि. निमोदा उजाड 97899735805 मोतीशंकर पुत्र जगन्नाथ केवट नि. फतेहपुर खुशक 9828386164	पुलिस विभाग स्थानीय व्यक्ति	पुलिस थाना बूढादीत	उपलब्ध	थानाधिकारी पुलिस थाना बूढादीत 07455-228200
16	टयूब, ड्रेगन लाईट, तगारी, रस्सी, फावडा				
17	पूनमचन्द कानि 0 336, थाना अयाना ड्रेगन लाईट	पुलिस विभाग	पुलिस थाना अयाना	01	थानाधिकारी पुलिस थाना अयाना 07458-280525
18	महावीर पुत्र ऐकार केवट रामकियान पुत्र रामनाथ केवट नाथूलाल पुत्र रामनाथ केवट गोपाल पुत्र हीरा लाल कीर (तैराक)	स्थानीय व्यक्ति	पुलिस थाना सुल्तानपुर		थानाधिकारी पुलिस थाना सुल्तानपुर 07455-224238
19	गेंती, फावडा	पुलिस विभाग	पुलिस थाना सीमलिया	उपलब्ध	थानाधिकारी पुलिस थाना सीमलिया 07455-222308
20	गेंती, तगारी, फावडा, ड्रेगन लाईट-1	पुलिस विभाग	पुलिस थाना मण्डाना	उपलब्ध	थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डाना 0744-2812633

21	गैंती, तगारी, फावडा, झेगन लाईट-1	पुलिस विभाग	पुलिस थाना कैथून	उपलब्ध	थानाधिकारी पुलिस थाना कैथून 0744-2844207
22	गैंती, तगारी, फावडा, झेगन लाईट-1, मिट्टी के कट्टे प्रकाश यादवेन्द्र ,नि0 बोरीना मो-8875709035 गोताखोर	पुलिस विभाग	पुलिस थाना चेचट	उपलब्ध	थानाधिकारी पुलिस थाना चेचट 07459-230223
23	रस्सी, बैट्री, गैंती, फावडा महेन्द्र सामरिया, बहादुर सिंह, करण सिंह तैराक	पुलिस विभाग	पुलिस थाना रामगंजमण्डी	उपलब्ध	थानाधिकारी पुलिस थाना रामगंजमण्डी 07459-220100
24	श्री अब्दुल असरार का. 489 तैराक, गैंती, तगारी, फावडा, रस्सी, झेगन लाईट	पुलिस विभाग	पुलिस थाना मोडक	उपलब्ध	थानाधिकारी पुलिस थाना मोडक 07459-232243
25	धाराजीत बडोदिया, चुन्नीलाल धानोदिया, जोरावर सिंह बडोदिया, 1-झेगन लाईट, रस्सी,	स्थानीय व्यक्ति	पुलिस थाना सुकेत	उपलब्ध	थानाधिकारी पुलिस थाना सुकेत 07459-234218
26	गैंती, तगारी, फावडा, रस्सी, झेगन लाईट-1 शाहजाद पुत्र मुस्ताहक भई शहिद पुत्र सुल्तान अंसार पुत्र इसरार लतीफ पुत्र मुस्ताक नि0 सांगोद	स्थानीय व्यक्ति	पुलिस थाना सांगोद	उपलब्ध	थानाधिकारी पुलिस थाना सांगोद 07450-233242

2. जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों एवं वृत्त कार्यालयों/थानों के टेलीफोन नं० एवं मोबाइल नं० की सूची

जिला कोटा ग्रामीण में पदस्थापित अधिकारियों की सूची							
क्र. सं.	पदस्थापन	नाम अधिकारी	पद	STD Code	कार्यालय	Resi./CUG	मोबाइल नं.
1	पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण	श्रीमति परम ज्योति	SP	0744	2350601	2350602/ 95304-44244	99825-20000
2	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	श्री पवन जैन	Addl. SP	0744	2350603	2350604 87648-50729	88755-31001, 98292-31001
3	एससी/एसटी सैल	श्रीमति जया सिंह	3.31.पु.	0744	2350606	2350605	99283-88181
4	अपराध सहायक	श्री हरिचरण सिंह	पु0नि०	0744	2350051	95304-44239	98295-90928
5	अपराध शाखा (रीडर)	श्री महेन्द्र मीणा	उ0नि०	0744	2350051	95304-44240	77427-61894
6	महिला यौन अपराध निवा. प्रको.	श्री बलवीर सिंह	पु0नि०	0744			99827-80119
7	मानव तस्करी यूनिट,कोग्रा	श्री लक्ष्मी चन्द	उ0नि०	0744	2320311		94143-08306
1 0	विशेष शाखा	श्री इफतेखारुदीन	उ0नि०	0744	2328100	95304-43269	94143-14866
		श्री हरिप्रकाश	सउनि.	0744	2328100	95304-44255	98872-72141
1 1	पुलिस लाईन, को०ग्रा०	श्री कैलाशचन्द मीणा	पु0नि०	R.I.	2350607	95304-44265	96028-44444 80038-80444
		श्री सुमन्त कुमार	उ0नि०	L.O.		87648-50996	94142-26760
		श्री अब्दुल मजीद	उ0नि०				98299-29591
		श्री घांसीलाल	उ0नि०				78209-90191
		श्री महावीर सिंह	उ0नि०				94144-20700
		श्री पाबूदानसिंह (MTO)	है०का०	MT O		95304-44284	98750-47737
		श्री बजरंगलाल	है०का०	मेजर		95304-44270	94602-35506
1 2	हाईवे मो० एन०एच० 76 सीमालिया	श्री कालू लाल श्री अल्ताफ हुसैन	स.उ.नि. स. उ.नि.	—	—	95304-44272] 95304-44275	94132-21801 90019-28343
1 3	हाईवे मो० एन०एच० 12 दरा	श्री सुरेन्द्र कुन्तल	स.उ.नि.	—	—		81046-95925
1 4	ट्रेफिक एड सेन्टर	श्री किशनगोपाल	है.का.		‘	95304-43961	96024-80314
1 5	प्रभारी, दूरसंचार ग्रामीण	श्री सुधीर चौधरी	उ0नि०			95304-29358	80585-66433
1 6	पुलिस नियंत्रण कक्ष/फैक्स	श्री खुमान सिंह	SI	0744	2350888, - 8764850776,		9530444234-35
1	सी०ओ० हटावा	श्री रामस्वरूप मीणा	3.31.पु.	07458	225110	225010	94143-10051

1	थाना इटावा	श्री प्रमोद शर्मा श्री रघुनाथ सिंह	पु0नि0 उ0नि0	07458 उ0नि0	225230 245448	95304-43651 95304-43652	94140-31563 98296-22992
2	थाना अयाना	श्री नेक मोहम्मद	उ0नि0	07458	280525	95304-43733	99293-98552
3	थाना खातौली	श्री मुकेश मीणा	उ0नि0	07458	245448	95304-43792	97999-75006
4	थाना बूढ़ादीत	श्री भारत सिंह	उ0नि0	07455	228200	95304-43761	99505-68218
5	थाना सुल्तानपुर	श्री अमीलाल श्री कृष्णपाल सिंह	उ0नि0 उ0नि0	07455 07455	224238 224238	95304-43699	94139-40548 88908-90648
2	<u>सी0ओ0</u> <u>रामगंजमण्डी</u>	श्री चन्दनदान बारहट	उ.अ.पु.	0745 9	220095	221895	94143-01963 99280-84502
1	थाना रामगंजमण्डी	श्री हर्षराज सिंह	पु0नि0	07459	220100	95304-43818	99297-28430
2	थाना सुकेत	श्री ताराचंद	उ0नि0	07459	234218	95304-43880	99298-47555
3	थाना चेचट	श्री रामभरोसी मीणा	उ0नि0	07459	230223	95304-43966	94148-88329
4	थाना मोड़क	श्री अजीत बागडोलिया	उ0नि0	07459	232243	87648-50934	94130-04477
3	<u>सी0ओ0</u> <u>सांगोद</u>	श्री विजयपाल सिंह	उ.अ.पु.	0745 0	233301	233341	94147-11001
1	थाना सांगोद	श्री रघुवीर सिंह	उ0नि0	07450	233242	95304-43998	95711-36108
2	थाना कनवास	श्री धनराज मीणा I	उ0नि0	07450	254624	95304-44045	87690-12599
3	थाना बपावर	श्री सुधीर यादव	उ0नि0	07450	275833	95304-44086	94144-89333
4	थाना देवली मांझी	श्री धनराज मीणा II	उ0नि0	07450	255575	87648-50893	96026-97313
4	<u>सी0ओ0 कोटा</u> <u>ग्रामीण</u>	श्री आलोक कुमार	उ.अ.पु.	0744	2350610	2350016	94141-71628
1	थाना कैथून	श्री श्योराजमल मीणा	DySP	0744	2844207	95304-44114	88909-35872
		श्री अनवर अली	उ0नि0			95304-44115	94145-20645
2	थाना मण्डाना	श्री तेज सिंह	उ0नि0	0744	2812633	95304-44163	97859-70133
3	थाना सीमलिया	श्री रविश सामरिया	उ0नि0	07455	222326	95304-44182	97831-05112
4	महिला थाना	श्री रतनलाल श्रीमति यशोराज मीणा	पु0नि0 उ0नि0	0744	2350042	95304-44208	94142-78155 98871-85968

3. जिले के समस्त थानों पर संचार व्यवस्था हेतु वायरलैस सेट स्थापित है जिनके द्वारा आवश्यक सूचनाओं एवं संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है।

4. जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र :— जिला कोटा ग्रामीण में निम्नलिखित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हेतु आवश्यक निर्देश दिये जावेंगे।

क्र.सं.	नाम थाना	थाने के अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
1	थाना रामगंजमण्डी	कुदायला, खैराबाद।
2	थाना सुकेत	नयापुरा, सुकेत, सातलखेडी।
3	थाना मोडक	पीपल्दा।
4	थाना कनवास	कनवास, पालाहेडा, रूपाहेडा, मामोर, बालूहेडा, खेडली, काकरिया।
5	थाना सांगोद	कचोलिया, गरडाना, कंदाफल, खेडली, विनोदखुर्द, राजगढ़
6	थाना बपावर	लवानियां, कोटडा, बपावर खुर्द, उमरदा, बूडनी, चरेल
7	थाना अयाना	अयाना, लुहावद, जलोदा, प्रेमपुरा, कांकरा
8	थाना इटावा	कस्बा इटावा की निचली बस्ती एवं कीरपुरिया, पीपल्दा बस स्टेण्ड, खेडली ख्यावदा, करवाड, डूंगरली, बम्बूलिया,
9	थाना कैथून	प्रहलादपुरा, कैथून, भीमपुरा, खेडारसूलपुर, मण्डानिया, हाथीखेडा, डाहरा आदि।
10	थाना सुल्तानपुर	बालापुरा, चन्द्रावला, कोटसुआं, श्योपुर

5. बाढ़ बचाव हेतु उपकरण/सामान :— जिले की पुलिस लाईन कोटा ग्रामीण एवं निम्नांकित थाना पर बाढ़ बचाव हेतु निम्न सामान/उपकरण उपलब्ध है :—

- **पुलिस लाईन** :— तगारी लोहा—04 नग, रस्सा नाईलोन—2 नग, फावडा—10 नग, गैंती—4 नग, ड्रेगन लाईट — 4 नग।

- **थाना खातौली** :— ड्रेगन लाईट—1 नग, रस्सा—1 नग, ट्यूब मय जाल — 1 नग

- **थाना सुल्तानपुर** :— गैंती, फावडा, रस्सी, ड्रेगन लाईट उपलब्ध है।

6. तैराक :— जिले के थाना खातौली एवं रामगंजमण्डी में निम्नांकित तैराक है :—

- **थाना खातौली** :— श्री नन्दलाल जाति कीर निवासी मदनपुरा, अर्जुन पुत्र श्री रामकिशन जाति कीर निवासी मदनपुरा, श्री राजू पुत्र मोतीलाल जाति भोई निवासी खातौली, श्री बाबू डागी रामगंजमण्डी खातौली।

- **थाना रामगंजमण्डी** :— श्री महेन्द्र सांवरिया, बहादुर सिंह, रमेश उस्ताद, शरीफ भाई, श्याम सोनी, नेहरु काका आदि तैराक उपलब्ध है।

7. नाव संचालन :—जिले के थाना खातौली एवं अयाना, इटावा क्षेत्र में नाव संचालन होता है।

- **थाना इटावा** :— थाना इटावा में ग्राम कीरपुरिया में मोडूलाल, बाबूलाल, रामदयाल, कृष्णा, घनश्याम आदि व्यक्ति नाव चालक हैं।

- **थाना सुल्तानपुर** :— थाना सुल्तानपुर के ग्राम कोटसुआं में महावीर केवट, रामकिशन केवट, नाथूलाल केवट, गोपाल केवट आदि नाव चालक हैं।

कार्यालय नगरपालिका रामगंजमण्डी जिला कोटा
Email-rmanagarpalika@gmail.com (07459- 220016 Fax-07459-222216)

बाढ़ नियंत्रण हेतु कार्य योजना—2018

मानसून में संभावित अतिवृष्टि/बाढ़ से उत्पन्न आकस्मिक, सकंटकाली स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने हेतु कोटा जिले की बाढ़ /आपातकालीन योजना वर्ष—2018 की तैयारी हेतु नगरपालिका रामगंजमण्डी की बाढ़/आपातकालीन योजना 2018 निम्नानुसार निरूपित की गई है :

क्र.सं.	प्रभारी बाढ़ नियंत्रण कक्ष	दूरभाष नं०
1	श्री निसार अहमद	92146-31392 07459-220016 (कार्या०)
2	बाढ़ नियंत्रण कक्ष	अग्निशमन केन्द्र
3	बाढ़ नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नं०	07459-223534 (स्थानीय 101)
4	बाढ़ नियंत्रण कक्ष प्रारम्भ होने की दिनांक	15.06.2018

5. कर्मचारियों की सारणी –

क्र.सं.	नाम	पद	कार्य का निर्धारित समय	मोबाइल नं०
1	श्री फिरोज खान	फायरमेन	प्रातः 7 बजे से दोपो 02 बजे तक	77270-25888
2	श्री गिरिराज नागर	फायरमेन	दोपो 02 बजे से रात्रि 09 बजे तक	99281-97603
3	श्री हरिओम मेघवाल	फायरमेन	रात्रि 09 बजे से प्रातः 07 बजे तक	63754-71328

ये एक रजिस्टर में उक्त कार्य से संबंधित प्राप्त सूचनाओं का इन्द्राज कर प्रभारी बाढ़ नियंत्रण को सूचित करेंगे। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के सह प्रभारी श्री सुखदयाल जमादार (94607-43724) / श्री पप्पू जमादार (77426-81138) रहेंगे।

बाढ़ जैसी स्थिति आने पर अथवा वार्ड में पानी भर जाने की सूचना प्राप्त होने पर उक्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा संबंधित अधिकारी को सूचित कर उनके साथ जैसी भी स्थिति हो अपने वाहन के ड्राईवर सहित साथ जाकर अन्य कर्मचारियों को सहयोग करेंगे।

6. आश्रय स्थलों का चयन :-

पालिका क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति आने पर इससे प्रभावित जनता/लोगों को पालिका के सामुदायिक भवन, अग्निशमन केन्द्र भवन, राज0 उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्र/छात्रा) के भवन एवं नगरपालिका सामुदायिक भवन आदि में रखने की व्यवस्था की जा सकती है।

7. आवश्यक उपभोक्ता सामग्री व्यवस्था :-

पालिका क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति आने पर इससे प्रभावित जनता की सहायतार्थ कर्से के किराना व्यापारी सामाजिक संस्थाओं धार्मिक संस्थाओं से सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस हेतु सहकारी संस्था क्रय विक्रय सहकारी समिति (सहकारी उपभोक्ता भंडार) से भी सहायता ली जावेगी।

8. संसाधन :-

बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने हेतु पालिका के पास अपने निजी संसाधन निम्न प्रकार है—

वाहन— अग्निशमन वाहन-01, ट्रेक्टर ट्रोली- 05, मैजिक-05,

औजार— गैंती, फावडा, तगारी, बाल्टी, सब्बल, घन, रस्सी, टयूब, आदि सफाई शाखा में उपलब्ध है।

9. नालों की सफाई —

पालिका क्षेत्र में स्थित 6 बड़े नालों की औटें हटाने, सफाई कराने का कार्य ठेके से करवाया जा चुका है।

10. बाढ़ सम्भावित क्षेत्र का चिन्हिकरण —

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. हाउसिंग बोर्ड कोलोनी | 2. सुभाष कोलोनी |
| 2. रोसली रोड के आस-पास का क्षेत्र | 4. माली मोहल्ला |
| 5. यादव मोहल्ला | 6. हरिजन बस्ती |

11. कर्मचारी व्यवस्था :-

पालिका क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति आने अथवा वार्डों में पानी भरे पर सफाई शाखा के समस्त कर्मचारी (महिलाओं को छोड़) अग्निशमन केन्द्र के समस्त कर्मचारी, विद्युत शाखा एवं निर्माण शाखा के समस्त कर्मचारी तथा सफाई शाखा के स्वास्थ्य प्रभारी, जमादार आदि भी इस कार्य में सहयोग करेंगे व स्वयं भी उपस्थित रहेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवाएं ली जा सके।

12. सफाई शाखा :-

मानसून से पूर्व यह शाखा नालों की सफाई ओट हटाने, नालों को चौड़ा करने आदि कार्य चिन्हित कर कार्य करवायेंगे। साथ ही मृत मवेशी ठेकेदार को मरे हुए जानवरों को उठाने व उनकों गड्ढों में दफनाने हेतु पाबन्द किया जावेगा।

13. विद्युत शाखा :-

मानसून से पूर्व विद्युत प्रभारी श्री मुरली महेशा बागोरा द्वारा जहां विद्युत लाईन के तार झूले हुए हैं अथवा पेड़ों से होकर गुजर रहे हैं, का सर्वे कर इन्हे ठीक कराने हेतु विद्युत विभाग से सम्पर्क करें। बरसात के दिनों में ऐसी व्यवस्था रखेंगे कि रोड लाईट खराब न हो व विद्युत पोलों एवं अन्य स्थान पर करन्ट न आवें जिससे जान माल की हानि न हो।

14. पेट्रोमेक्स :-

स्टोर शाखा प्रभारी बाढ़ नियंत्रण कक्ष में रात्रि के समय प्रकाश हेतु पेट्रोमेक्स/गैस/टार्च आदि की व्यवस्था करावेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त उक्त वस्तुएं संबंधित कार्य दल को उपलब्ध हो सके।

15. बरसात के मौसम में बाढ़ जैसी स्थिति आने पर प्रभावित जनता को चिकित्सा उपलब्ध कराने की दृष्टि से चिकित्सा प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगंजमण्डी की सेवाएं ली जावेगी तथा इस हेतु दवाईयाँ भी अस्पताल से दिलाने के प्रयास किये जावेंगे।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका रामगंजमण्डी

कार्यालय नगर पालिका मण्डल कैथून, जिला कोटा

1. नगर पालिका क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र :-

- | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------|
| 1. श्रीराम नगर कच्ची बस्ती, | 2. मीरा बस्ती, | 3. नया खेड़ा बस्ती, |
| 4. पुलिया बस स्टेण्ड, | 5. हरिजन बस्ती | 6. मेंला बस स्टेण्ड |

2. बाढ़ नियन्त्रण कक्ष के दूरभाष मय प्रभारी का नाम :— श्री सत्यनारायण शर्मा प्रभारी नियंत्रण कक्ष मोबाइल नम्बर 94146-61760 एवं बाढ़ नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 0744-2844291 है।

3. आश्रय स्थलों का चयन:-

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. सीनियर सैकन्ड्री स्कूल बालक-बालिका | 2. सोनी धर्मशाला |
| 3. नगरपालिका भवन, | 4. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (जगात) |

4. बाढ़ बचाव हेतु संसाधन :— 2 ड्रेक्टर मय ट्रोली, गेंती, फावड़े, तगारियां, सब्बल, रस्सी, टार्च उपलब्ध है।
5. प्रभावित व्यक्तियों, पशुओं के उपचार की व्यवस्था :— नगर पालिका कैथून क्षेत्र में एक राजकीय चिकित्सालय एवं एक पशु चिकित्सालय स्थापित जिसके माध्यम से उपचार की व्यवस्था की गई है।
6. नगर पालिका सीमा पर स्थित चन्द्रलोही नदी के किनारे मिट्टी का कटाव

रोकने हेतु

नगर पालिका द्वारा लगभग 500 मीटर लम्बी एवं 20 फिट ऊँची दीवार बनवाई है।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पलिका कैथून

कार्यालय नगरपालिका सांगोद जिला कोटा
(07450-233239)

बाढ़ नियंत्रण हेतु कार्य योजना—2018

1. नगर पालिका में स्थित उजाड नदी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विवरण निम्न प्रकार है:-
 - 1— कौड़ियों का चौक
 - 2— रेगर बस्ती का निचला क्षेत्र
 - 3— केसरिया खाल पीएचडी के पास की बस्ती
 - 4— सब्जीमण्डी हाट चौक
 - 5— हनुमानजी की कोठी के पीछे
2. नगर में सम्भावित बाढ़ की चेतावनी क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा दी जाती है। ताकि वे सुरक्षित स्थानों एवं नगर पालिका द्वारा आश्रय स्थलों पर शरण ले सके।
3. नगर पालिका द्वारा अलग से नियंत्रण कक्ष नहीं होता है पास में ही तहसील कार्यालय होने से दौनों संस्थाओं द्वारा एक ही नियंत्रण कक्ष खोला जा चुका है। जिसमें नगर पालिका कार्मिक भी लगते हैं तथा निर्देशानुसार सभी विभागों से अपेक्षित सहयोग लिया जाता है।
4. नगर पालिका द्वारा बाढ़ बचाव हेतु नगर के समस्त नाला—नालियों की वर्तमान में सफाई करवा दी गई है तथा बड़े नालों की भी सफाई करवा दी गई तथा जहां पर भी खुले नाले हैं, वहां पर कातले रखवा दिये गये हैं।
5. नगर पालिका द्वारा कक्ष में आपातकालीन स्थिति हेतु मिट्टी के कट्टे, बांस, बल्ली, टार्च, लालटेन, नगर पालिका का ट्रेक्टर—सब्ल, फावड़े, गैंती, रस्से, ट्यूबे, झीकरे आदि की व्यवस्था की गई है।
6. नगर पालिका द्वारा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए नगर पालिका के 3 ट्रेक्टर हमेशा तैयार रखे जाते हैं।
7. तैराकों की सूची :-

1. श्री जाहिद खान/सुलेमान खान वार्ड नं0 3	9928029948
2. श्री लाला सुमन/प्रभूलाल सुमन वार्ड नं0-11	9672607280
3. श्री नरेश सुमन/बाबूलाल वार्ड नं0-11	9680199156
4. श्री नरेन्द्र सुमन/धनराज सुमन वार्ड नं0-11	9672607280
8. दमकल नगर पालिका के पास उपलब्ध है तथा करंट के लिए बिजली विभाग एवं उससे होने वाली दुर्घटना के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगोद को सूचित कर दिया जावेगा।
9. बाढ़ प्रभावित जोनों का निर्धारण कर लिया गया है।
10. नदी के किनारे ऊंचे नहीं होने के कारण आस—पास की बस्ती में बाढ़ का पानी भरत जाता है। इससे बचाव के लिये समय से पूर्व बस्ती वालों को अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है।
11. आवश्यकता अनुसार पम्प व पाईप्स की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा कर ली गई है।

12. प्रभावित व्यक्तियों के ठहरने के लिए मिडिल स्कूल सांगोद, काशीपुरी धर्मशाला, सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल आदि में व्यवस्था रखी जाती है।
13. असुरक्षित भवनों को चिन्हित करने का कार्य जारी है।
14. इस हेतु पालिका के समस्त सफाई कार्मिक एस.आई. व जमादारों, ट्रेक्टर ड्राईवरों को पाबन्द कर दिया गया है।
- | | | |
|-----------------------|------------------|------------|
| 1. श्री कौशन नन्दवाना | एस.आई. | 9001756632 |
| 2. श्री श्रीनाथ | सफाई सहायक | 9928029399 |
| 3. श्री घनश्याम माली | ट्रेक्टर ड्राईवर | 9950661833 |
| 4. श्री प्रभूलाल | ट्रेक्टर ड्राईवर | 9929871051 |
| 5. श्री सुन्दर लाल | जमादार | 982964829 |
15. नगर पालिका द्वारा कचरे के ढेर, गन्दगी, मृत पशुओं के मलबे आदि की सफाई करवा दी गई है एवं नियमित रूप से सफाई की जाती है।
16. बीमारियों के नियंत्रण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को निर्देश दिया जाना उचित होगा।
17. सड़ी गली सभियों को खुले रूप से नहीं बेचने हेतु विक्रेताओं को पाबन्द कर दिया गया है।
18. संचार व्यवस्था हेतु पालिका के टेलीफोन नम्बर 07450-233239 तथा तहसील कार्यालय कन्ट्रोल रूम के नं0-07450-233234 है।
19. बाढ़ पीड़ितों के उपचार हेतु :— चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। जिनके पास पीड़ितों को भिजवाया जाता है।
20. खाद्यान्न सामग्री :— आवश्यक उपभोक्ता सामग्री का प्रबन्ध आवश्यकता अनुसार पालिका व स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

**अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सांगोद**

कार्यालय नगरपालिका इटावा जिला—कोटा

1. **बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण:**— पालिका क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गेंता रोड, बैरवा बस्ती, कोटा रोड, सरोवर नगर, खातोली रोड, दशहरा मेदान, सुखनी नदी के पास की बस्ती का चिन्हीकरण किया गया है।
2. **आश्रय स्थलों का चयन:**— बाढ़ पीडितों के लिए आश्रय हेतु सीनियर सैकन्ड्री स्कूल बालिका/नगर पालिका धर्मशाला, मास्टर विरेन्द्रर सिंह लोक कल्याण ट्रस्ट, सामुदायिक भवन नगर पालिका इटावा का चयन कर लिया गया है।
3. **बाढ़ से प्रभावित स्थिति में पीडितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था बाबत :—** इस संबन्ध में प्रभारी अधिकारी पूल को परिवहन वाहन उपलब्ध कराने हेतु पत्र द्वारा निवेदन किया जावेगा तथा पालिका के पास दो ऑटो डिप्पर उपलब्ध रहेगा जिनका उपयोग किया जा सकेगा।
4. **उपभोक्ता सामग्री, ईधन, खाद्यान्न, वस्त्र व राशन की व्यवस्था :—** इसके लिये श्रीमान जिला रसद अधिकारी कोटा को पत्र द्वारा निवेदन किया जावेगा।
5. **बाढ़ बचाव हेतु संसाधन की व्यवस्था :—** पालिका स्तर पर दो किराये के ट्रेक्टर मय ट्रोली, गेंती, फावड़ें, तगारियां, सब्बल, रस्सी, टार्च इत्यादि कन्ट्रोल रूम में रखी जावेगी।
6. **नियन्त्रण कक्ष की स्थापना :—** निर्देशानुसार नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जावेगी।
7. **प्रभावित व्यक्तियों, पशुओं के उपचार की व्यवस्था :—** इस बाबत संबंधित विभागों (स्वास्थ्य केन्द्रों) को पत्र लिखकर निवेदन किया जावेगा। नगर पालिका इटावा क्षेत्र में एक राजकीय चिकित्सालय एवं एक पशु चिकित्सालय एवम् आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित है।
8. **सफाई/मरम्मत व्यवस्था :—** पालिका द्वारा समस्त सड़कों मरम्मत का कार्य एवं नाला/नालियों की सफाई की व्यवस्था की जा रही है तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नाले नालियों की सफाई 10.07.2018 तक पूर्ण करवा लिया जावेगा।

अधिशापी अधिकारी
नगर पालिका इटावा

कार्यालय तहसीलदार (भू.अभि.) लाडपुरा

1. परिचय:- तहसील लाडपुरा में चम्बल नदी व अन्य नदियों के प्रवाहित क्षेत्र में वर्षाकाल में पानी के तेज प्रवाह के कारण सड़क मार्ग पर पुलियों के अभाव वाले बिन्दुओं पर सड़क मार्ग जल प्लावित हो जाता है तथा यातायात आवागमन अवरुद्ध हो जाते हैं। छोटे-छोटे नदी नाले पानी के तेज बहाव से भर जाने से व पानी के कटाव से पानी आबादी क्षेत्रों में आ जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तहसील लाडपुरा में कोटा शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र इससे प्रभावित होता है। इस प्रकार बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों की दृष्टि से तहसील लाडपुरा को मौटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है।

(1) कोटा शहर

(2) तहसील लाडपुरा का ग्रामीण क्षेत्र, नगरपालिका कैथून सहित मण्डाना क्षेत्र

2. औसत वर्षा :-

तहसील लाडपुरा की गत 5 वर्षों की औसत वर्षा का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	वर्षा केन्द्र	कुल औसत वर्षा (मिली मीटर)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	लाडपुरा	625	1138	644	767	1178	394
2	मण्डाना	445	1162	572	658	683	536

3. जल प्लावन से प्रभावित क्षेत्र :-

क्र.सं.	नदी बाध तालाब का नाम	प्रभावित क्षेत्रों का नाम
1	आलनिया बांध एवं नदी तहसील लाडपुरा चम्बल एवं चन्द्रलाई नदी	आलनिया, केवलनगर, मवासा, रानपुर, अभयपुरा, बोरियाखेड़ी, लाडपुरा, कैथून, रामनगर, रायपुरा, प्रहलादपुरा, उम्मेदगंज, धाकड़खेड़ी, कंवरपुरा, राजनगर, हनुवतखेड़ा, नयानोहरा, बोरखण्डी, अर्जुनपुरा, चन्द्रेसल, नोटाना, कैथून, भीमपुरा, मण्डानिया, नगपुरा, खेड़ारसूलपुर, भोजपुरा, जालखेड़ा, दसलाना, हाथीखेड़ा, रामखेड़ली, पीपल्दा शेखान, रामराजपुरा, मानसगांव, रानपुर, रामपुरा एवं जगपुरा
2	रंगबाड़ी, उम्मेदगंज, अनन्तपुरा, साजीदेहड़ा नाला तहसील लाडपुरा	अनन्तपुरा, विज्ञाननगर, तलवण्डी, किशोरपुरा, दादाबाड़ी, संजय गांधी नगर, इन्द्रागांधी नगर, रामचन्द्रपुरा, महावीरनगर, इन्स्ट्रूमेन्टेशन टाउनशिप एवं फैक्ट्री जे.के.नगर, डी.सी.एम. कॉलोनी कन्सुआ, उम्मेदगंज
3	रानपुर तालाब तहसील लाडपुरा	अनन्तपुरा, डी.सी.एम.
4	गिरधरपुरा तालाब तहसील लाडपुरा	गिरधरपुरा
5	लखाबा तालाब	लखाबा, अनन्तपुरा, डी.सी.एम., रामपुरा, देवली अरब
6	बोराबास तालाब	गूजरां की टापरियां

4. तहसील लाडपुरा के बाढ़ से प्रभावित चिन्हित ग्राम:-

क्र.सं.	नाम ग्राम	क्र.सं.	नाम ग्राम	क्र.सं.	नाम ग्राम
1	आलनिया	9	उम्मेदगंज	17	कैथून
2	केवलनगर	10	धाकड़खेड़ी	18	भीमपुरा
3	मवासा	11	चडीन्दा	19	मण्डानिया
4	डाडदेवी	12	कंवरपुरा	20	नगपुरा
5	अभयपुर	13	राजनगर	21	खेडा
6	बोरियाखेड़ी	14	हनुवतखेड़ा	22	भोजपुरा
7	लाडपुरा कैथून	15	बोरखण्डी	23	हाथीखेड़ा
8	प्रहलादपुरा	16	चन्द्रेसल		

5. कस्बा कैथून आश्रय स्थल – नगरपालिका कैथून:-

क्र.सं.	नाम आश्रय स्थल
1	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अहीरवाडा कैथून
2	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक अस्थल पुलिया, कैथून
3	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कैथून
4	राजकीय सीनियर हॉयर सेकेण्डरी स्कूल, कैथून
5	बाकुल माताजी का मन्दिर कैथून
6	रामद्वारा मेला बस स्टेप्ड कैथून
7	कार्यालय नगर पालिका कैथून
8	आलनिया राजकीय माध्यमिक विद्यालय केवलनगर
9	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मवासा
10	प्रहलादपुरा
11	राजकीय प्राथमिक विद्यालय अभयपुरा
12	राजकीय प्राथमिक विद्यालय लाडपुरा कैथून
13	राजकीय प्राथमिक विद्यालय उम्मेदगंज
14	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धाकड़खेड़ी

6. उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति :- उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटा की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर उपखण्ड आपदा प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है, सिमें निम्न अधिकारी सदस्य है :-

1. श्री कालूलाल खाती, तहसीलदार लाडपुरा
2. श्री जगदीश गहलोत, नायब तहसीलदार, लाडपुरा
3. भू0अभि0 निरीक्षक—समस्त सर्किल।

मुख्य नाला :-

इस तहसील क्षेत्र का कोई बड़ा नाला, वर्षा से प्रभावित नहीं है।

राहत सामग्री की सूची :-

इस तहसील क्षेत्र में गेहूं, दाल, चांवल, नमक, केरोसिन, लालटेन, गैस, रस्सा, माचिस, भूने चने, गुड आदि सभी सामग्री प्रचुर मात्रा में बाजार में उपलब्ध है।

तहसील मुख्यालय पर उपलब्ध आपदा प्रबन्धन के सामानों की सूची :-

आपदा के सामानों—प्राथमिक सहायता बॉक्स, रस्सा, लालटेन, माचिस, ड्रेगन लाईट, टार्च, मोमबत्ती, छाता, कैंची, चाकू, फर्श (दरी—जाजम) आदि सभी सामग्री तहसील मुख्यालय पर उपलब्ध है।

नावों एवं गोताखोर—तैराकों की सूची :-

इस तहसील क्षेत्र में नावों के साथ गोताखोर—तैराकों की सूची स्थानीय नगर निगम में उपलब्ध है।

आपदा प्रबन्धन कार्य योजना तहसील लाडपुरा

1. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर लिया गया है।
2. तालाबों की सूची तैयार कर ली गयी है।
3. मिट्टी के लगभग 4 हजार कट्टे की आवश्यकता होगी।
4. आश्रय स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है।
5. नाव व नाविकों की व्यवस्था एवं सूची आवश्यकता पड़ने पर नगर निगम व आर.ए.सी. से मांग किये जाने पर उपलब्ध कराये जाते हैं।
6. बाढ़ पीडितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था एवं जगह उपलब्ध है।
7. आवश्यक उपभोगता सामग्री प्रचुर मात्रा में बाजार में उपलब्ध है।
8. विद्युत व्यवस्था, विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध है।
9. संचार के साधनों की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है।
10. नियंत्रण कक्ष : इस तहसील में नियंत्रण कक्ष की स्थापना दिनांक 15 जून 2016 से प्रारम्भ कर दी गयी है, जिसका दूरभाष नं. 0744—2323857 है।
11. बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों एवं पशुओं के उपचार हेतु कोटा शहर, एवं नगर पालिका कैथून में पर्याप्त मात्रा में राजकीय व निजि चिकित्सालय स्थित हैं।
12. भोजन व्यवस्था :— बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के भोजन हेतु कोटा शहर, एवं नगर पालिका कैथून में पर्याप्त मात्रा में भोजन व्यवस्था जिला स्तर पर रसद विभाग द्वारा की जाती है।
13. ट्रेक्टरों की व्यवस्था :—प्रत्येक ग्राम में ट्रेक्टर उपलब्ध हैं, जिसे पटवारियान को सूचीबद्ध किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

तहसीलदार (भू.अ.)
लाडपुरा

कार्यालय तहसीलदार (भू.अभ.) दीगोद

उपखण्ड दीगोद जिला—कोटा की भौगोलिक स्थिति की जानकारी

1— तहसील का नाम — दीगोद

2— ग्रामों की संख्या — 171 आबाद ग्राम 160 गैर आबाद 11

3— ग्राम पंचायतें — 33

4— पटवार मण्डल — 41

5— जलवायु — तहसील की जलवायु सामान्य है। तहसील में ओसत वर्षा 750 मि.मी. होती है। मानसुन की पहली वर्षा 20 जून से 15 जुलाई के बीच में होती है। पिछले 10 वर्षों में अधिक वर्षा 1176 मि.मी. 2013 में हुई सबसे कम 554 मि.मी. 2010 में हुई है।

6— नदिया बाधं तालाब : — तहसील में चम्बल एवं कालीसिंध नदी है। तहसील क्षेत्र में कोई बाध नहीं है।

तहसील में सिंचाई के लिए दायीं मुख्य नहर निकली हुई है जिससे सिंचाई होती है नहर से कुल 49037 हेक्टर भूमि सिंचित होती है।

7— तहसील दीगोद का भोगोलिक क्षैत्रफल भुमि उपयोग :-

कुल क्षैत्रफल 91286 हेक्टर

1. वन — 8029 हेक्टर
2. गैर कृषि उपयोग — 13824 हेक्टर
3. स्थाई चरागाह — 2517 हेक्टर
4. कुल पड़त भुमि — 4373 हेक्टर
5. वास्तविक बोया गया रकबा 61024 हेक्टर

8— प्रसाशनिक संरचना :-

1 जनसंख्या 150587

2 पशु संख्या 110716

9— तहसील दीगोद में विभाग :-

विभाग राजस्व टेलीफोन नम्बर 07455—234928

1. उपखण्ड अधिकारी दीगोद —
श्रीमती तारामती वैष्णव उपखण्ड अधिकारी दीगोद 9460014525
2. तहसील कार्यालय 07455—234617 कन्ट्रोल रूम बाढ नियन्त्रण
श्री जगमोहन शर्मा तहसीलदार 9513383777

10— अतिवृष्टि होने पर निम्नाकिंत ग्रामों में बाढ की स्थिति आ सकती है :-

1— नदी के किनारे पर

2— चम्बल नदी के किनारे पर बालापुरा, कोटसुवां, नीमोदा, कोटडापुरा सांगाहेडी, नृसिंहपुरा

3— काली सिन्धं नदी के किनारे पर डंगावद, जनकपुर, चीसां, कचनावदा, बांक्या, खेडली धाकडान, बम्बोलिया रावतान, बराना, धनसूरी, बगावदा, ख्यावदा, बडौद, गांवडी, मोहम्मदपुरा

4— पील्या खाल में अधिक पानी आ जाने से मोहम्मदपुरा से मदनपुरा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।

5— टाकरवाडा व मदनपुरा के बीच खराव में पानी आने से खेडली शहरान नृसिंहपुरा सांगाहेडी, नीमोदा उजाड का ग्राम पंचायत मुख्यालय से सम्पर्क टुट जाता है।

6— तहसील परिक्षेत्र में दायीं मुख्य नहर जो कोटा बैराज मध्य प्रदेश को गुजरती है।

11— संभावित ग्रामों में आटा चक्की ग्राम कोटसुवां, नीमोदा, हरिपुरा, बगतरी, कोटडापुरा, बडौद, ख्यावदा, बगावदा, डंगावद, रेल, बरगू, चीसां, कचनावदा, धनसूरी, बम्बूलिया रावतान, बराणा, बोरखेडा मे उपलब्ध है।

12— तहसील क्षेत्र के हलवाईयों की सूची

1. महेन्द्र नागर — पडासलिया
2. उतमचन्द खारवाल — शोली
3. रामदेव माली — दीगोद
4. कन्हेयालाल माली — सीमलिया
5. राधेश्याम सुमन — रेल
6. बद्रीलाल नागर — सीमलिया
7. राजेन्द्र प्रजापति — सुल्तानपुर
8. बबलू चौहान — सुल्तानपुर
9. अशोक कुमार लोहार — सुल्तानपुर

13— खाली सीमेन्ट के कट्टे सभी सिचाई विभाग के तालाबो पर तथा सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपलब्ध है। कन्द्रोल रूम में भी रस्सा, टार्च, खाली कट्टे सुतली सुऐ की व्यवस्था कर ली गई है। छोटे तालाबो की देखरेख पंचायतों के जिम्मे हैं सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को निरानी रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। तगारी पावडे एवं गेतिया मजदूर स्वयं सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये जावेगे। तहसील मुख्यालय पर दो लाईफ जैकिट एवं एक ड्रेगन लाईट उपलब्ध हैं।

14— तहसील में बाढ़ की स्थिति में लोगों को ठहराने के लिए सुरक्षित स्थान निम्न प्रकार हैं:-

राजकीय भवन, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अटल सेवा केन्द्र, ग्राम सुल्तानपुर मे विश्राम गृह, ग्राम दीगोद मे सामुदायिक भवन उपलब्ध हैं।

15— तहसील क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्था व संगठन पंजीकृत नहीं है।

16— दानदाता संस्था एक मात्र

1— प्रबन्धक, सी०एफ०सी०एल० गढ़ेपान

17— जे.सी.बी. मालिको के नाम पते :-

नाम	पते	दुरभाष न.
नरेन्द्र नागर	दीगोद	
शौकत अली	दीगोद	9166332183
लोकेश नागर	दीगोद	8104237963
लक्ष्मण राठौर	दीगोद	9925728421
दिलीप शर्मा	सुल्तानपुर	9950952786
हेमन्त झाला	सुल्तानपुर	

18— खाली कट्टे, रस्से टार्च, टायर ट्यूब मिलने के स्थान :-

गांव	खाली कट्टे	रस्से टार्च	टायर ट्यूब
सीमलिया	श्री शंकरलाल सुवालका सीमलिया	श्री विमलचन्द जैन सीमलिया	श्री
सुल्तानपुर	श्री नवल मीणा श्री सुरेश जनरल स्टोर	खण्डेलवाल इलेक्ट्रीकल्स श्री घनश्याम खण्डेलवाल	श्री रमेश कराड श्री नन्दलाल कराड
दीगोद	श्री लक्ष्मण राठौर	राधे गोविन्द जनरल स्टोर	श्री पूरणमल खटीक श्री बाबूलाल खटीक

19. दीगोद उपखण्ड में स्थित कार्यालय के टेलिफोन नम्बर :—

1—उपखण्ड अधिकारी दीगोद	आ. 07455—234928	9530318925
3— तहसीलदार दीगोद	आ. 07455—234617	9530318926
4— पंचायत समिति सुल्तानपुर	आ. 07455—224234	9530307455
5— सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग सुल्तानपुर	आ. 9414435466	
6— सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग दीगोद	आ. 9414317181	
6— सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. सुल्तानपुर	आ. 9414713588	
7— स.अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभि.विभाग	आ. 9461863775	
8— उपकोष कार्यालय दीगोद	आ. 07455—234600	
12— रेफरल अस्पताल सुल्तानपुर	आ. 9530390451	
20—कार्यरत कन्ट्रोल रूम के दुरभाष नम्बर		

तहसील कन्ट्रोल रूम दीगोद 07455—234617

1. प्रथम पारी—श्री जगदीश शर्मा ऑफिस कानूनगो मो० 9530318951
2. द्वितीय पारी—श्री बजरंग सिंह सोलंकी अआका मो० 9530318940
3. तृतीय पारी—श्री महेन्द्रसिंह हाडा रीडर मो० 9929567876
4. श्री विनोद कुमार शर्मा मो० 9799220101

**तहसीलदार
दीगोद**

कार्यालय तहसीलदार (भू.अभि.) सांगोद

1—परिचय :—तहसील सांगोद क्षेत्र कोटा शहर के दक्षिण —पूर्वी भाग में स्थित है। इसमें मुख्य पठार व कृषि क्षेत्र स्थित है। इस तहसील क्षेत्र में काली सिन्ध, परवन, उजाड़, जैसी बड़ी नदियां एवं डाबर, कन्डोली, पालकिया, पटपडिया केडली आदि नाले स्थित हैं। उजाड़ नदी पर झालावाड़ जिले में भीमसागर बांध (डेम) बना हुआ है। अधिक बरसात होने से उजाड़ नदी पर बने भीमसागर बांध के गेट खोलने की स्थिति में सांगोद कस्बे में पानी भर जाता है। तथा कालीसिन्ध, उजाड़ परवन अरु नदियां में बाढ़ की स्थिति में इनके किनारे के समीपवर्ती बसे गांवों में नुकसान होने की सम्भावना हो जाती है। नदी नालों में बने पुल पानी में डुब जाते हैं। जिससे आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। सांगोद मुख्यालय पर उपखण्ड कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, पुलिस उप अधिक्षक कार्यालय, विद्युत विभाग, पी.एच.ई.डी., आई.टी.आई., विभाग एवं अन्य विभागों के कार्यालय भी स्थित हैं। तहसील क्षेत्र में दो थाने सांगोद व बपावर में स्थित हैं। तथा कस्बा सांगोद में पुलिस टाउन चौकी व मोईकलां पुलिस चौकी स्थित हैं। सें प्रभावित क्षेत्र को तीन भागों में बाटा है।

1. सांगोद क्षेत्र

2. कुन्दनपुर क्षेत्र

3. बपावरकलां क्षेत्र

2—तहसील क्षेत्र की औसत वर्षा का गत पांच वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	2013	2014	2015	2016	2017
वर्षा(मि.ली)	1433	943	888	632	514

3—जल पलावन से प्रभावित क्षेत्रः—

नदी तालाब बांध का नाम	प्रभावित क्षेत्र
1. परवन नदी	चरेल, कोटडा, लबानियां, बपावरखुर्द, रेलावद, घासखेडा, बूढ़नी, डाबरी कलां, उमरदा, अरनियां, राजगढ़, ठीमली, बम्बूलियां कटारिया
2. काली सिन्ध नदी	थूनपुर, गुडलाखेड़ली, गुडला, रामगढ़ उर्फ कैलाशपुरा, बोरीनाखुर्द, विजयपुर, कुदैत, घटाल, कोटडी, नाहरिया
3. उजाड़ नदी	सांगोद, थूनपुर, सहीपुर, बागडस्या, विनोदखुर्द, मालीहेडा, विनोदकलां, रोलाना, जालीहेडा, पामलाखेडी, अमृतखेडी, हींगी, कुराडियाखुर्द, नागराखेडी

4—बांध/तालाब टूटने से प्रभावित होने वाले गांवों की सूचीः—

बांध/तालाब का नाम	प्रभावित होने वाले गांव
भीमसागर बांध, जिला झालावाड़	बागडस्या, जोगडा, हींगी, सहीपुर, सांगोद, विनोदकलां, विनोदखुर्द, मोईखुर्द, नागराखेडी, पामलाखेडी, अमृतखेडी, कुराडियाखुर्द, नागलहेडी, जालीहेडा, अतरालिया, पालकिया, करीरिया, कांगनिया, कुन्दनपुर, गुडला खेड़ली, गुडला, राजगढ़, रोलाना, घाटोलिया, किशनपुरा जांगीर, थूनपुर, जोगडी, गाडरवाडा, बैसार, किशनपुरा, धिरयाहेडी, मण्डीता, रामगढ़ उर्फ कैलाशपुरा,

5—तहसील क्षेत्र के मुख्य नालोंः—डाबर, कन्डोली, पोकलिया, पटपडिया, बपावरकलां के पास का नाला

फेलडी आदि नाले मुख्य है।

6—तहसील क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित चिह्नित गांवः— चरेल, कोटडाजागीर, बपावरखुर्द, ठीमली, बम्बूलियां कटारिया, रेलावद, घांसखेड़ा, राजगढ़, उमरदा, बूढ़नी, अरनियां, सहीपुर, सांगोद, थूनपुर, गुडलाखेड़ली, गुडला, लबानियां, डाबरीकलां, रामगढ़ उर्फ कैलाशपुरा इत्यादि।

7—आश्रय स्थल :—बाढ़ / अतिवृष्टि की स्थिति में निम्न स्थानों पर आश्रय स्थलों की व्यवस्था रहेगी।

गांव का नाम	आश्रय स्थलों का नाम
1. सांगोद	राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय सांगोद (छात्र) काशीपुरी धर्मशाला, पुराना अस्पताल भवन, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांगोद, सामुदायिक भवन आई.टी.आई. भवन
2. राजगढ़	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़, सहकारी गोदाम राजगढ़, अटल सेवा केन्द्र
3. बपावरकलां	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बपावरकलां, पुराना अस्पताल भवन बपावरकलां, अटल सेवा केन्द्र
4. कुन्दनपुर	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुन्दनपुर, सामुदायिक भवन कुन्दनपुर, अटल सेवाकेन्द्र

अन्य सभी ग्रामों में स्थित विद्यालय भवन ग्राम पंचायत भवन अन्य सरकारी इमारतों में आवश्यकतानुसार आश्रय की व्यवस्था की जा सकेगी।

8. बाढ़ सम्बंधित उपकरणों की सूची:-

- नगर पालिका द्वारा—डम्पर ट्रोली गेती फावड़ा तगारी सब्बल ट्यूब व रस्सी
- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा—20 गेंती, 20 फावड़ा, 50 तगारी, 100 खाली कट्टे, 100 कट्टे मिट्टी से भरे।

9. विभागों के लिए निर्देशः—

- सेना की सहायता पड़ने पर श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) से सम्पर्क कर अवगत कराना।
- निचली बस्तियों में पानी निकासी हेतु आवश्यकता पड़ने पर डीजल पम्प नगर पालिका द्वारा किराये पर लेकर उपलब्ध कराया जावेगा इसके लिए आपूर्तिकर्ताओं की सूची एवं किराया आदि पहले से ही निर्धारित करना सुनिश्चित करें।
- तहसील क्षेत्र में लगातार भारी वर्षा होने पर अथवा भारी वर्षा की चेतावनी होने पर क्षेत्र के निरीक्षक भू अभिलेख, पटवारियान भ्रमण कर बाढ़ राहत कार्य प्रारम्भ करते हुए तहसील नियंत्रण कक्ष को सूचना देते रहेंगे तथा तहसील नियंत्रण कक्ष से सूचना तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष बाढ़ को भेजी जावेगी।

10. प्रमुख टेन्ट हाउसः—

- विजयवर्गीय टेन्ट हाउस सांगोद
- गौतम टेन्ट हाउस सांगोद
- मेहता टेन्ट हाउस सांगोद
- सोनी टेन्ट हाउस सांगोद
- सेन टेन्ट हाउस सांगोद
- जैन टेन्ट हाउस सांगोद
- सोनी टेन्ट हाउस बपावरकलां

11. हलवाईयों की सूची :-

12.

1	राजमल जैन सांगोद	8	नन्दकिशोर लोधा सांगोद
2	हरलाल सुमन सांगोद	9	नरोत्तम कुमार सांगोद
3	रामकिशन कुम्हार सांगोद	10	चन्द्रप्रकाश कुमावत सांगोद
4	सत्यनारायण कुम्हार सांगोद	11	गंगाबिशन कुमावत सांगोद
5	धन्नालाल कुम्हार सांगोद	12	राष्ट्रीय मिष्ठान भण्डार सांगोद
6	कालूलाल कुम्हार सांगोद	13	अमरलाल गुर्जर सांगोद
7	नारायण शर्मा सांगोद	14	सोनी मिष्ठान भण्डार बपावरकलां

गोताखोर व तैराकों की सूची:-

1. अलाम खां पुत्र अजाम खां खेलदार सांगोद
2. मजीद पुत्र सुल्तान खां खेलदार सांगोद
3. मंसूर अहमद पुत्र मुस्तफा खां सांगोद
4. असगर पुत्र अजीम बेग सांगोद
5. उस्मान मिर्जा पुत्र अलीम बेग सांगोद
6. युसुफ पुत्र नामदार बेग सांगोद
7. शिवराज सिंह राजपूत ठीमली
8. फरीद खां पुत्र अजीम खां खेलदार सांगोद

तहसीलदार सांगोद
जिला कोटा

कार्यालय तहसीलदार (भू.अभि.) पीपल्दा

तहसील पीपल्दा क्षेत्र में बाढ़ संबंधी क्षेत्रों का विन्हीकरण—

- 1 चम्बल नदी के समीप स्थित ग्राम— ग्राम उदयपुरा, घटोद, धनवा, ठीकरदा, बागली, बम्बूलियां, राजपुरा कीरपुरा, गोठडाकलां, गोठडाखुर्द, ढीपरीचम्बल, शेरगढ, कीरपुरा, गैंता, सीनोता स्थित है।
- 2 कालीसिंध नदी के समीप स्थित ग्राम — खरवन, खेडली नोनेरा, आमल्दा, ढीपरी कालीसिंध, गोन्दी, डडवाडा, मानपुरा, नोनेरा, खेडलीबोरदा, डूंगरली, बिरोदा, रोहली, कडीला, खेडली बैरीसाल स्थित है।
- 3 पार्वती नदी के समीप स्थित ग्राम — कैथूदा, गुडला, खातौली, गोरधनपुरा, फरेरा, फूसोद, मरझाना, मोरखुदना, मीठोद, जटवाडा, जटवाडी, बालूपा, संग्रामपुरा, छापोल, लालगंज, गिरधरपुरा स्थित है।
- 4 तालाब एवं बांधों की सूचना :— तालाब एवं बांधों के टूटने से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है। प्रभावित कांकरा, गणेशगंज, अयाना, अयानी में 4 तालाब स्थित है। अतिवृष्टि होने पर इन तालाबों में भराव क्षमता से अधिक पानी आने पर निकास हेतु मौखे बने हुए हैं, जिसमें पानी का निकास ड्रेनों की सफाई एवं मरम्मत की सुनिश्चितता किये जाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, दार्दी नहर अन्ता को निर्देशित किया जाना उचित होगा। उपरोक्त चारों तालाबों क्रमशः अयाना, अयानी, गणेशगंज, कांकरा से ग्राम अयाना, अयानी, गणेशगंज एवं कांकरा भी प्रभावित हो सकते हैं।
- 5 मिट्टी के कट्टो की व्यवस्था— अतिवृष्टि होने पर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में राहत उपलब्ध कराने के लिये मिट्टी के कट्टों की व्यवस्था ग्राम अयाना, अयानी, गणेशगंज एवं कांकरा से किया जाना प्रस्तावित है।
- 6 आश्रय स्थलों का चयन— अतिवृष्टि होने पर पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ठहरने के लिए आश्रय स्थल मुकान इटावा पर कृषि उपज मण्डी समिति इटावा प्रागंण, टीनशेड, सीनियर हॉयर सेकेण्डरी स्कूल भवन, इटावा सी०ए०डी० कॉलोनी, खोडावदा एवं त्यागी जी की धर्मशाला उपलब्ध हैं। इसी प्रकार अयाना एवं गैंता में सीनियर सेकेण्डरी स्कूल भवन उपलब्ध हैं।
- 7 नाव / नाविकों की सूचना — तहसील क्षेत्र के 11 ग्रामों में नाव उपलब्ध है। लेकिन इनके लाईसेन्स एवं फिटनेस की सुनिश्चितता क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी महोदय कोटा से कराई जाने की व्यवस्था की जावे।
- 8 बाहन व्यवस्था :— बाढ़ से प्रभावित स्थिति में पीडितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की व्यवस्था तहसील क्षेत्र के स्थानीय स्तर पर ट्रेक्टर एवं प्राईवेट जीपों को अधिकृत कर पीडित परिवारों को इनके द्वारा सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सकता है। साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
- 9 पेयजल :— तहसील क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पेयजल सुविधा उपलब्ध है।
- 10 खाद्यान्न :— अतिवृष्टि होने पर प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है एवं सम्बन्धित ग्राम एपांयत तथा सहकारी समिति से भी खाद्यान्न की व्यवस्था करवाई जा सकती है।

- 11 विद्युत व्यवस्था :— अतिवृष्टि के समय सम्बन्धित ग्रामों में बिजली सुनिश्चित रूप से उपलब्ध हो । इस संबंध में सुनिश्चितता करने के लिए सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिंग इटावा को निर्देशित किया जाना उचित होगा साथ ही सम्बन्धित विद्युत लाईनों के खम्भों एवं ढीले तारों को खिंचवाया जाना उचित होगा ।
- 12 संचार साधन — तहसील क्षेत्र में पुलिस स्टेशन खातौली, इटावा, अयाना पर वायरलेस सेट लगे हुए हैं । पुलिस चौकी पर वायरलेस सेट उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है । तहसील क्षेत्र में दूरभाष व्यवस्था उपलब्ध है ।
- 13 नियंत्रण कक्ष :— वर्षा प्रारम्भ होते ही तहसील मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर तहसील कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाती है ।
- 14 चिकित्सा सुविधा — बाढ़ से प्रभावित परिवारों के उपचार के लिए पीएचसी पीपल्डा सामुदायिक चिकित्सा इटावा एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खातौली, ढीपरीचम्बल, गैंता, अयाना, ककरावदा, करवाड़ के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी । ककरावदा ढीपरीचम्बल, गैंता एवं करवाड़ में पशु चिकित्सा हेतु स्टाफ एवं दवाईयां उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।

तहसील मुख्यालय — पीपल्डा में प्रत्येक बरसात शुरू होने पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है । परन्तु नियंत्रण कक्ष पर आपदा से निपटने के लिए दो सर्च लाईट (बड़ी टॉर्च), चार बड़े रस्से एवं 2 बड़ी ड्रेक्टर की ट्यूबों की आवश्यकता होगी । जिनके लिए वांछित बजट आंवटित किया जाना उचित होगा ।

**तहसीलदार पीपल्डा
जिला कोटा**

कार्यालय तहसीलदार (भू.अभि.) रामगंजमण्डी

1. परिचय :-—तहसील रामगंजमण्डी में अधिकतर पठारी क्षेत्र एवं नदी नालें होने के कारण वर्षाकाल में अपने निर्धारित मार्गों पर तेजी से प्रवाहित रहते हैं। जिससे सड़क मार्ग भी जलप्लावित हो जाते हैं। इस उपखण्ड में एक तहसील व एक उप तसहील चेचट हैं। जिनमें प्रत्येक में पाँच—पाँच भू अभिलेख निरीक्षक वृत एवं तहसील में कुल 171 ग्राम हैं, जिसमें से 74 ग्राम तहसील में एवं 97 ग्राम उप तहसील क्षेत्र में आते हैं तथा कुल 15 ग्राम गैर—आबाद है।

औसत वार्षिक वर्षा :-

क्र. स.	वर्षा केन्द्र	वर्षा (एम.एम.में)								कुल वर्षा	औसत वर्षा
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	रा० मण्डी	847	1234	712	1245	984	1120	1115	560	7489	936

2— उपखण्ड आपदा प्रबंधन समिति :-

उपखण्ड अधिकारी महोदय रामगंजमण्डी की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर उपखण्ड आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्न अधिकारी सदस्य हैं:-

- श्री राधेश्याम मीणा, तहसीलदार रामगंजमण्डी।
- श्री सुनील वर्मा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति खैराबाद।
- अधिशासी अधिकारी नगरपालिका रामगंजमण्डी।

उक्त कमेटी द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए निम्न 20 ग्रामों का चिन्हीकरण किया गया:-

3— जन प्लावन से प्रभावित क्षेत्र :-

क्र. स.	नदी बांध तालाब का नाम	प्रभावित गांवों का नाम
1	अमझार नदी	चेचट, मवासा, चन्द्रपुरा, कमलपुरा, कूकडाखुर्द, कुकडाकलां
2	आहू नदी	सुरेडा, पायली, सुकेत, सलावदखुर्द
3	पाटली नदी	देवलीखुर्द, हनुवतखेडा, कुदायला, मायला, कुंभकोट

4—मुख्य नालें :—

क्र. सं.	नाले का नाम	प्रभावित क्षेत्रों के नाम
1	खैराबाद नाला (बाणगंगा)	खैराबाद, हनुवतखेड़ा, कुदायला, कुंभकोट,
2	जुल्मी	कंजर बस्ती

5—खनन प्रभावित क्षेत्र :—

क्र. सं.	खनन क्षेत्र का नाम	प्रभावित क्षेत्रों के नाम
1	खनन क्षेत्र	कोटडी, पीपाखेड़ी, सातलखेड़ी

6—अस्थाई आश्रय स्थलों की सूची:—

किसी भी प्रकार की आपदा होने पर प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए निम्न स्थाई/अस्थाई आश्रय स्थलों का चयन किया गया:—

क्र.सं.	तहसील का नाम	आश्रय स्थल का नाम व पता	कमरों की संख्या	दूरभाष नम्बर		
				एस.टी.डी. कोड	कार्यालय	निवास
1	रा० मण्डी	ग्राम पंचायत भवन चेचट	01	07459	230283	
2		ग्राम पंचायत भवन खेडली	01	07459		230570
3		ग्राम पंचायत भवन सहरावदा	01	07459		232864
4		ग्राम पंचायत भवन देवलीकंला	01	07459		
5		ग्राम पंचायत भवन मोडक स्ट०	01	07459	232817	233200
6		रा.प्रा.वि. महावीर नगर रा०मण्डी	03	07459		
7		रा.उ.मा.विद्यालय रामगंजमण्डी	05	07459	220891	
8		रा.उ.मा.विद्यालय सुकेत	04	07459	234369	
9		रा.उ.मा.विद्यालय चेचट	03	07459	230466	
10		रा.मा.विद्यालय अलोद	02	07459		
11		रा.मा.विद्यालय पीपल्दा	02	07459		

7—अस्थाई आश्रय स्थलः—

क्र.सं.	कस्बा	अस्थाई आश्रय स्थलों के नाम
1	रामगंजमण्डी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंजमण्डी
2	सुकेत	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुकेत
3	चेचट	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चेचट
4	अलोद	राजकीय माध्यमिक विद्यालय अलोद
5	पीपल्दा	राजकीय माध्यमिक विद्यालय पीपल्दा

8—झेन व बांधों की सूचीः—

तहसील	नाम	लम्बाई	क्षमता	प्रभावित होने वाले ग्रामों के नाम	प्रभावित जनसंख्या
इस खण्ड में नहीं हैं।					

9—राहत सामग्री की सूचीः—

(गैहूँ, दाल, चावल, नमक, केरोसीन, लालटेन, गैस, रस्सा, माचिस, भुने चने गुड आदि)

तहसील	टिप्पणी
रामगंजमण्डी	सभी सामग्री प्रचुर मात्रा में बाजार में उपलब्ध हैं।

10—निचली बस्तियाँ / कोलोनियों के चिन्हित ग्रामः—

क्र सं.	ग्राम / कस्बे नाम	विवरण
1	रामगंजमण्डी	सुभाष कोलोनी
2	चेचट	प्रतापपुरा
3	चन्द्रपुरा	—
4	सालेडाखुर्द	बागरी बस्ती
5	नीमोदा	निचली बस्ती
6	कमलपुरा	ओड बस्ती, हनुमान मंदिर के पास
7	खैराबाद	हताई मीणा बस्ती
8	कुदायला	एस.सी. बस्ती, नई बस्ती
9	अमरपुरा	फसलों का नुकसान नाले के समीप
10	सुकेत	मच्छी कोलोनी
11	मवासा	मेघवाल बस्ती
12	अमझार	कृषि भूमि प्रभावित होती हैं।
13	खेडली	सहकारी समिति गोदाम बस्ती
14	जुल्मी	नदी के किनारे की बस्ती

11—तहसील मुख्यालय पर रहने वाले न्यूनतम सामानों की सूचीः—

क्र सं.	तहसील	सामानों की सूची

1	रामगंजमण्डी	प्राथमिक सहायता बाक्स, रस्सा, लालटेन, माचिस, ड्रेगन लाईट, टार्च, मोमबत्ती, छाता, कैंची, चाकू, फर्श, एवं जाजम आदि।
---	-------------	---

12— प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची :-

क्र.सं.	स्वयंसेवी संस्था का नाम व पता	उद्देश्य	एस.टी.डी. कोड	फोन नम्बर
1	युवादल रामगंजमण्डी प्रो० सुनील बोहरा, राजकुमार पारख	चिकित्सा सेवा	07459	—
2	जल सेवा समिति प्रो० कश्मीरीलाल रामगंजमण्डी	जल सेवा	07459	220621
3	भारत विकास परिषद रामगंजमण्डी प्रो० रामस्वरूप वर्मा	चिकित्सा सेवा	07459	220263

13— संभावित दुर्घटना स्थल :— (तहसील में दुर्घटना संभावित सड़क क्षेत्रों का विवरण)

सड़क मार्ग	दुर्घटना संभावित क्षेत्र
रामगंजमण्डी	सुकेत से दरा के मध्य सुकेत
	सुकेत से रामगंजमण्डी के मध्य सातलखेड़ी
	ढाबादेह से मोड़क के मध्य मोड़क स्टेशन

**तहसीलदार (झू०अ०)
रामगंजमण्डी, जिला कोटा**

कार्यालय तहसीलदार (भू-अभि.) कनवास

1. सामान्य परिचय :— तहसील कनवास में अधिकतर पठारी क्षेत्र नदी नाले होने के कारण वर्षाकाल में अपने निर्धारित मार्गों पर तेजी से प्रवाहित रहते हैं। जिससे सड़क मार्ग भी जल प्लावित होने की संभावना रहती है। इस उपखण्ड में एक मात्र तहसील कनवास है जिसमें पांच भू-अभिलेख निरीक्षक वृत हैं। जिसमें 95 ग्राम हैं जिसमें से 4 गैर आबाद हैं।

1. औसत वार्षिक कार्य:-

क्र.स.	वर्षा केन्द्र	वर्षा एम.एम. मे					कुल वर्षा	औसत वर्षा
		2013	2014	2015	2016	2017		
1.	कनवास	1456	863	880	691	459	4349	869.8

2. उपखण्ड आपदा प्रबन्धन समिति :-

उपखण्ड अधिकारी महोदय कनवास की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर उपखण्ड आपदा प्रबन्धन समिति का गठन किया गया। जिससे निम्न अधिकारी सदस्य हैं।

- 1.श्री सत्यनारायण बसवाल तहसीलदार, तहसील कनवास
- 2.श्री रामावतार शर्मा विकास अधिकारी, पंचायत समिति सागोंद
- 3.श्री धनराज मीना, नायब तहसीलदार, तहसील कनवास
- 4.श्री नवल मीणा सरपंच, ग्राम पंचायत कनवास

उक्त कमेटी द्वारा आपदा प्रबन्धन के लिये विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिये ग्रामों का चिन्हीकरण किया गया।

3. जल प्लावन से प्रभावित क्षेत्र :-

क्र.स.	नदी बांध तालाब का नाम	प्रभावित गावों के नाम
1	अरु नदी	कनवास, कोलाना, गुजरीयाहेडी, सावनभादो
2	बझाल नदी	आवां रोड पर वर्षा में पानी का भराव

4. मुख्य नाले:-

क्र.स.	नाले का नाम	प्रभावित गावों के नाम
1	पोकलिया	कनवास, धूलेट, गुन्जारा
2	माधोपुर वाला खाल	आवां
3	पटपडिया	कनवास, दरा, कि गोरपुरा

5. खनन प्रभावित क्षेत्र :—

क्र.स.	खनन क्षेत्र का नाम	प्रभावित गावों के नाम
1	खनन क्षेत्र	रामनगर की टापरियां, सावनभादो डेम के आस पास, दांता, नयागांव, कनवास

6. आश्रय स्थल, विवाह स्थल होटलों एवं विश्राम स्थलों की सूची :— किसी प्रकार की आपदा होने पर प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिये निम्न स्थाई/अस्थाई आश्रय स्थलों का चयन किया गया है।

क्र.स.	तहसील का नाम	आश्रय स्थल का नाम व पता	कमरों की संख्या	दूरभाष नम्बर	
				STD कोड	कार्यालय
1	कनवास	रा० उच्च मा० विद्या० कनवास	01	07450	254684
2	धूलेट	रा० उच्च मा० विद्या धूलेट	01		
3	देवली	रा० उच्च मा० विद्या देवली	01		
4	आवां	रा० उच्च मा० विद्या आवां	01		

7. अस्थायी आश्रय स्थल :—

क्र.स.	गांव/कस्बा	अस्थायी आश्रय स्थलों के नाम
1	कनवास	रा० उच्च मा० विद्या० कनवास
2	कनवास	अटल सेवा केन्द्र कनवास

8. ड्रेन व बाधों की सूची :—

क्र.स.	ड्रेन/बाध का नाम	लम्बाई	क्षमता	प्रभावित होने वाले गांव के नाम	प्रभावित जनसंख्या
1	सावनभादो बाध	16000	13.60 मीटर	मोरुकला, किशोर सागर	5365

9. मुख्य नहरे व उनकी भराव क्षमता की सूची :—

क्र.स.	नहर का नाम	भराव क्षमता
1	सावनभादो नहर	3 मीटर

10. राहत सामग्री की सूची :—

(गेहूं, दाल, चावल, नमक, केरोसीन, लालटेन, गैस, रस्सा, माचिस, भुने चने, गुड आदि)

क्र.स.	तहसील का नाम	टिप्पणी
1	कनवास	सभी सामग्री प्रचुर मात्रा में बाजार में उपलब्ध है।

11. निचली बस्तियों व कोलोनियों के नाम :—

क्र.स.	ग्राम व कस्बे का नाम	बस्तियों/कोलोनियों का विवरण
1	कनवास	रामनगर की टापरियां
2	हिंगोनियां	हिंगोनिया में खेडी रोड पर निचली बस्तियों

12. तहसील मुख्यालय पर रहने वाले न्यूनतम सामानों की सूची :—

क्र.स.	तहसील का नाम	सामानों की सूची
1	कनवास	प्राथमिक उपचार बॉक्स, रस्सा, लालटेन, माचिस, लाईट, टॉर्च, छाता, कैची, चाकू, फर्श, जाजम

13. संभावित दुर्घटना स्थल (तहसील में दुर्घटना संभावित सड़क क्षेत्रों का विवरण) :—

क्र.सं.	सड़क मार्ग	दुर्घटना संभावित क्षेत्र
1	कनवास	कनवास से धूलेट के मध्य

तहसीलदार, कनवास
जिला कोटा

STAFF OF WATER RESOURCES CIRCLE, KOTA

S.N.	Name	Office	Mobile No.
1	Sh. K.D.Sandu Chief Engineer	2326915	9414077747 9828580808
2	Er. S.K. Samaria S.E. RPS & JS Dam Circle	2327785	9413352222
3	Er. Devender Agnihotri Executive Engineer C.P. Division	2327211	8218103545
4	Er. P.K. Pathak Asstt. Engineer & T.A.	2327211	8949362537
5	Er. Dinesh Kumar Gautam AEN Civil Sub. Division Barrage	2370984	9887098330
6	Er. Sonu Sharma AEN Mech. Sub. Division Barrage	2370984	9414327968
7	Er. O.P. Shriwastav Junior Engineer Mech. Sub Dn.	2370984	9818136345
8	Er. J.C. Pareta Junior Engineer C.P.. Sub Dn.	2370984	9413007880
9	Er. Mahaveer Malav Junior Engineer C.P.. Sub Dn.	2370984	8619402155
10	Er. Harish Tiwari Junior Engineer Mech. Sub Dn.	2370984	9461802626
11	Er. Anju Meena Junior Engineer Mech. Sub Dn.	2370984	9785214143
12	Er. Rajender Kumawat Mech. Sub Dn.	2370984	7014513300
13	Er. Kusum Choudhry Mech. Sub Dn.	2370984	7627041009

Salient features of Alnia Dam

S.No.	Particulars	Description	
1	Catchment Area	201.43 Sq. KM	77.88 Sqm Mile
2	Intercepted Catchment Area	19.43 Sq.mile	7.51 Sq.mile
3	Free Catchment Area	182.00 Sq. KM	70.36 Sq.mile
4	Type of Catchment	Good	Good
5	Av. Annual Rainfall	893.91mm	35.19"
6	Estimated Normal Yield	46.27M.cum	1634 Mcft
7	Capacity of tank at FTL	43.71 M.cum	1544 Mcft
8	Dead Storage Capacity	0.0079 M.cum	0.28 Mcft
9	Live Storage Capacity	43.71 M.cum	1544 Mcft
10	Total Length of over flow spillway	838.22M.	2754'Ft
11	Total length of non over flow	914.40 M.	3000 Ft
12	Length of overflow bye wash	65 M.	215 Ft
13	Maximum flow discharge	2605 cumcs	51956 cusec
14	Flood lift	1.204 M.	4 Ft
15	F.T.L.	355.092 M.	1165 Ft
16	M.W.L.	356.310 M.	1169 Ft
17	T.B.L.	358.32 M.	1175.60 Ft
18	Sluice sill level	345.034	1132.00 Ft
19	Length of main canal & branches	32.32 Km	20.20 Miles
20	Length of Disty and Minors	52.18 Km	32.51 Miles
21	Discharge of canal		
a)	Right Main Canal	3.97 cumces	140.40 cusec
b)	Right Main Canal	0.26 cumces	9.32 cusec
22	Duty at Head	138.03 Ha./ Mcum	9.65 acre/mcft
23	G.C.A	8986 Ha.	22196 acres
24	C.C.A.	7872 Ha.	19468 acres
25	Normal Irrigation	5636 Ha.	13921 acres
26	Average Irrigation	4910 Ha.	12128 acres
27	Submergence at FTL	1210 Ha.	3000 acres

EMERGENCY ACTION PLAN TO MEET THE FLOOD SITUATION DUE TO KOTA BARRAGE 2018-19

Kota Barrage is the hydraulic structure of the series of Dams constructed on the River Chambal. Kota Barrage consists 247 m long earthen dam 37 meter height and 305 meter long spillway with 19 vents of 40'x 42' with radial gates to pass a maximum discharge of 7.50 lakh cusecs and two under sluice of 9' x 11 each. Kota Barrage feed Right Main Canal and Left Main Canal of Chambal command system.

During the monsoon runoff after absorption by the U/s reservoirs is passed through spillway of Kota Barrage by operating radial gates. The spillway has been designed for a maximum flood discharge of 7.50 lacs cusecs. Consequent upon passing of 7.50 lacs cusecs flood discharge the U/s water level will be 856.00 ft and the tail water level will be 820.00 ft in the river at D/s of Barrage. In These circumstances the water can be entered in the populated area nearby Chambal river banks and effected due to this flood.

Effect of flood on area D/s of Kota Barrage

A table showing the location and levels up to which the area is likely to be submerged, or effected at various discharge levels enclosed herewith, it is also submitted to the District Administration and Nagar Nigam Kota in pre monsoon session every year.

Flood can damage the area when the discharge increases to 4.00 lac cusecs and more, as tail water level rises to 807 ft and enters in the city areas at various places listed as under

- (a) Mathuradhis Ghat
- (b) Shav dah Ghat
- (c) Karbala Area
- (d) Nayapura Bus Stand
- (e) Khai Road area
- (f) Ganwari Kachhi Basti
- (g) Balita Basti Area

Approximate D/s levels at various discharges and likely to be submerged area shown in the table. The High flood levels have been marked in flood prone area of the city.

When discharge from Kota Barrage exceeds 4.00 lacs cusecs flood water affects in Kota, Bundi, Dholpur in Rajasthan and Bhind, Morena, Sheopur District in Madhya Pradesh .Advance information is given to all the above District Authorities to warn public through District Collector, Kota by wire less system of ADF.

Action Plan:

- a) Earth filled bags stacked at earthen bank of Kota Barrage before monsoon for emergent requirement.
- b) One Control room functions at Kota Barrage for 24 hours daily during flood seasons from 15th June to 30th Oct round the clock. Functioning is ensured by Jr. Engineer. One telephone No. 2370984 is provided at control room,

- which requires special attention of P & T department for its continuous functioning. One wireless set is also installed for receiving the flood message from dams located on U/s and passing the flood message to civil authorities. A sаurain already is available at Kota Barrage for passing warming signal to the inhabitants in 2 Kilometer radius regarding opening of gates of Kota Barrage to pass the flood discharge.
- c) Telephone message is passed prior to every operation of gate of Kota Barragr to flood control cell WRD Jaipur, WRD Zone, Kota, District Collector, Kota Nagar Nigam Kota, S.P. Kota
 - d) In case of discharge of more than 3.00 Lacs cusecs, a message in writing in prescribed proforma is also conveyed from flood control room through emergency vehicle. Incase discharge of 4.00 lacs cusecs and more passed from Kota Barrage the flood warning for evacuation and a hooter is required for inhabitants of following areas :
 - (i) Mathuradhis Ghat and Jama Masjid
 - (ii) Shav dah Ghat ki gali
 - (iii) Karbala Area
 - (iv) Khai Road
 - (v) Dostpura & Ganvari Area
 - (vi) Balita Area
 - e) Shelter places has been indentified for evacuated areas are as under :
 - (i) Inhabitants of Mathura Dheesh Ghat and Jama Masjid area can be givin shelter in Government Gandhi School Rampura , Manak Bhawan and Patan Pole etc.
 - (ii) Shiv dass Ghat area people can be givin shelter in Jankilal Gaurilal Dharmshala and mahatma Gandhi School Rampura.
 - (iii) For the people of Karbala area, Middle School Ladpura could be used.
 - (iv) For Khai Road Ladpura and Nayapura, Harijan Basti, Govt. Girls Middle School and Vocational School Nayapura can by utilized.
 - (v) For Dostpura and Ganvari area Govt Middle School in Civil line can be utilized.
 - (vi) For Balita area in Kunhari Samudayak Bhawan UIT, Kota
 - f) The arrangement to shift the flood affected persons can be made through the police and Nagar Nigam.
 - g) Boat and other equipment are available with Nagar Nigam and can be called in case of emergency.
 - h) Dual power connection from JVVNL Kota is installed for operating the gates of Kota Barrage. In additional to this one diesel generating set is also available at Kota Barrage, which is adequate for operation of gates of Kota Barrage. In Case of power failure from these sources manual operation is also alternatively available.
 - i) Medical aid is to be arranged by the Emergency.
 - j) The following important Telephone of officers/official area to be maintained by the P & T Department during fliids on top priority.

Name	Office	Name
Sh. K.D.Sandu Chief Engineer	2326915	Sh. K.D.Sandu Chief Engineer
Er. S.K. Samaria S.E. RPS & JS Dam Circle	2327785	Er. S.K. Samaria S.E. RPS & JS Dam Circle
Er. Devender Agnihotri Executive Engineer C.P. Division	2327211	Er. Devender Agnihotri Executive Engineer C.P. Division
Er. P.K. Pathak Asstt. Engineer & T.A.	2327211	Er. P.K. Pathak Asstt. Engineer & T.A.
Er. Dinesh Kumar Gautam AEN Civil Sub. Division Barrage	2370984	Er. Dinesh Kumar Gautam AEN Civil Sub. Division Barrage
Er. Sonu Sharma AEN Mech. Sub. Division Barrage	2370984	Er. Sonu Sharma AEN Mech. Sub. Division Barrage
Er. O.P. Shriwastav Junior Engineer Mech. Sub Dn.	2370984	Er. O.P. Shriwastav Junior Engineer Mech. Sub Dn.
Er. J.C. Pareta Junior Engineer C.P.. Sub Dn.	2370984	Er. J.C. Pareta Junior Engineer C.P.. Sub Dn.
Er. Mahaveer Malav Junior Engineer C.P.. Sub Dn.	2370984	Er. Mahaveer Malav Junior Engineer C.P.. Sub Dn.
Er. Harish Tiwari Junior Engineer Mech. Sub Dn.	2370984	Er. Harish Tiwari Junior Engineer Mech. Sub Dn.
Er. Anju Meena Junior Engineer Mech. Sub Dn.	2370984	Er. Anju Meena Junior Engineer Mech. Sub Dn.
Er. Rajender Kumawat Mech. Sub Dn.	2370984	Er. Rajender Kumawat Mech. Sub Dn.
Er. Kusum Choudhry Junior Engineer C.P.. Sub Dn.	2370984	Er. Kusum Choudhry Mech. Sub Dn.
Er. Priya Gautam Junior Engineer C.P.. Sub Dn.		2370984

Salient features of Kota Barrage

S.No.	Particulars	Description
1	Location	Near Kota City in Rajasthan Across river Chambal
a)	Longitude	75°- 50' N
b)	Latitude	25°- 10' E
2	Commencement	Sept. 1953
3	Completion	Nov. 1960
4	Catchment	27454.00 Sq.Km
5	Rainfall	81 cm (average)
6	Storage Capacity	
a)	Gross Capacity	112.05 M. Cum
b)	Live storage	69.83 M. Cum
c)	Dead Storage Capacity	42.22 M.Cum
7	Length of Dam at Top	551.68 M
8	Height of Dam	37.30 M
9	Nature of Dam	Earthen Dam with gated spillway
10	Area of submerged at FR.L.	5.82 Km.
11	Average Bed Level	RL 227.38 (746.00 ft)
12	Crest of spillway	RL 247.50 (812.00 ft)
13	Full Reservoir Level	RL 260.30 (854.00 ft)
14	Maximum Water Level	RL 260.90 (856.00 ft)
15	Top of Dam	RL 262.88M (862.00 ft)
16	Designed flood Discharged	21237 Cumces (7.50 lacs cusecs)
17	Spillway	Length 305.00M
a)		Radial gates 19 nos. 12.20 Mx 12.80 M(40'x42')
b)		Sluice gates 2 nos. 2.70 Mx 3.30 M (9,x11')
18	Power	No Hydro power

List of T&P Available Kota Barrage

S.No.	T&P	Total
1	Torch	3
2	Honda Generator	-
3	Buoy	8
4	Pick axe	50
5	Phawara	50
6	Tagari	25
7	Boat	0
8	Umbrella	4
9	Raincoat	4
10	HSD	200 Ltr
11	Jeep	RRR-6640
12	Earth filled bags	1500

Check List in the context of preparedness of south west Monsoon 2018

1. Vulnerability assessment :

Flood affected areas of Kota city situated on the right bank of Chambal river D/s of Kota Barrage has been identified and marked on the plan. Detail of flooded affected areas at different discharges has been prepared and enclosed with contingency plan. For ready reference.

2. Watering system ;

At Kota Barrage siren has been installed and is in order and being operated well before operation f gates to warn public before release of discharge from gates of Kota Barrage.

3. Emergency Response Activities ;

(i) Coordination ;

Flood control cell at Kota Barrage remains in close coordination with District administration, police department, Collectorate , Flood cell at Jaipur, Nagar Nigam Kota, UIT Kota. All concerned police station are being informed well in time before release of water from Kota Barrage to alert public of affected areas to reach at safe place.

(ii) Rapid Damage Assessment.

Normal flood damages report is being prepared after Post Monsoon and submitted to higher authorities D/s water level during release of water from Kota Barrage is being monitored regularly during flood. D/s gauges has been marked at suitable locations and has been repainted.

(iii) Maintenance of essential Services ;

During flood this office remains in close coordination with power department, BSNL so that uninterrupted power supply is made available at Kota Barrage and tele communication services i.e. basic telephone services is provided by BSNL uninterrupted

(iv) Stocking of essential commodities ;

For safety of Kota Barrage essential stocks like sand bags duly filled are kept at Earthen dam. Other items like Buoy, Pick axe, Phawra and tagaries etc are procured

(V) Medicines ;

Medicine will be provided by the Medical and health Department.

(vii) Arrangement of drinking water :

Drinking water facilities are available at Kota Barrage.

(viii) Temporary Shelters:

Relief camps arrangements are being done by Nagar Nigam.

4. Pre Contract :

Relief camps arrangements are being done by Nagar Nigam Kota

5. Evacuation Plan :

Identification of places for the persons residing in low lying areas has been marked.

6. Activating of control Room :

Control room at Kota Barrage functions round the clock in three shifts with trained technical personnel's

7. Search and rescue teams:

Search and Rescue team from Nagar Nigam.

8. Procurement of search Rescue and Evacuation Equipments:

Procurement of search Rescue and Evacuation Equipments from nagar Nigam- fire Brigade.

9. Telephone and Fax facility:

There is a land line telephone at control room of Kota Barrage bearing no. 0744-2370984. There is no fax facility at Kota Barrage.

10. Emergency Support function (ESF Plan for Emergency Response in States/Ut's :

Does Not pertains to this office

11. Identification of Nodel Officer ;

The list of telephone/ Mobile no of officers deputed@concerned during flood is attached.

12. Rescue Team;

Contact No Vishnu Shringi - 9414260886, 9829133359

13. List of officer to whom intimation givin during water releases from Kota Barrage

- | | |
|--|-------------------------|
| a) Police Control Room Kota | - 100 |
| b) District Collector Flood Control Room | - 0744-2323557/ 2325342 |
| c) Zonal Flood Cell | - 0744-2320851 |
| d) SE RPS and JS Circle | - 0744-2327785 |
| e) Wireless in Kota Barrage | - |

Detail of affected area due to flood D/s barrage at various discharge with location is enclosed.

1. Preventive action might be limited. For example access to the dam presently two approach road are there, one is on left and another is on right bank from Jhalawar road to Alnia dam. these road will be inundated in dam break condition.
2. Labour would have to be mobilized from Mandana village which is closely. In case of emergency . Collector who is civil administrator for the district is responsible for ordering coordinating and controlling Medical and health Kota and Near by Dispensary at Mandana.
3. A road bridge, a pick-up weir and two railway bridges (one western railway main line and other on Bina Kota railway line exist down stream of Alnia Dam. The location and details of these structures are given in table enclosed separately.
4. The List of important telephone NO of official of water resources department is as under.

Name	Office
Sh. K.D.Sandu Chief Engineer	2326915
Er. S.K. Samaria S.E. RPS & JS Dam Circle	2327785
Er. Devender Agnihotri Executive Engineer C.P. Division	2327211
Er. P.K. Pathak Asstt. Engineer & T.A.	2327211
Er. Dinesh Kumar Gautam AEN Civil Sub. Division Barrage	2370984
Er. Sonu Sharma AEN Mech.Sub.Division Barrage	2370984
Er. O.P. Shriwastav Junior Engineer Mech. Sub Dn.	2370984
Er. J.C. Parea Junior Engineer C.P.. Sub Dn.	2370984
Er. Mahaveer Malav Junior Engineer C.P.. Sub Dn.	2370984
Er. Harish Tiwari Junior Engineer Mech. Sub Dn.	2370984
Er. Anju Meena Junior Engineer Mech. Sub Dn.	2370984
Er. Rajender Kumawat Mech. Sub Dn.	2370984
Er. Kusum Choudhry Junior Engineer C.P.. Sub Dn.	2370984
Er. Priya Goutam. Junior Engineer C.P.. Sub Dn.	2370984

CONTINGENT PLAN TO MEET THE FLOOD SITUATION DUE TO ALNIA IRRIGATION PROJECT FOR THE YEAR 2018-19

Alnia Irrigation Project was constructed in the year 1961&62 across river alnia, a tributary of river chambal . The dam was raised by 0.60 M in the year 1979-80 to have Additional storage capacity 244 mcft. (6.91 m Cum). The dam is masonry dam with capacity 1544 Mcft. The T.B.L. of dam also raised during 2005-07 by 2.01 M. with changing its storage capacity to increase discharging capacity of dam.

The site of dam is near village Shyampura 3 Km. U/s of Alnia river road Bridge on NH-76 of Kota Jhalawar road. **The maximum height of Dam 16.95 M from deepest foundation level. The total length of dam is 1752.62 M out of which 838.22 M is overflow and 914.40 M is non over flow portion.**

The Alnia dam has been taken under Dam safety programme assisted by World Bank under RWSRP the rehabilitation of non over flow of Alnia Dam is completed and the top level of Bank (T.B.L.) has raised 356.61 M. to 358.32 M(2.01M) and flood lift also increase by 0.90 M to 1.204 M to increase maximum discharging capacity of overflow 1326 cumces to 2605 cumces.

- The Rehabilitation of overflow portion of dam has been completed as ogee shaped spillway. **The length of spillway** also increased by 731.52 M t0 838.22 M. with additional arrangement of **Bywash of length 65M.**
- The Energy dissipation arrangement of owerflow has been also completed
- Presently therre is no danger to safety of structure.
- The salient features of the dam are enclosed separately.

EMERGENT ACTION PLAN FOR ALNIA DAM WILL BE AS UNDER

1. One flood cell having Mobile facilities will be function at Alnia dam Shri Neeraj Saini JEN with Ramlal will be incharge of the flood cell having responsibility and authority to operate the facilities in accordance with reservoir operation procedures, regularly observe and report flood conditions to the divisional flood cell and take preventive action at the dam site in emergency . He will have responsible staff of two or more people round the clock from 15 June 2018 so that alternative person is available for notification round the clock.
2. In emergency or in flood situation, flood cell will inform to Kota Barrage flood cell through Mobile.
3. Kota Barrage flood cell will inform to Water Resources Zone. Zonal flood cell Kota through wireless channel or on telephone both facilities will be available .
4. Water Resources flood cell Kota will inform to District Collector Kota and to W.R.Department head. Flood cell Kota through wireless channel or telephone. He will also inform to police chowki Mandana by available Vehical.
5. Kota Barrage flood cell will inform to Assistant Engineer, Water Resources Sub Division, Kota Shri Devender Agnihotri by telephone message to office No 0744- 2327211 and mobile No. 8218103545 or by special Messenger H.No.C-55 Talwandi Kota.
6. Kota Barrage flood cell inform to district superintendent of police Kota through wireless channel or phones.
7. Kota Barrage Flood cell will also inform to Executive Engineer Sh. Devender Agnihotri through wireless or phone office 2327211 Residence No- C-55 Talwandi Kota Mobile No 8218103545 or by special Messenger as case may be H.No.C-55 Talwandi Kota.
8. Kota Barrage flood cell will also inform to Superintendent Engineer, RPS and JS Dam circle Kota through telephone No 2327785 (office) and Telephone Mobile No. 9413352222. Zonal flood cell will also inform to all concerned engineer, administration, police and control room.
9. Kota Barrage flood cell will also inform to Chief Engineer. W.R. Zone Kota through Mobile or by special messenger.

10. All the flood cells shall be into the same wireless channel. Thus communication from one flood cell to another will be heard in all the cells.
11. Preventive action might be limited For example access to the dam presently two approach roads are there, one is on left and another is on right bank from Jhalawar road to Alnia dam. these roads will be inundated in dam break condition.
12. Labour would have to be mobilized from Mandana village which is closely. in case of emergency. Collector who is civil administrator for the district is responsible for ordering coordinating and controlling Medical and health Kota and Near by Dispensary at Mandana.
13. A road bridge a pick-up weir and two railway bridges (one western railway main line and the other on Bina Kota railway line exist down stream of Alnia Dam. The location and details of these structures are given in table enclosed separately.
14. The list of important telephone No. of official of water resources department is as under.

Name	Office	Resident	Mobile No.
Sh. K.D.Sandu Chief Engineer	2326915		
Sh. S.K. Samaria S.E. RPS & JS Dam Circle	2327785		9413352222
Sh. Devender Agnihotri Executive Engineer C.P. Division	2327211		8218103545
Sh. P.K. Pathak Asstt. Engineer & T.A.	2327211		
Sh. Devender Agnihotri Executive Engineer C.P. Division	2327211		8218103545
District Collector	2325342		
Water Resources Flood Cell	2322386		

बांधों/नदियों से जल प्लावन से प्रभावित ग्रामों की सूची

क्र.सं.	बांध / नदी का नाम	तहसील	प्रभावित गांव
1	आलनिया बांध / नदी	लाडपुरा	श्यामपुरा, प्रहलादपुरा, रामनगर, नगपुरा, भीमपुरा, उम्मेदगंज, जालखेड़ा, डाढ़देवी, कंवरपुरा, राजनगर, नयानोहरा, हाथीखेड़ा, बोरखण्डी, अर्जुनपुरा, चन्द्रेसल, नोटाना, मानपुरा, ढाणी, बडोदिया, मवासा, बावडीखेड़ा, रानीपुरा, अभयपुरा, लाडपुरा, कैथून, चेनपुरा, खेड़ा रसूलपुरा, भोजपुरा, चंडीदा, मंडानिया, खेडली, पांडे, रामखेडली, पीपलदा, झालीपुरा, रामराजपुरा, दसलाना ।

**THE WATER SURFACE ELEVATION AT THE ROAD BRIDGE,
PICKUP WEAR AND RAILWAY BRIDGES IS GIVIN IN THE
FOLLOWING TABLE.**

Description	Location	Elevation/ TBL(M)	Water Surface Elevation (M)		
			Mtr.	Mtr.	Mtr.
Road Bridge	About 3 Km D/s of Dam	EL 341.671	EL 340.50	EL 399.60	EL 338.60
Railway Bridge on western Railway Main Line	About 4.5 Km D/s of Dam	EL 333.345	EL 329.60	EL 328.30	EL 326.60
Railway Bridge (Bina to Kota Section)	About 35 Km D/s of Dam	EL 249.743	EL 251.10	EL 250.80	EL 249.10

CHAMBAL PROJECT DIVISION, KOTA
Alnia Medium Irrigation Project List of Incharge and Workers

1. Name of In-charge Mate	:	General Sift	Vacant
2. Name of Workers	:	General Sift	Sh. Ram Lal Beldar
3.	:	9AM to 5PM	Sh. Mangi Lal Beldar
4.	:	9AM to 5PM	Sh. Mohan Lal Beldar
5.	:	5PM to 1PM	Sh Bheru Lal Beldar
6.	:	5PM to 1PM	Sh Mohan Beldar
7.	:	1PM to 9AM	
8.	:	1PM to 9AM	
9	:	Reliever	
10.	:	Reliever	

T&P Articles to be Kept at site

1 Mortar Pan	:	50 Nos.
2 Phawara	:	40 Nos.
3 Pick axe	:	50 Nos.
4 Crow Bar	:	5 Nos.
5 Petro Max	:	3 Nos.
6 Torch	:	5 Nos.
7 Empty cement bags	:	500 Nos.
8 Water Pump/ Motor	:	Nil
9 Vehicle	:	Nil

नगर निगम कोटा में उपलब्ध उपकरणों की सूची

क्र.सं.	उपकरण का नाम	उपकरणों की संख्या
1	Smoke Blower	1
2	Hand Gloves	4
3	Blanket	20
4	Dragon Light	6
5	Electric Generator	2
6	Life Buoy	10
7	Life Jacket	10
8	Ext. Ladder	10 With Vehicle
9	ABC type	5
10	CO2 type	9
11	DCP type	5
12	Fire Tender	10
13	Foam type	3
14	Arial Hydraulic Ladder Platform	1
15	Water Tanker (Bauser)	3
16	JCB	5
17	Dumper	5
18	Tractor	5
19	Water Tanker	7
20	Emergency Lighting Tower (Inflatable)	1

List of T&P Available Kota Barrage

S.No.	T&P	Total
1	Torch	3
2	Honda Generator	-
3	Buoy	8
4	Pick axe	50
5	Phawara	50
6	Tagari	25
7	Boat	0
8	Umbrella	4
9	Raincoat	4
10	HSD	200 Ltr
11	Jeep	RRR-6640
12	Earth filled bags	1500

❖ नागरिक सुरक्षा, कोटा के पास उपलब्ध संसाधन/स्थिति :-

क्र.सं.	नाम उपकरण	मात्रा	उपकरण की स्थिति
1	लाईफ जाकेट	46	चालू
2	लाईफ बॉय	20	चालू
3	नायलोन रस्सा	10 फीट	चालू
4	ड्रेगन लाईट (सहा. विभाग)	10	चालू
5	गम बूट	50 जोड़ी	चालू
6	बेल्वा	45	चालू
7	स्ट्रेचर	8	चालू
8	जरनेटर	1 (50केवीए)	चालू
9	टॉर्च	1 नग	चालू
10	कम्बल लाल	8 नग	चालू
11	क्रोबार	15	चालू
12	हेलमेट	65	ठीक
13	मेगा फोन	04	चालू
14	सर्च लाईट	01	चालू
15	इमरजेन्सी लाईट	01	चालू
16	सेफ्टी नेट	01	ठीक
17	सेफ्टी हेप्ड ग्लोबस	06	ठीक
18	पोर्टबल इनफ्लेटेबल लाईटिंग सिस्टम	02	चालू
19	टूल किट	01	ठीक

आर.ए.सी. बटालियन-ग कोठ :-

क्र.सं.	नाम उपकरण	तादाद
1	लाईफ बॉय	45
2	लाईफ जाकेट	43
3	बैट्री प्लास्टिक 4 सैल	9
4	बैट्री प्लास्टिक 3 सैल	3
5	बैट्री 12 वोल्ट एक्सार्ड	4
6	ड्रैगन लाईट मय चार्जर	6
7	लालटेंन प्रभात	6
8	फर्स्ट एड बॉक्स	5
9	जनता कम्बल	36
10	नायलोन रस्सा	47.970 कि.ग्रा.
11	एंकर एफआरपी बोट	1
12	गमबुट	30
13	लाईफ जाकेट चैन वाली	4
14	चापू छोटे बडे लकड़ी के	14
15	पैडल बोट	3
16	एफआरपी बोट	2
17	मोटर बोट जोन्सन 15 एचपी	3
18	मोटर बोट 40 एचपी	3
19	किट बॉक्स लोहा	40
20	चैन लोहा बड़ी	1
21	रेन सुट हाफ	36
22	रेस्क्यू रोकेट लांचर	2
23	स्कूबा डाईविंग किट मय अंडर वाटर टार्च, रिफलिंग कम्प्रेशर	1
24	फाईबर रेस्क्यू स्ट्रेचर	2
25	एफआरपी पैडल बोट	1
26	फाईबर रेन फोरेस्टेड मोटर बोट 40 एचपी	1
27	इन्फलेटेबल मोटर बोट 25 एचपी	1
28	कैराबीनर	4
29	टॉर्च 2 सैल	5
30	लोकेबल किट बैग	10
31	एफआरपी राविंग बोट	1
32	ट्रैकिंग बूट	5
33	रक सेक	5
34	रेपलिंग रोप 100 मी.	1
35	जोड़ियाक बोट 40 एचपी	1
36	वाटर बोटल मय कैरीयर	5
37	चर्म लेदर ग्लोव्ज	3
38	रेन कोट	6

39	रेन सूट फुल साईज	41
40	त्रिपाल कैनवास	4
41	हेलमेट	12
42	स्वीमिंग कॉस्टयुम	24 जोड़ी
43	जुते बरसाती	24
44	नाव ट्रॉली कैरियर बाई व्हीकल	1
45	नाव ट्रॉली कैरियर मैन्यूअल	1
46	चैन पुलिंग सिस्टम	1
47	इन्फलेटेबलबोट 30 एचपी	1
48	फुट पम्प	4
49	पोली प्रोलम रोप डाया एक हंच 50 मीटर	1
50	एल्युमिनियम बोट 50 एचपी	1
51	रिफलिंग कम्प्रेशर	1
52	स्कूबा डाईविंग सुट मय तीन सिलेण्डर	3
53	रेस्क्यू कुल्हाड़ी	10
54	रेस्क्यू ट्यूब	12
55	बैंट शीशा मय 4 बेल्ट	21
56	प्लास्टिक बाल्टी 40 लीटर	1
57	बैट बनाने का सांचा	2
58	चापू लकड़ी	3
59	ओबियम स्टैण्ड	1
60	बिलाई	1
61	पीबीएम ड्रम	1
62	बैट्री चार्जर एमएचडी 1300	1
63	बैट्री 12 वोल्ट एक्साईड एमएचडी 1300	1
64	बीसीडी मय रेग्यूलेटर पाईप	3
65	हैड लैम्प	1
66	स्कॉकलिंग गोग्लस	3
67	टेबल लकड़ी	2
68	ऑफिस टेबल सनमाईका टॉप	1
69	इमरजेंसी इन्फलेटिंग लाईटिंग टावर मय एसेसरीज	1
70	कुर्सी प्लास्टिक	8
71	रैपलिंग रोप 10.5 एमएम, 160 मी.	1
72	रैपलिंग रोप 10 एमएम, 100 मी. (100'5त्र500)	5
73	रैपलिंग रोप 11 एमएम, 100 मी.	1
74	ऑफिस स्टीलचेयर	2
75	एक्ज्यूकेटिव चेयर	1
76	कूलर (कुलविन्ड ब्लोवर)	1
77	द्वितीय बटा. का बैनर	1
78	सर्कुलर कटर (इलै.)	8
79	लेडर (एल्युमिनियमरोप.) 24 फीट	8
80	लाईटिंग एण्ड पॉवर इक्यूपमेंट	4
81	हैण्ड टूल्स	4

82	सोनी विडियो कैमरा (मॉडल नं. HDR CX280)	8
83	U-B- 380, 6 SEATER INFLATION BOAT	1
84	U-B- 430, 8 SEATER INFLATION BOAT	1
85	15HP Stoke OBM Engine	1
86	फायर एक्सटीयग्यूसर मय एसेसरीज	3
87	15 एचपी ओबीएम 02 स्टोक इंजन तोसुख	1
88	OBM / उपकरण स्टेप्ड	2

❖ आरएसी द्वितीय बटालियन, कोठा के पास उपलब्ध मोटर बोट की सूची :-

क्र.सं.	बोट का नाम	तदाद	वर्तमान स्थिति
1	फाईबर ग्लास मोटर बोट 40 एचपी, यामाह	1	खराब
2	एल्युमिनियम मोटर बोट 50 एचपी, मर्करी	1	खराब
3	इन्फलेटेबल मोटर बोट 40 एचपी, यामाह	1	चालू
4	इन्फलेटेबल मोटर बोट 25 एचपी, यामाह	1	खराब
5	इन्फलेटेबल मोटर बोट 30 एचपी, यामाह	1	खराब
6	यूबी. 430 इन्फलेटेबल बोट	1	खराब
7	यूबी. 380 इन्फलेटेबल बोट	1	खराब
8	फाईबर ग्लास मोटर बोट 15 एचपी, जॉन्सन	3	खराब / नकारा
9	फाईबर ग्लास मोटर बोट 40 एचपी, जॉन्सन	3	खराब / नकारा
10	एफ. आर. पी. बोट	2	चालू
11	रोविंग एफ. आर. पी. बोट	1	चालू
12	पैडल बोट	4	खराब / नकारा

पुलिस नियन्त्रण कक्ष	अग्निशमन नियन्त्रण कक्ष	कलेकट्रे नियन्त्रण कक्ष
2350777, 100	2392201, 101, 2472355	2323557, 2325342 1077(टोल फ़ो)

-: जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की सूची :-

नाम अधिकारी	पद नाम	दूरभाष नम्बर	मोबाईल नं.	
		कार्यालय		
श्री एल०एन० सोनी I.A.S.	संभागीय आयुक्त कोटा	2500853 / 2500675 फैक्स—2500769	2450040	97997—91000
श्री मुक्तानन्द अग्रवाल I.A.S.	जिला कलक्टर कोटा	2451200	2451100	94685—85123
श्री जुगल किशोर मीना.	आयुक्त, नगर निगम कोटा	2502293	2340081	94139—01048
श्रीमती प्रियंका गोस्वामी	अतिरिक्त संभागीय आयुक्त	2500585	2405808	94146—48780
श्रीमती आराधना सकरेना	अति० क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीएडी	2500740	0475606	94141—86297
श्री वासुदेव मालावात	अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन	2325341	2324041	97840—74222
श्री पंकज ओझा	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर	2323165	2500891	96726—66600
रिक्त	अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग	2450365	—	—
श्री बृजमोहन बैरवा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	2500508		94131—51222
श्रीमती भागवती जेठवानी	राजस्व अपील प्राधिकारी	2326951	—	94141—82208
श्री प्रकाश सिंह राठोड़	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कोटा	2363316	2422635	94146—86514 74268—98577
श्री मुरारी लाल वर्मा	अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परि०	2501196	—	94146—76375
श्री	जिला रसद अधिकारी	2323874	—	97843—64133
रिक्त	जिला रसद अधिकारी—ग्रामीण	2323874		
श्री आनन्दी लाल वैष्णव	सचिव, नगर विकास न्यास	2500879		94141—81116
श्रीमती कृष्णा शुक्ला	उप—सचिव, नगर विकास न्यास	2500818	—	92524—18235 85028—11805
श्रीमती कीर्ति राठोड़	उप—सचिव, नगर विकास न्यास	2500013		94140—33122
श्रीमती दीप्ति रामचन्द्र मीणा	उप—सचिव, नगर विकास न्यास	2500183	2321039	94140—89039 94610—39039
श्रीमती श्वेता फगोड़िया	उपायुक्त नगर निगम मुख्यालय	2502142		94143—45115
श्री राजेश डागा	उपायुक्त नगर निगम — विज्ञाननगर	2502583		98299—97700
श्री प्रेमशंकर, कार्य०	उपायुक्त नगर निगम — रामपुरा	2501039		94141—93530
श्री गिरिराज कुमार वर्मा	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी	2364577	—	94141—21101
श्री शंभूदयाल मीणा	जिला आबकारी अधिकारी	2365623	—	97820—80313
श्री नरेन्द्र गुप्ता	उपायुक्त प्रशासन वाणिज्यकर विभाग	2365363	2504320	94140—43200 94133—85915
श्रीमती भागवन्ती जेठवानी	भू प्रबंध अधिकारी	2326154	—	94141—82208
श्रीमती भावना राघव गुर्जर	उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग	2504207	—	9413901993
श्री अशोक कुमार मीना	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक	2327035	—	97843—64133
प्रो० संदीप चौहान, कार्य०	कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय	2472934	—	94142—57423
श्रीमती आभा जैन	कुलसचिव, तकनीकी विश्वविद्यालय	2473003		98294—63000
श्री मुरलीधर प्रतिहार	कुलसचिव, वर्द्धधान महावीर खुला विश्वविद्यालय	2470971		94138—41568
श्री सियाराम मीना	कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय	2321205	—	94149—38141
रिक्त	सहायक निदेशक लोक सेवाएं विभाग	2322061	—	
श्रीमती कृष्णा शुक्ला कार्य०	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास	2323138	—	92524—18235 85028—11805
श्री मोहन लाल प्रतिहार	उपखण्ड अधिकारी कोटा	2325871	2500273	94141—54993
श्री कृष्ण गोपाल जोजन	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	07459.—220170	07459—220046	94146—51219

श्रीमती तारामती वैष्णव	उपखण्ड अधिकारी दीगोद	07455-234928	07455-234002	94600-14525
श्री संजीव कुमार शर्मा	उपखण्ड अधिकारी इटावा	07458-225856		99502-10175
श्री कमल कुमार मीना	उपखण्ड अधिकारी सांगोद	07450-233952	07450-233951	78770-07877
श्री राहुल सेनी RAS(T)	उपखण्ड अधिकारी कनवास	07450-254838		99904-64524
श्री दुर्गाशंकर मीना	सहायक कलेक्टर, कोटा	2322061		88755-02620
रिक्त	सहायक कलेक्टर, दीगोद	07455-234543		
रिक्त	सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) इटावा	-		
श्री जय कौशिक	कोषाधिकारी कोटा	2323964	2320223	94146-54793
श्री संजय महबूबानी	सहायक कोषाधिकारी पेंशन	2331280		94139-41315
श्री जे०पी० महावर	मुख्य आयोजना अधिकारी	2320854		94145-34568
श्री हरकेश मीना	उप निदेशक आर्थिक एवं सांचियकी विभाग	2325997		94144-96509
श्री प्रदीप झा	संयुक्त श्रम आयुक्त	2324176		9414334024
रिक्त	परियोजना प्रबंधक SCDC	2320806		-
श्री मुकेश कुमार झा	डीआईओ एन०आई०सी०	2320663	2331242	99287-18242
श्रीमती कीर्ति कुमारी कुमावत	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका केंथुन	2844291		94613-51047
श्री सत्यनारायण राठौर, कार्य.	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रामगंजमण्डी	07459-220016		94145-69236
श्री जितेन्द्र सिंह पारस	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सांगोद	07450-233239		80056-34448
श्री नरपत सिंह राजपुरोहित	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका इटावा	07458-225856		94144-92677

उपखण्ड अधिकारी

नाम	पदनाम	टेलीफोन कार्यालय	टेली० निवास	मोबाइल नं०
श्री मोहन लाल प्रतिहार	उपखण्ड अधिकारी कोटा	2325871	2500273	94141-54993
श्री कृष्ण गोपाल जोजन	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	07459-220170	07459-220046	94146-51219
श्रीमती तारामती वैष्णव	उपखण्ड अधिकारी दीगोद	07455-234928	07455-234002	94600-14525
श्री संजीव कुमार शर्मा	उपखण्ड अधिकारी इटावा	07458-225856		99502-10175
श्री कमल कुमार मीना	उपखण्ड अधिकारी सांगोद	07450-233952	07450-233951	78770-07877
श्री राहुल सेनी RAS (T)	उपखण्ड अधिकारी कनवास	07450-254838		99904-64524
श्री दुर्गाशंकर मीना	सहायक कलेक्टर, कोटा	2322061		88755-02620
रिक्त	सहायक कलेक्टर, दीगोद	07455-234543		
रिक्त	सहायक कलेक्टर, इटावा	-		

तहसीलदार

नाम	पद नाम	टेलीफोन कार्यालय	मोबाइल नं०
श्री कालू राम खाती	तहसीलदार,लाडपुरा	2323857	99289-74351
श्री राधेश्याम मीणा	तहसीलदार, रामगंजमण्डी	07459-220108	85030-00010
श्री जगमोहन	तहसीलदार, दीगोद	07455-234617	
श्री मोहनलाल परिहार	तहसीलदार, पीपलदा	07458-275333	94608-51349
श्री सत्यनारायण बसवाल	तहसीलदार, सांगोद	07450-233234	94147-58582
श्री आमोद माथुर	तहसीलदार, कनवास	07450-254838	94143-99392
रिक्त	उप पंजीयक – प्रथम	2320738	9351117312
रिक्त	उप पंजीयक – द्वितीय	-	94609-38971

रिक्त	तहसीलदार, भू अभिलेख कलैक्ट्रेट	2325871	—
श्री इमामुद्दीन खान	तहसीलदार नगर विकास न्यास	2500951	94133-57387
श्री रामकल्याण यादवेन्द्र	तहसीलदार नगर विकास न्यास	2500951	82394-49345
रिक्त	तहसीलदार नगर विकास न्यास	2500951	
रिक्त	वन बंदोबस्त अधिकारी	2500194	
रिक्त	तहसीलदार ,साठनिंवि०	2323126	
श्री पन्ना लाल मीना	सहायक भू प्रबंध अधिकारी मुख्यालय	2326154	97842-60928
रिक्त	सहायक भू प्रबंध अधिकारी	2326154	
रिक्त	सहायक भू प्रबंध अधिकारी	2326154	
रिक्त	पटवार प्रशिक्षण केन्द्र	2471335	
श्री श्योनारायण बैरवा, कार्य०	तहसीलदार सी०ए०डी०		94609-89866
श्री श्योनारायण बैरवा	तहसीलदार संभागीय आयुक्त कार्यालय		94609-89866
रिक्त	तहसीलदार बी०पी०सी०एल०		
रिक्त	तहसीलदार निर्वाचन	2328111	

नायब तहसीलदार

नाम	पदनाम	टेलीफोन कार्यालय	मोबाइल नं०
	लाडपुरा	2323857	
	मण्डाना	2812903	
श्री नईमुद्दीन	दीगोद	2323857	94145-68608
	पीपलदा	07458-275333	
श्री छीतर लाल पांचाल	सांगोद	07450-233234	99292-40489
	कनवास	07450-254838	
श्री दुष्यन्त दाधीच	रामगंजमण्डी	07459.220108	94606-81731
श्री दुष्यन्त दाधीच कार्य.	चेचट	07459-.230603	99281-53176
श्री नईमुद्दीन कार्य.	सुल्तानपुर	2323857	94145-68608
	पी०टी०एस०	2471335	
	खातौली	07458-275333	96604-20944
रिक्त	नायब तहसीलदार (वसूली) DIG Stamp	2327035	—

विकास अधिकारी

क्र.सं.	नाम	कार्यालय	मोबाईल
श्री विक्रम सिंह	विकास अधिकारी पंसमिति लाडपुरा	0744-325216	94135-23919
श्री जगदीश प्रसाद मीना	विकास अधिकारी पंसमिति सुल्तानपुर	07455-224234	97827-80563
श्री मजहर इमाम	विकास अधिकारी पंचायत समिति इटावा	07458-225232	94625-54511
	विकास अधिकारी पंसमिति सांगोद	07450-233223	
श्री सुनील वर्मा	विकास अधिकारी पंसमिति खैराबाद	07459-220069	82334-43132

नगर निगम कोटा

क्र.सं.	नाम	कार्यालय	मोबाईल
1.	आयुक्त. नगर निगम कोटा	2502293	78913-32277
2.	उपायुक्त मुख्यालय, नगर निगम कोटा	2502142	96365-88693
3.	उपायुक्त विज्ञान नगर जोन, नगर निगम कोटा	2502583,	98299-97700
4.	उपायुक्त रामपुरा जोन, नगर निगम कोटा	2501039	90016-44943
5.	मुख्य लेखाधिकारी	2500883	94140-45618
6	मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम कोटा	2392201,101, 2472355	94132-75350

नगर पालिकाएँ

क्र.सं.	नाम	दूरभाष	मोबाईल नम्बर
1	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कैथून	2844291	
2	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रामगंजमण्डी	07459-220016	
3	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांगोद	07540-232339	
4	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका इटावा		
5	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका झालावाड़	07432-231136	
6	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका झालरापाटन	07425-240263	
7	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भवानीमण्डी	07432-222033-2220 70	
8	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पिड़ावा	07434-435241	
9	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अकलेरा	07431-222333	
10	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बारां	07453-230106	
11	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अंता	07457-244254	
12	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा	07452-222025	
13	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बूंदी	0747-2443903,24447 00	
14	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नैनवा	0747-257246	
15	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका	07438-264346	

	केशवरायपाटन		
16	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कापरेन	07438-265434	
17	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका लाखेरी	07438-261627,26164 6	
18	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका इन्द्रगढ़	07438-253583	
19	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सवाईमाधोपुर	07462-220386	
20	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका गंगापुरसिटी	07463-234041	
21	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका करौली	07464-220037	
22	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका हिण्डोन सिटी	07469-232989	
23	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मांगरोल	07457-225203	
24	अधिशाषी अधिकारी कोटा बैराज	2370984	9414521036
25	पुलिस कंट्रोल रूम शहर	100 / 2350777	
26	पुलिस कंट्रोल रूम ग्रामीण	2350888	
27	जिला जनसम्पर्क अधिकारी	245604012	2323238
28	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	2361366	2502182
29	जिला परिवहन अधिकारी	2364592	2504830
30	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	2323712	2440732
31	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	2363129,2362359	2423270
32	जैल अधीक्षक	2323027	2327846
33	उपनिदेशक मत्स्य	2324965	2420533
34	उपनिदेशक समाज कल्याण	2325491	2471386
35	मुख्य प्रबन्धक रोडवेज	2321984	2472873
36	सहायक निदेशक आकाशवाणी	2322411-2-3	2321296-23291 49
37	सहायक निदेशक दूरदर्शन	245211,2327100	248552,2500080

पुलिस विभाग

नाम	पदनाम	टेलीफोन कार्यालय	टेली० निवास	मोबाइल नं०
श्री विशाल बंसल	पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेज कोटा	2350800	2350801	98298-00900
श्री अंशुमान सिंह भोमिया	पुलिस अधीक्षक शहर	2350700	2350701	94140-05888
डॉ. राजीव पचार	पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	2350601	2350602	75972-37953
श्री समीर कुमार	अति० पुलिस अधीक्षक शहर	2350711	2350789	94142-86600
श्री उमेश कुमार ओझा	अति० पुलिस अधीक्षक मुख्यालय	2350713	2350714	94140-09111
श्री गोपाल सिंह कानावत	अति० पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	2981603	2350604	94140-84372
श्री आदर्श सिंह	पुलिस अधीक्षक सीआईडी इन्टेर्लीजेंस	2350807		98292-50759
श्रीमती मिताली गर्ग	अति० पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी कोटा	2451144		94136-29517
डॉ. किरण कंग	पुलिस अधीक्षक एसीबी	2350026	2350804	99299-51077
श्री अरुण मच्या	अति० पुलिस अधीक्षक एसीबी	2350078	2350812	94140-40608
श्री ठाकुर चन्द्रशील	अति० पुलिस अधीक्षक एसीबी	2350078		94148-80100
श्री राहुल कार्तिकेय	कमाण्डेंट, आरएसी द्वितीय बटालियन कोटा	2350771	2320678	94623-12345 99504-45566
श्रीमती तृप्ति विजयवर्गीय	डिप्टी कमाण्डेंट, आरएसी द्वितीय बटालियन कोटा	2350775	2320678	94142-49585
श्री भूपेन्द्र सिंह चूण्डावत	डिप्टी कमाण्डेंट, आरएसी द्वितीय बटालियन कोटा	2350775		94600-29417
श्री अब्दुल अजीज	सहायक कमाण्डेंट, आर.ए.सी. द्वितीय बटालियन कोटा	2350771		95300-96463
श्री धनफूल मीना	सहायक कमाण्डेंट, बी.कम्पनी एस. डी.आर.एफ. कोटा	-		94142-06991
श्री आलोक सिंघल	उप पुलिस अधीक्षक एस०ओ०जी०	2330039		94141-71628
श्री विजय स्वर्णकार	अति० पुलिस अधीक्षक ए०टी०एस०	2350055	2350035	91666-52525
श्री रमाशंकर प्रसाद	कमाण्डेंट, आर०पी०एफ०	2467066		90010-17700
श्रीमती सुमन ढाका	कमाण्डेंट, होमगार्ड	2360066		97994-00300
कर्नल नीरज	कमान्डर एन०सी०सी०	2324718		79872-95774
श्रीमती उमा शर्मा	अति० पुलिस अधीक्षक उपराध एवं सतर्कता	2350900		94140-78766
श्री रामकल्याण मीणा	अति० पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण अनुसूचित जाति / जनजाति सेल	2350900		94133-22108 70141-16760
श्री बने सिंह	सी०ओ० प्रथम (गुमानपुरा, दादाबाड़ी, किशोरपुरा, जवाहरनगर)	2350721	2350722	94142-68706
श्री शिवभगवान गोदारा	सी०ओ०-द्वितीय (नयापुरा, भीमसंडी, रेल्वेकोलोनी कुन्हाडी)	2350723	2350724	99280-31661
श्री राजेश मेश्राम	सी०ओ०-तृतीय (कोतवाली, मकबरा, कैथूनीपोल, महिला थाना)	2350725	2350726	94140-28411
श्री नरसीलाल मीणा	सी०ओ०-चतुर्थ (उद्योगनगर, विज्ञाननगर, महावीरनगर, अनन्तपुरा)	2350727	2350728	89470-88888
श्री श्योराजमल मीणा	उप पुलिस अधीक्षक, यातायात	2350729 / 235 0741	2350730	88909-35872
श्री महेन्द्र सिंह भाटी	उप पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण मण्डाना, कैथून, सीमलिया, महिला	0350610	2350016	94141-06686 90019-97911

	थाना			
श्री रामकल्याण मीणा	उप पुलिस अधीक्षक, रामगंजमण्डी	07459-220095	87648-507 33	94133-22108 70141-16760
श्री विजयपाल सिंह	उप पुलिस अधीक्षक, सांगोद	07450-233301	07450-233 341	94147-11001
श्री भोजराज सिंह	उप पुलिस अधीक्षक, इटावा	07458-225110	87648-507 34	94143-81967
श्री सुधीर प्रकाश पुनिया	जेल अधीक्षक	2323027	2327846	99295-98902
श्री योगेश तेजी	जेल उप अधीक्षक	2323027		94145-69183
श्री जे०एस० चूण्डावत	उप नियन्त्रक, नागरिक सुरक्षा, कोटा	2327861		94606-79186

पुलिस थाने

क्र.सं.	नाम	दूरभाष	क्र.सं.	नाम	दूरभाष
1	भीमगंजमण्डी	0744-2350754	24	बडगांव चौकी	0744-250855
2	कोतवाली रामपुरा	0744-2350760	25	बस स्टेप्ड चौकी	0744-2350856
3	मकबरा	0744-2350759	26	एम बी एस चौकी	0744-2350858
4	कैथूनीपोल	0744-2350758	27	कोटा बैराज	0744-2350859
5	विज्ञान नगर	0744-2350763	28	पाटनपोल चौकी	0744-2350861
6	नयापुरा	0744-2350756	29	इंदिरा गांधी नगर चौकी	0744-2350865
7	कुन्हाड़ी	0744-2350755	30	लाडपुरा चौकी	0744-2324177
8	गुमानपुरा	0744-2350752	31	रामगंजमण्डी	07459-22100
9	उद्योग नगर	0744-2350762	32	मोढक	07459-232243
10	दादाबाड़ी	0744-2350751	33	कनवास	07450-254624
11	रेल्वे कालोनी	0744-2350757	34	सुल्तानपुर	07455-224238
12	महावीर नगर	0744-2350761	35	इटावा	07458 225230
13	किशोरपुरा	0744-2350753	36	सुकेत	07459-234242
14	महिला थाना कोटा	0744-2350764	37	चेचट	07459-230223
15	जवाहर नगर	0744-2350763	38	संगोद	07450-234242
16	अन्नतपुरा	0744-2207766	39	सीमल्या	07455-264326
17	आरकेपुरम	0744-2350768	40	कैथून	0744-2844207
18	बोरखेड़ा	0744-2207700	41	मण्डाना	0744-2812633
19	विद्युत थाना	0744-2450167	42	बूढादीत	07455-225268
20	कलेक्ट्रेट कोटा चौकी	0744-2350857	43	बपावर कलां	07450-264833
21	घंटाघर चौकी	0744-2350862	44	खातौली	07458 245448
22	छावनी चौकी	0744-2350852	45	देवली मांझी	
23	सूरजपोल चौकी	0744-2350853			

पुलिस / आर.ए.सी. / एस.डी.आर.एफ.

नाम	पद नाम	टेलीफोन कार्यो	मोबाईल नं०
श्री अंशुमन भौमिया	पुलिस अधीक्षक कोटा शहर	0744-2350700	9414005888
श्री राजीव पचार	पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जिला कोटा	0744-235061	7597237953
श्री राहुल कोटोकी,	कमाण्डेंट, द्वितीय बटालियन आरएसी कोटा Email-2ndrackota@gmail.com	0744-2350771	
श्री समीर कुमार	अति० पुलिस अधीक्षक शहर	0744-0350711	94142-86600
श्री गोपाल सिंह कानावत	अति० पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	0744-2981603	94140-84372
श्रीमती तृप्ति विजयवर्गीय	डिप्टी कमाण्डेंट, द्वितीय बटालियन, आर०ए०सी० कोटा	0744-2350775	9414249585
श्री भूपेन्द्र सिंह चूण्डावत	डिप्टी कमाण्डेंट, द्वितीय बटालियन, आर०ए०सी० कोटा	0744-2350775	9460029417
श्री अब्दुल अजीज	सहायक कमाण्डेंट, द्वितीय बटालियन, आर०ए०सी० कोटा	0744-2350771	9530096463
श्री धनफूल मीणा	सहायक कमाण्डेंट, एस.डी.आर.एफ, अमर निवास, कोटा Email-bcoy.sdrf.raj@gmail.com	-	9414206991
श्री अनिल कुमार टॉक	कमाण्डेंट SDRF-JAIPUR Email address- 1. comdt.sdrf@rajpolice.gov.in 2. comdtt.sdrf.raj.jpr. @gmail.com	0141-2759903	
श्री ए.एस. चौहान	डिप्टी कमाण्डेंट, NDRF टीम नारोली जिला अजमेर		94140-05412

आर्मी

नाम	पद नाम	टेलीफोन कार्यो	मोबाईल नं०
श्री सैफ खान ब्रिगेडियर	Station Commander Army		77699-99880
श्री गौरव माथुर, कर्नल	Administrative Commandant Army		87188-13603
श्री प्रवीण जीएसएम, कर्नल	Colonel General Staff Army		96228-78887
श्री के.के.पांडे कर्नल	Colonel Quartermaster Army		94917-28974
श्री राजेश जोशी	ले.कर्नल		94122-88793 76652-29425

अधीक्षण अभियन्ता

नाम	पद नाम	टेलीफोन कार्यालय	मोबाईल नंबर
श्री देवीलाल आर्य	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त कोटा	0744-2323126	9414337220
श्री आशु गर्ग, कार्यालय	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नेशनल हाइवे वृत्त कोटा	0744-2327670	9680008214
श्री हेमंत कुमार	अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी. वृत्त कोटा	0744-2501104	9414340940
श्री वी.के.दुबे	अधीक्षण अभियन्ता जे.वि.वि.एन.एल. वृत्त कोटा	0744-2324192	9413390757
श्री साबिर हुसैन	अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त कोटा	0744-2327648	9602422236
श्री सुरेश कुमार सामरिया	अधीक्षण अभियन्ता रा.प्र.सा. एवं ज. सा. वृत्त कोटा	0744-2327785	9413352222

डी0आर0एम0 रेल्वे कोटा

नाम	पद नाम	टेलीफोन कार्यालय	मोबाईल नंबर
श्री	सिनियर डिवीजनल इंजिनियर DRM ऑफिस कोटा	0744-2467028/ 2467029	
	पोस्ट एण्ड टेलीफोन नंबर	0744-2467260	9001017225/ 9001017222
	Email address: enggkotacto@ymail.com enggctokota@gmail.com		